राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का १९वां दिवस [संख्या १०

बुधवार, दिनांक २८ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, विद्युत एवं गृह–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री भीमसेन ।

पथ निर्माण

३५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निम्न एप्रोच रोड्स की मांग कई वर्षों से सरकार के समक्ष विचाराधीन है :

१. सागर-रिडमलसर सिपाहियों का बास–१ मील

२. हंसेरा से दुलमेरा खान–२ मील

३. बीकानेर-करणीसर १ मील

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त रास्तों की दुरुस्ती के लिये अब तक जन-सहयोग काफी मात्रा में मिला है ?

(३) उपरोक्त एप्रोच रोड्स के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां । केवल मार्ग नं० १ व ३ की मांग की गई है ।

(२) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

Page No 2

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) सिर्फ सागर-रिडमलसर सिपाहियों के बास का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्री भीमसेन : सागर–रिडमलसर सड़क का काम कब प्रारम्भ किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अभी जनवरी में शुरू किया गया है।

श्री भीमसेन : हंसेरा से दुलमेरा कॉमर्शियल वेल्यू की सड़क है, क्या इस पर ध्यान देंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : छोटी २ एप्रोच रोड्स पंचायत समिति बनायेगी।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

देवगढ़ में चम्बल योजना के अन्तर्गत विद्युत-व्यवस्था

३६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सत्य है कि देवगढ़ म्युनिसिपल टाउन है और उसकी आबादी आठ हजार के लगभग है ?

(ब) क्या यह भी सही है कि वहां पास के कस्बों में चम्बल की बिजली देने की योजना स्वीकृत हो गई है ?

(स) यदि हां, तो क्या देवगढ़ को भी चम्बल बिजली योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ?

(द) यदि हां, तो किस वर्ष की योजना में रखा गया है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(द) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सड़क निर्माण

४०. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बामनवास तहसील आंतरिक क्षेत्र व बाहरी क्षेत्र में सड़क की कोई योजना थी ? यदि हां, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ और अब कब तक होगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : सार्वजनिक नल....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न संख्या ४० का उत्तर चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): प्रश्न ४० में सार्वजनिक नल नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : और कुछ पूछना है आपको।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय; क्या इस इलाके में सड़क बनेगी ही नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह सड़क इस योजना में नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय : कौनसी योजना में आयेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चौथी या पांचवीं योजना तक इन्तजार करें।

प्रश्न संख्या ४१

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

विद्युत-व्यवस्था

४२. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि उदरपुरवाटी तहसील में भाखरा योजना के अन्तर्गत बिजली लाने हेतु सर्वे किया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो तहसील के कौन कौन से ग्रामों में बिजली देने की योजना है ?

(ग) इस इलाके को बिजली कब तक मिल जायेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) इस समय केवल उदयपुर कस्बे में ही बिजली देने की योजना है।

(ग) इस इलाके में केवल उदयपुर को १९६२–६३ में बिजली मिल सकेगी।

श्री जीवराज : तहसील के और गांवों के लिये भी योजना है क्या ?

श्री अध्यक्ष : तहसील के और गांवों के के लिये भी योजना है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : फिलहाल नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था

४३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि गांव करनीसर, तहसील बीकानेर में नाल बड़ी, रिड़मलसर पुरोहितान एवं सिपाहियान बास में घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय पंचायतों एवं नागरिकों से सम्बन्धित अफसरों के पास आवेदन किये हैं ? अगर हां, तो उक्त

Page No 4

(श्री भीमसेन)

आवेदन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, करनीसर गांव की पंचायत के सरपंच का एक प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें सर्वे के लिये मांग की थी।

श्री भीमसेन : नाल बड़ी और रिड़मलसर के लिये भी किया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : सबके लिये आई होगी।

श्री भीमसेन : इस पर सरकार क्या कर रही है ? नाल बड़ी और रिड़मलसर में बिजली आ पहुंची है सिर्फ वायर लगाने हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : गांव में बिजली पहुंच गई है क्या ? आपका प्रश्न क्या है ?

श्री भीमसेन : सिर्फ घरों में लाइन देकर बिजली लगानी है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ? बिजली वहां पर पहुंच गई है और घरों में देने के लिये प्रश्न है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह आदेश दिया गया है कि बीकानेर के आस-पास का लोड सर्वे किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब बिजलीलगी हुई है, लाइन है तो घरोमें देने के लिये क्या सर्वे करना है ? बिजली की शॉर्टेज है क्या ? दरख्वास्त देते हैं तो जवाब मिलता है सर्वे किया जा रहा है। घरों में बिजली देने के लिये सर्वे की क्या आवश्यकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझ नहीं पाया, आपका मतलब क्या है ? आपका मतलब यह है कि उस गांव में बिजली पहुँच चुकी है और घरों में नहीं दी जा रही है ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां वर्षों से है। वहां के जो लोग हैं वे घरों में बिजली चाहते हैं उनको बिजली नहीं मिलती, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बिजली वहां पर है तो क्या आप बिजली दे सकेंगे या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा ख्याल है कि बिजली है तो देने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आवेदन-पत्र आने के बाद क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि जनरल ऑर्डर दिये गये हैं कि बीकानेर के दस मील के रेडियस में आस-पास सर्वे की जाय।

श्री विजयसिंह झाला : यह किस तारीख का ऑर्डर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

Page No 5

श्री मुरलीधर व्यास : सर्वे क्यों की जा रही है, यह समझ में नहीं आता। या तो रिपोर्ट गलत है। सर्वे उस तरह होती है कि बिजली कहां तक पहुंचानी है, क्या बात है। आपके पास तो बिजली है।

श्री अध्यक्ष : सर्वे यह होगा कि कितनी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत होगी। गांव में बिजली आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि सर्वे न हो।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां बिजली आ गई है; तार, खम्भे खिंच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तार खम्भे पर खिंचते हैं। सर्वे करना जरूरी है कि दस खम्भे लगाने पड़ेंगे या सौ लगाने पड़ेंगे, सड़क पर लगानी पड़ेगी या मोहल्ले में लगानी पड़ेगी। इसके लिए सर्वे होना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह उठता है कि किस तारीख को ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ? उस ऑर्डर के माफिक काम हो रहा है या नहीं? यह मालूम नहीं होगा कि ऑर्डर कब हुआ था और उसके आगे क्या कार्यवाही की गई तो फिर आगे क्या काम होगा?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि तारीख मेरे पास नहीं है। ऐसे जनरल ऑर्डर दिये गये कि दस मील के रेडियस के आस-पास उसकी सर्वे करके रिपोर्ट दी जाय। उसके बाद में जो लाइन होगी, जिसमें रिटर्न मिलेगा वहां पर ले जायेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : कब तक उसका प्रत्युत्तर आ जायगा, यह बता सकते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे हो जाने के बाद।

श्री विजयसिंह झाला : सर्वे कब तक हो जायेगी?

श्री मुरलीधर व्यास : पंचायत ने कब दरख्वास्त दी है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना यह है कि किसी गांव में बिजली पहुंच जाय और खम्भे लग जायं, फिर भी बिजली न मिल सके तो उससे असंतोष हो सकता है। आप सर्वे करवा कर अन्य तरीके से बिजली दे सकें तो दें। गांव में बिजली आई है, फिर भी नहीं मिलती है तो उसका प्रावधान करके जल्दी कार्यवाही करें।

(विराम)

श्री जीवराज।

सड़क निर्माण

४४. **श्री जीवराज (गुढ़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सीकर से उदयपुरवाटी तक पक्की सड़क बनाने की सरकारी योजना है तथा क्या इस सड़क का सर्वे हो चुका है?

(ख) यदि हां, तो सड़क बन कर कब तक पूरी हो जावेगी?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री

Page No 6

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

भवानीशंकर नंदवाना) : (क) जी हां। सीकर से रघुनाथगढ़ तक सड़क बनाने का काम चालू है। रघुनाथगढ़ से उदयपुर तक सड़क का सर्वे हो रहा है।

(ख) आशा है, तृतीय योजना काल में।

श्री जीवराज : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर फिर से पढ़ दीजिये।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : (क) जी हां। सीकर से रघुनाथगढ़ तक सड़क बनाने का काम चालू है। रघुनाथगढ़ से उदयपुर तक सड़क का सर्वे हो रहा है।

(ख) आशा है, तृतीय योजना काल में।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सवाल हनुमानगढ़ का नहीं है, उदयपुर का है।

श्री अध्यक्ष : वह हनुमानगढ़ से सीकर जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हनुमानगढ़ गांव ही नहीं है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : 'रघुनाथ-गढ़' कहा है।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : ३८।

जयपुर में सार्वजनिक नलों का लगाया जाना

३८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह किशनपोल, द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जयपुर नगर में सार्वजनिक नल नगर परिषद् की सहमति और उसकी मांग पर लगाये जाते हैं?

(ख) जयपुर नगर में जनवरी व फरवरी, १९६२ में कितने सार्वजनिक नल लगाये गये हैं और क्या ये जयपुर नगर परिषद् की सह-मति से लगाये जाते हैं?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (क) जी हां। जयपुर नगर में सार्वजनिक नल नगर परिषद और यू. आई. बी की सहमति और उसकी मांग पर लगाये जाते हैं।

(ख) जयपुर नगर में जनवरी व फर-वरी ६२ में कुल ५६ सार्वजनिक नल नगर

Page No 7

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

परिषद की और यू. आइ. बी. की सहमति पर लगाये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह: उनमें कितने नल नगर परिषद की सहमति से लगाये गये हैं और कितने यू. आइ. बी. की सहमति से ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : १८ नल नगर परिषद की सहमति से और ३८ नल यू. आइ. बी. की सहमति से ।

श्री भैरोंसिंह : यह यू. आइ. बी. और नगर परिषद् ने कब लिखा था ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : लिखा तो पहले था, लेकिन रकम जनवरी, दिसम्बर में जमा कराई थी और उसका काम शुरू कर दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर):नल लगाने की नीति है वह नगर परिषद की सिफारिश और यू. आइ. बी. की सिफारिश पर ही होती है या और किसी बात को देखा जाता है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : इनकी सिफारिश करने पर तखमीना बनाया जाता है, उसके बाद जब ये रकम जमा कराते हैं उसके बाद काम चालू हो जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अतिरिक्त और किसी सिफारिश से होता है, बीकानेर में तो नगर परिषद है नहीं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : और जगह ऐसा हो सकता है। बाकी जयपुर में तो ऐसा ही नियम है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन मामले

४१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कुल कितने मामले इस समय पेंडिंग हैं ? उनमें से कितने मामले गजटेड ऑफिसर्स के खिलाफ हैं ? और कितने नॉन-गजटेड के खिलाफ हैं ? जिन गजटेड ऑफिसर्स के खिलाफ इस प्रकार के मामले पेंडिंग हैं उनके नामों की सूची, मय पदों के, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ख)ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच की गई और जो झूठे पाये गये? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) पेंडिंग केसेज़ में कितने केसेज़ नगरपालिकाओं और पंचायतों से सम्बन्धित हैं ? सूची अलग से विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दिनांक १-३-६२ को कुल ८५३ मुकदमे और जांच पेंडिंग थे । उनमें १४४ गजटेड अफसरों के हैं और ७०६ नॉन-गजटेड अफसरों के ।

Page No 8

(श्री मथुरादास माथुर)

(ख) केवल दो मामले निराधार पाये गये. जिनमें प्रार्थियों पर धारा १८२, २११ भा. दं. सं. के तहत कार्यवाहियां चल रही हैं।

(ग) पेंडिंग मामलों में २८ अभियोग नगरपालिकाओं और पंचायतों से सम्बन्धित हैं।

सूचियों का सदन की मेज पर रखना जन-हित में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि पेंडिंग केसेज़ में से एक साल से ज्यादा पुराने केसेज़ कितने हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके करीब करीब एग्ज़ेक्ट फिगर्स मैं बाद में दे सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : अनुमानित ?

श्री मथुरादास माथुर : अनुमान है कि करीब ६० पर्सेन्ट पुराने केसेज़ हैं एक साल से।

श्री भैरोंसिंह : एक साल से अधिक समय से जो केसेज़ पेंडिंग हैं उनके लिए क्या सरकार बता सकती है कि उनकी इन्क्वायरी में समय क्यों लिया जा रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : नेचर ऑफ इन्क्वायरी ऐसी होती है कि कभी कभी समय ज्यादा लग जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें कोई चार-पांच साल पुराना केस है ?

श्री मथुरादास माथुर: जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस इन्क्वायरी में ज्यादा समय लगने का कारण यह है कि एन्टीकरप्शन विभाग कोई एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि सरकार से अनुमति न मिले और सरकार से अनुमति मिलने में देर लगती है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे डिपार्टमेंट की कार्यवाही का प्रोसीजर आप जानते हैं। कुछ केसेज़ में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होती है। उसके बाद में अगर हमारा डिपार्टमेंट समझता है कि उस पर कुछ कार्यवाही की जाय तो अपोइन्टिंग ऑथोरिटी से सेंक्शन लेनी पड़ती हैं या फिर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करानी पड़ती है। फिर जांच होती है तो इसके अन्दर कुछ समय लग जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : चार साल पुराना केस नहीं है तो नमक का फलोदी का है वह १९५६ से अब तक विचाराधीन है। इस केस को ५-६ साल हो गये हैं। आप कहते हैं कि चार-पांच साल पुराने केस नहीं हैं। यह मुझे याद था जो मैं बता रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने सूचना दी है, उसके लिए धन्यवाद।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इनमें सबसे पुराना केस कौनसा है, उसकी तारीख बता सकते हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कितने केसेज़ ऐसे हैं जो सरकारी अधिकारियों के हैं और जो निलम्बित हो गये हैं और वे कितने अर्से से निलम्बित हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें ६० के अन्दर ४८० इन्क्वायरीज़ और ४२ केसेज़ नीट प्रूव्ड, १९६१ में और २ कम्प्लीट फाल्स हुई। ये १९६१ के फिगर्स मौजूद हैं। अब इसमें कितने अधिकारी सस्पेन्शन में हैं, वे इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं यह सदन की मेज पर रख सकता हूं, लेकिन आंकड़े इसलिए नहीं लाया हूं कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है। जो नाम मांगे गये थे उनको पब्लिक इन्ट्रेस्ट में देना ठीक नहीं समझा। रिलेवेन्ट बातें थीं वे सदन की मेज पर नहीं रखी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप कह सकते हैं कि अदम सुबूत कितने मामलात खारिज हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : २ मामले १९६१ में।

श्री भैरोंसिंह : जितने पेंडिंग केसेज़ है उनमें कितने केसेज़ रजिस्टर हो चुके हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : २८। ये फिगर्स मैं १९६१ के दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : २८ केसेज़ रजिस्टर हो गये हैं, बाकी पेंडिंग हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : २८ केसेज़ पंचायत, नगरपालिकाओं के हैं। ये फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार निरोधक मामले हैं उनमें कितने मामले हैं जिन्हें सरकार ने अपने पास विचार करने के लिए ले लिये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं अर्ज करूं, एन्टीकरप्शन बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड गवर्नमेंट ऑथोरिटी है इसमें सेंक्शन करती है बल्कि गजटेड ऑफिसर्स हैं, उनके केसेज़ गवर्नमेंट से एक्शन और प्रोसीक्यूशन करने की कार्य-वाही करने को एन्टी करप्शन बोर्ड में आते हैं। उसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशि-यल्स दोनों हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बोर्ड के निर्माण के बाद कितने मामलात की फाइलें सरकार ने मंगा ली है कि सरकार उन पर निर्णय देगी। ऐसे हैं मामले जिनकी फाइल सरकार ने रख ली है ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये कितने मामले हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं उनके लिए फिगर्स दे सकता हूँ, मगर वे मामले अभी मुश्किल से पांच परसेंट से ज्यादा नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या कोई ऐसा केस भी है जिसमें गवर्नमेंट ने कार्यवाही रोक रखी हो ?

श्री मथुरादास माथुर : यदि आप इसका थोड़ा प्रोसीजर समझ लें तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आवेगी। पहले पहले हम प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट के पास जो एपोइन्टिंग ऑथोरेटी है उसके पास भेज देते हैं। हर मामला एपोइन्टिंग ऑथोरेटी की सेंक्शन के बाद ही जाता है और करीब करीब ९९ पर्सेन्ट में गवर्नमेंट सेंक्शन दे देती है।

श्री रामानन्द (अलवर) : क्या ऐसे भी मामले हैं कि जिनमें गवर्नमेंट ने उनमें कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा और कार्यवाही नहीं की गई? ऐसे कितने केसेज़ हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : नगरपालिका के केसेज़ का कब तक फैसला हो जावेगा?

श्री मथुरादास माथुर : कभी कभी तो ऐसे केसेज़ होते हैं जो एनोनिमस और कोई कोई युनोनिमस एप्लीकेशन्स देते हैं। उसमें कई तरह का प्रोसीजर एडोप्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारा यह इन्ट्रेस्ट है कि किसी तरह से हो केस को पकड़ा जावे। इसमें रेगुलर एविडेन्स तो होते नहीं हैं। हमें कई प्रोसीजर काम में लेने पड़ते हैं और जितने केसेज़ को हम पकड़ पाते हैं पकड़ते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अब तक कितने आदमियों को पकड़ पाये हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बताया कि ५ पर्सेन्ट केसेज आपने अपने पास रखे हैं। उन केसेज को किस इन्ट्रेस्ट से आपने अपने पास रखे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने नहीं कहा कि ५ पर्सेन्ट केसेज को रखा है। वे डिस्पोजल के लिए पड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : पंचायतों के कितने केसेज हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता चुका हूं। २८ केसेज नगरपालिका और पंचायतों से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११.२२ म० पू०)

गांव बैराला, मोहोलाई आदि में डकैती सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

दिनांक १८ मार्च, १९६२ को डकैत जगमालसिंह तथा उसके गिरोह द्वारा गांव बैराला, मोहोलाई आदि में डकैती से सम्बन्धित श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय। आय-व्ययक पर वाद-विवाद के दौरान में इस विषय पर चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकेगा। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य दें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय १८ मार्च, १९६२ को जगमालसिंह और उसके ५ साथी ग्राम बेराला, मोहोलाई में आये और उन्होंने डकैती की। एक ऊंट और एक रेडिया गांव मोहोलाई से ले गये और ६ ऊंट और दो रेडिया गांव बेराला से ले गये। उसके बाद में वहां की आर० ए० सी० पार्टी ने उनका पीछा किया और बाप के पास होकर वे लोग पाकिस्तान की तरफ निकल गये। एस. पी. और डिप्टी एस. पी. घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी डाकुओं का पीछा किया। वे पाकिस्तान बोर्डर में घुस चुके थे इसलिए उनसे मुकाबला नहीं हो सका। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट अभी तक बोर्डर पर हैं और पाकिस्तान ओथोरेटीज़ से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये डाकू उनको सौंप दिये जावें। लोगों का भय निकालने के लिए पुलिस पार्टी, आर० ए० सी० वहां पर बराबर घूम रही है और इस वक्त जगमालसिंह और उसका गिरोह पाकिस्तान में है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरी समझ में नहीं आया कि जब ऊंट लेकर वे लोग गांव के पास से निकले और आर. ए. सी. ने जीपों से उनका पीछा किया तो फिर वे कैसे पाकिस्तान के अन्दर चले गये। जब वे पाकिस्तान के बोर्डर में घुस गये तो पीछे से आप कहते हैं कि एस. पी. और डिप्टी एस. पी. ने उनका पीछा किया और वे लोग पाकिस्तान पहुंच गये। जब पाकिस्तान पहुंच गये तो आपने उनका क्या पीछा किया? जब आर. ए. सी. के सामने से डाकू निकले तो पकड़ा नहीं और बाद में आर. ए. सी. ने उनका पीछा किया, यह क्या जवाब है? मेरी समझ में नहीं आया।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी समझ में नहीं आया मुझे खेद है।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन आप मुझे समझा नहीं सके, इसका मुझे दुःख है। ऊंट लेकर जाते हैं, वे चले जाते हैं; जीपें जाती हैं वे उनको पकड़ नहीं सकतीं।

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने कभी नहीं कहा कि आर. ए. सी. के सामने से निकले। जब डकैत डाका डाल कर चले जाते हैं और पुलिस को सूचना मिलती है तभी पुलिस जाती है। जब पुलिस जाती है तो खोज ढूंढते ढूंढते उनका पीछा करते हैं। ऊंटों के खोज ढूंढते जाते हैं। खोज बोर्डर की तरफ जाते हैं, उनके पीछे जाते हैं और जब वे बोर्डर में घुस जाते हैं तो मुठभेड़ नहीं होती है और जब मुठभेड़ होती है तो मारे जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एफ. आइ. आर. पुलिस में कितनी देर बाद मिली और पुलिस वहां से कितनी देर बाद रवाना हुई और गांव में डकैती हुई उससे बोर्डर की दूरी कितनी थी? यह मालूम हो जायेगा तब ऊंट की स्पीड ज्यादा थी या मोटर की स्पीड ज्यादा थी, यह मालूम हो जायगा।

श्री मथुरादास मथुर : डकैती होने के बाद एक रात पूरी निकल गई उसके बाद पुलिस को इत्तला मिली।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं। वे अधूरे हैं; पूरे तथ्य सामने नहीं आये हैं। चार गांवों को लूटा गया है। १५ ऊंट और काफी जेवर वगैरह भी डकैत लूट ले गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास जो सूचना है उसमें जेवर नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : जगमालसिंह के पीछे कितने केसेज़ रजिस्टर्ड हैं और कितने अर्से से हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को उसके लिये लिख रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हम इस डाकू को पकड़ने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय बतावेंगे कि इस तरह के डाके कितने अर्से से होते रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक साल पहले हुआ था। इस इलाके में इस प्रकार की घटनाएं काफी होती हैं।

श्री भीमसेन : ये डकैत प्रायः पाकिस्तान से आते हैं और लूट कर वापिस पाकिस्तान में चले जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आते हैं तो हमें आप सूचना दें। इस गैंग को लिक्विडेट करने के लिये सरकार बहुत जागरूक है। मैं निवेदन कर दूं कि मैं स्पेशल पार्टी लगाने की बात सोच रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको समाप्त किया जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार को मालूम है कि आर० ए० सी० का एक सूबेदार भी जगमालसिंह का एजेन्ट बना हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : No. This does not call for any reply.

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो अष्टग्रह यज्ञ करा कर गया था, कोई पकड़ने वाला नहीं। इस बात को मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण के अवसर पर भी कहा था।

(११.२८ म. पू०)

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के चुनावों हेतु नामजद उम्मीदवार

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं।

जनलेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी), १९६२-६३

नाम	विभाजन संख्या
१) श्री हरिदेव जोशी	(६०)
२) श्री भीमसेन	(१९)

३) श्री मानसिंह (१०६)
४) श्री नाथूलाल (१२६)
५) श्री छत्रसिंह (२७)
६) श्री ज्वालाप्रसाद (८४)
७) श्री मानिकचन्द सुराणा (१०४)
८) श्री मोहरसिंह (११४)
९) श्रीमती सुमित्रा (१६४)
१०) श्री मोहनराज (११३)
११) श्री रामकिशन (११४)
१२) श्री भैरोंसिंह (१३)
१३) श्री बालूराम (१०)
१४) श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)
१५) श्री हरिप्रसाद (६२)
१६) श्री मोहनलाल (११२)

प्राक्कलन समिति, (एस्टीमेट्स कमेटी) १९६२-६३

नाम	विभाजन संख्या
१. श्री नाथूलाल करोल	(१२६)
२. श्री केसरीसिंह	(८९)
३. श्री राधाकृष्ण गोयल	(१३७)
४. श्री नत्थीसिंह	(१२५)
५. श्री रूपाराम	(१५१)
६. श्री हरिकिशन	(६१)
७. श्री उमरावसिंह	(१७१)
८. श्री मथुरेशबिहारी	(१०९)
९. श्री देवीलाल	(३५)
१०. श्री मोतीलाल	(११६)
११. श्री किशनसिंह	(९०)
१२. श्रीमती नगेन्द्रबाला	(१२०)
१३. श्री मालमसिंह	(१०२)
१४. श्री गोकुलप्रसाद	(५१)
१५. श्री मुरलीधर	(११९)
१६. श्री रामकिशन	(१४४)
१७. श्री सम्पतलाल	(१५३)
१८. श्री अब्दुलजब्बार	(१)
१९. श्री श्योपतसिंह	(१६२)
२०. श्री दुर्गालाल	(४०)
२१. श्री धर्माराम	(३६)

जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें वे आज सदन में वक्तव्य द्वारा सायंकाल ४ बजे तक, जिसमें यही तथ्य होने चाहिये कि वे अपना नाम, वापिस लेना चाहते हैं, अपना नाम वापस ले सकते है।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत नियम

श्री नाथूराम मिर्धा (मन्त्री, पंचायत विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९५९ की धारा ७९ व २० (२) के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति (रिटायरमेंट ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्टेंडिंग कमेटीज़) नियम, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

पुरः स्थापित विधेयक

(क) राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर (पद-उन्मूलन) विधेयक, १९६२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर (पद-उन्मूलन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर (पद-उन्मूलन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(ख) राजस्थान अराईं तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक १९६२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अराईं तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अराईं तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं । अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(ग) राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं । अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन भी की मेज पर रखता हूँ ।

(घ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान सैकेन्डरी एज्यूकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

(परसराम मदेरणा)

मैं अध्यादेश के जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ङ) राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालयशुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

(च) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मंत्राणी, स्वायत्त शासन विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ को को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखती हूँ।

(छ) राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा: (कृषि मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(११.३८ म. पू.)

आय-व्ययक १९६२-६३ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

Page No 16

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय को जिन्हें नई सरकार का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मैं एक बार उन्हें इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान का कुछ दबे हुए शब्दों में आर्थिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करता है और यदि यह कहूं कि अभी तक के जितने भी बजट प्रस्तुत किये उनमें से यह एक हिस्टोरिकल बजट है, तो इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, बजट के अभिभाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि इस सरकार को ओहदानशीन हुए अभी १५ दिन ही हुए हैं, इस कारण इस बजट में जितने आवश्यक सुधार किये जाने अपेक्षित थे वे नहीं किये जा सके हैं और इसकेकारण कुछ खामियों का रह जाना स्वभाविक है। इस बात को केवल एक जगह नहीं उस भाषण में दो–तीन जगह दोहराया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यदि सरकार को कुछ समय मिलता, माननीय वित्त मंत्री महोदय १५ दिन से पहले ओहदा नशीन हुए होते तो इसमें आवश्यक सुधार किये जा सकते थे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें १५ दिन पहले ओहदानशीन होने की बात ही इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण यह है कि यह बजट, जिस बजट को बनाने का सारा कार्य राजस्थान की पिछली सरकार ने किया है उस पिछली सरकार के प्रति हमारे वित्त मंत्रीजी को विश्वास नहीं है। यह इस सरकार के प्रति अविश्वास का द्योतक है कि केवल १५ दिन का समय मिलने के कारण जो पिछली सरकार ने कुछ तजवीजें की थीं उन तजवीजों में आवश्यक सुधार नहीं किये जा सके हैं। मैं समझता हूं कि यह अपनी सरकार का एक बहुत अच्छे शब्दों में कन्डेम्नेशन है। लेकिन, खैर, इस कन्डेम्नेशन से भी आगे जिस प्रकार का राजस्थान की स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह तो वाकई में एक इस प्रकार का चित्र है जिस चित्र की ओर पिछले बजट अधिवेशन में माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था।

कई माननीय सदस्यों ने पिछले वर्ष के बजट को दिवालिया बजट कह दिया था। मुख्य मंत्री महोदय इससे बहुत नाराज हो गये थे। लेकिन मैं ऐसा समझता था कि उस समय इस 'दिवालिया' शब्द के शाब्दिक प्रयोग पर जितनी आपत्ति हुई थी उस आपत्ति का निराकरण हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने इस भाषण से कर दिया है। उन्होंने उस तथ्य को साबित भी कर दिया है। अगर भारत सरकार की मदद नहीं आती तो राजस्थान की फाइनेन्शियल पोज़ीशन बिल्कुल कोलेप्स हो जाती और कोलेप्स हो जाने के कारण आगे क्या स्थिति बनती उस स्थिति के लिये कुछ कहा नहीं जा सकता। वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि हमें मजबूर होकर रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया के अकाउन्ट्स रूल्स के खिलाफ, राजस्थान सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच जो एग्रीमेन्ट हुआ उसके खिलाफ रिज़र्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ा; भारत सरकार से लोन लेना पड़ा। इस लोन लेने से काम चलाया। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह संकेत किया कि अगर यह लोन

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं मिलता तो हमारे सामने भयंकर स्थिति पैदा हो जाती। मैं ऐसा समझता हूं मुख्य मंत्री महोदय अब इस बात को महसूस करते होंगे कि पिछले वर्ष इसी सदन के कई माननीय सदस्यों ने, जिनमें खास तौर पर आपके मंत्रि मंडल के उप वित मंत्री महोदय भी शामिल थे सरकार को दिवालिया बताया था। वह दिवालियापन सरकार का निकला नहीं; प्रत्युत इस नये बजट के कारण वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गया है। राजस्थान सरकार ने इस ओवर ड्राफ्ट को लेकर अपने सारे खर्च के सम्बन्ध में भारत सरकार से लोन लेकर जैसा कि उस समय कहा आशा नहीं की जाती कि १९६१-६२ के बजट के घाटे को पूरा करने के लिये कर लगाने के बावजूद भी भारत सरकार से सात करोड़ रुपया ओवर ड्राफ्ट लेकर काम को प्रारम्भ करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। ओवर ड्राफ्ट लिया गया। यह स्पष्ट बताता है कि राज्य सरकार का अपने फाइन्स पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं। यह सही है कि पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने हमारे इस राजस्थान के बजट को एक दस वर्ष के नादान बच्चे की संज्ञा दी थी। मैं उस समय यह समझता था कि वित्त मंत्री महोदय ने जिसको बच्चा बनाया था भारत सरकार ने राज्य की इस प्रकार की वित्तीय स्थिति को देख कर यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार के बच्चे की निगरानी करना उसका कर्तव्य है और इस-लिये उसने यह आदेश दिया कि फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फाइनेन्शियल पोज़ीशन को साउन्ड रखने के बारे में हम जिस प्रकार का आदेश दें उस प्रकार से तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हारी निगरानी करने के लिये हर तीसरे माह योजना कमीशन को हिसाब के जांच के लिये भेजा जायगा। अध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं के समय में कोई नाबालिग राजा होता था तो उसके लिये कोर्ट ऑफ वार्ड्स मुकर्रर किया जाता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंत्री महोदय बालिग हैं, हमारे पहले वाले वित्त मंत्री महोदय वृद्ध थे और वर्तमान मंत्री महो-दय भी वृद्ध हैं फिर भी योजनारूपी इस दस साला बच्चे को जिसकी कल्पना करके हम चले थे। इस दस साला बच्चे की देखभाल के लिये भारत सरकार ने भी उसको बच्चा समझा है और उसके हिसाब-किताब की जांच के लिये हर तीसरे महीने के बाद प्लानिंग कमीशन द्वारा उसकी जांच करने की बात कही है। ताकि यह बच्चा यानी हमारी सरकार आय-न्दा के लिये ओवर ड्राफ्ट लेने को पोज़ीशन में न आये। सरकार ने जो यह आदेश दिया है कोई तमाशा नहीं है। सरकार को कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा इकोनोमी की जाय; नोन प्लान्ड एक्सपेन्डी-चर को ज्यादा से ज्यादा कम करें। मैं ऐसा समझता था कि इकोनोमी के क्वेश्चन को लेकर हमारी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जिस प्रकार का वातावरण निर्माण किया था शायद उसमें हमारी सरकार को नाकामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम है कि इस इकोनोमी की बात को लेकर हमारी सरकार जिस प्रकार का प्रचार करना चाहती है वह प्रचार नहीं कर पाई है। यह जरूर है कि इसके लिये ५० लाख का एक आइटम रखा है। इस बार ५० लाख का इकोनोमी कट वह दिखाना चाहती है। हमने पिछले वर्ष भी ऐसे ही कुछ विभागों में कट करने का प्रस्ताव

(श्री भैरोंसिंह)

मन्जूर किया था, जिसके अन्दर पुलिस विभाग भी था, जिसके अन्दर २३ लाख की कटौती की जानी चाहिये थी। हमारी सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने व गृह मंत्री महोदय ने, दोनों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। फिर भी क्या कारण है कि हम इसमें कटौती नहीं कर पाये? अगर पुलिस विभाग के बजट को देखा जाय तो कटौती के स्थान पर इस बजट में ज्यादा रूपया बढ़ा हुआ पाते हैं खर्चे के मद में, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज में कटौती करना चाहते थे वह इलेक्शन की वजह से कटौती नहीं कर पाये या कटौती करना स्वीकार करके भी नहीं कर पाये। पचास लाख के कटौती का प्रावधान रखा गया है। इसके जो माइनर डिटेल्स होने चाहिये वे आये नहीं। एट-रेन्डम वे में इकोनोमी के नाम पर भारत सरकार को बताना है इसलिए पचास लाख का इकोनोमी कट बता दिया। इससे भारत सरकार को किस प्रकार से खुश कर पायेंगे, यह मैं नहीं समझ पाया। हमारी सरकार के वित मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के अन्तिम पैरे में बताया कि राजस्थान सरकार पर किस प्रकार का आर्थिक बोझा है। उसको उठाने के लिये कमर को कस लेना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार पर कोई आपत्ति आती है तो प्रत्येक सरकार के वफादार और सरकार पर विश्वास रखने वालों का जिनसे उनको राहत मिलती है ऐसे राहत मिलने वालों का और आम जनता का कर्त्तव्य हो जाता है कि सरकार के आपत्ति-काल में सहायता करे। लेकिन जो सरकार उपदेश दे और उस पर आचरण नहीं करे तो उपदेश जिनको दिया जाता है वह उपदेश असर करने वाला नहीं हो सकता। सरकार ने खुदने कहा कि पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। सरकार दूसरों को इस प्रकार का उपदेश दे उससे पहले अपने पेट के ऊपर पट्टी बांधने की कोशिश करे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ख्याल होगा, वे भूले नहीं होंगे कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति तीन वर्ष पहले आयी थी। उस समय राज्य सरकार के मन्त्रि मण्डल ने मितव्ययता का नारा लगाया था, उस नारे पर मन्त्रियों ने यह कहा था कि हमारी तनख्वाह में से दस प्रतिशत कमी करदी जाय। उसी को ख्याल में रखते हुए आज भी उसी प्रकार का समय है। मैं मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से और उनकी मार्फत गवर्नर महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप जब जनता को पेट पर पट्टी बांध लेने का उपदेश देते हैं तो पहले अपने पेट पर तो पट्टी बांधिये। उस प्रकार की कटौती दुबारा फिर करें और जनता के सामने उदाहरण रखें ताकिं जनता को यह पता चल सके कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति खराब होने जा रही है, उसको ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद अपने पेट पर पट्टी बांधना नहीं चाहते तो ऐसी हालत में दूसरे लोग पेट पर पट्टी बांध कर चलें, यह आपको विश्वास नहीं करना चाहिये। आज चाहे आप इस स्थिति को स्वीकार करें, या न करें जो भी स्थिति और आर्थिक स्थिति राजस्थान की है वह संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

यह सही है कि हमारी २३६ करोड़ की तीसरी योजना है। उसके लिए हमें हर साल

Page No 19

(श्री भैरोंसिंह)

८० करोड़ रुपये के साधन जुटाने हैं और उसके लिये बीस करोड़ के नये टैक्सेज़ भी लगाने हैं। उसके लिये १.३५ लाख के टैक्सेज़ गत साल लगाये हैं और इस साल १.२८ लाख के टैक्स लगाये हैं। यह जो सरप्लस बजट बताया गया है वह किस प्रकार से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है; यह मैं आगे चल कर बताऊंगा। आज हम जो टैक्स लगाने की बातें करते हैं उसके पीछे सरकार का कहना यह है कि अगर हम टैक्सेज़ न लगा कर अपने रिसोर्सेज को नहीं जुटाते हैं तो भारत सरकार नदी-घाटी योजना के नाम परजो सहायता हमें देने वाली है वह मिल नहीं पायेगी। इसमें आगे जाकर वित्त मंत्रीजी ने यहां तक कह दिया कि हम यह भी महसूस करते हैं कि जिन नदी-घाटी योजनाओं के नाम पर आर्थिक सहायता हमें भारत सरकार से मिलने वाली है उनका लाभ ७० तक नहीं मिलने वाला है। पर चूंकि हम कमिटेड हैं इस वास्ते ऐसा इन्वेस्ट करेंगे कि जिसका रिटर्न दस वर्ष और उसके भी बाद में मिलने वाला नहीं। मैं सरकार से पूछता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने जैसा आदेश दिया या आॅर्डर किया वह तो उसके दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है; पर क्या आप यह समझते हैं कि आज इन योजनाओं पर अधिक खर्च करें और बाकी जो छोटी योजनाएं हैं उनमें कमी करें? वित्त मंत्री ने यह संकेत भी किया है कि हमें इन छोटी योजनाओं; जैसे सेल्फ गवर्नमेंट, रोड्स, आयुर्वेद और सोशियल सर्विस को जो योजनाएं हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी और यह सब करना पड़ेगा; भारत सरकार की सहायता जिन स्कीमों में मिलने वाली है उनके लिए अपने रिसोर्सेज जुटाने के नाम पर।

राजस्थान केनाल, पोंग डैम का सरकार कहती है ७० तक रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। पर मैं समझता हूँ कि ७० के आते आते सरकार यह कहने लग जावेगी कि अभी पांच साल और रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह यह मान कर चलना चाहिये कि ७५ तक रिटर्न नहीं मिलने वाला है। उस पर राजस्थान की जनता को आज करों के बोझे से लाद कर उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर करके आगे के सब्जबाग दिखा कर यह सरकार उसको चलाना चाहती है और कहती है कि तब तक पेट पर पट्टी बांध कर मर जाओ। १३ साल बाद सस्ते अनाज का इन्तजाम करेंगे, १३ साल बाद बेकारी दूर करेंगे, तुम्हारे लिए रोजी-रोटी का प्रबन्ध करेंगे। मैं कहता हूं, आज जनता की मांग है सस्ते अनाज की, रोजगार दिलाने की, जनता १३ वर्षों तक इन्तजार नहीं करेगी। आज सरकार यह भी कर सकती है कि १३ वर्ष बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है तो उस रिज़ल्ट के खातिर आज जो एक-दो साल में जिसका रिज़ल्ट मिलने वाला है ऐसी योजनाओं में कटौती की जावे और उसका जो पैसा बचे उसे राजस्थान नहर और पौंग डैम में लगायेंगे। जो १३ वर्ष में रिज़ल्ट मिलने वाला है, हो सकता है १६ वर्षों में मिले, १६ वर्षों में मिल जावेगा, दो-चार वर्ष आगे भी मिल जावे तो इसका असर नहीं पड़ने वाला है। १३ की जगह १६ सही, पर आज उस रिज़ल्ट की खातिर जो पेट पर पट्टी बांधने की बात कही जा रही है। उसका असर पड़ता जा रहा है और सरकार कहती है; हम तो केवल उन योजनाओं के नाम पर टैक्स लगा रहे हैं। यह तो ऐसी योजना हुई जिसके सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह)

में मैं एक छोटा सा किस्सा कहना चाहूँगा।

हमारे जयपुर में भुखमरिया जाति के महाजन हैं। पूछा गया उनको कि आपको भुखमरिया क्यों कहते हैं? तो उत्तर मिला कि किसी जमाने में हमारे यहां अकाल पड़ गया और ११ महीने का अनाज घर में था। जब ग्यारह महीने से साल भर के अकाल को कैसे टाला जावे इसके लिए योजना बनाने की बात सोची गई तो एक ने कहा कि महीने में चार दिन भूखों रहा जावे, हर मंगलवार को व्रत किया जावे। किसी ने कहा पन्द्रह दिनों में एक-दो दिन भूखा रहा जावे। आखिर में एक योजना बनाने वाले थे चोटी के आदमी। उन्होंने यह योजना रखी कि पहले महीने भर तक बिल्कुल भूखा रहा जावे और फिर ग्यारह महीने तक जो ग्यारह महीने लायक अनाज है उसे हिसाब से काम में ले लिया जावे। योजना बहुमत से पास हो गई यह। अब रहने लगा वह कुटुम्ब भूखा। किसी ने दस दिन भूख में निकाले, आगे नहीं निकाल सका और समाप्त हो गया, कोई बीस दिन के बाद चल बसा और कुछ एक महीना पूरा करते न करते चल बसे। सारा परिवार समाप्त हो गया और एक महीने के बाद, इस तरह से ग्यारह महीने का अनाज बच गया। तो मैं समझता हूं कि ऐसी ही योजनाएं हमारी इस सरकार की है। वह कहती है कि पहले तो जनता की कमर तोड़ दी जावे टैक्सों के भार से और महंगाई, बेकारी, भुखमरी से और इसके बाद में सरकार यह कहती है कि १३ वर्ष के बाद में आपके लिए अनाज सस्ता होगा, बेकारी समाप्त होगी, चम्बल और गांधीसागर बांध और पोंग डैम बन रहा है उनका सबका बहुत, फायदा आगे जाकर आपको मिल जावेगा। मैं सरकार से और इस तरह की उल्टी योजनाएं बनाने-वालों से कहूँगा कि आप जनता के साथ दुश्मनी न करें। सबको एक महीने भूखों मार कर ११ महीने का अनाज बचाने की बात न कहें। आज जो जनता दुःखदायी स्थिति में है उसे अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है कि उन बड़ी बड़ी मदों के अन्दर जिनका रिटर्न अभी नहीं मिलने वाला है, १३ वर्षों के बाद मिलने वाला है, कटौती करें; भले ही इन कटौतियों से यह रिज़ल्ट १३ वर्ष के बदले हमें १६ वर्ष में मिले, इसकी चिन्ता नहीं, पर आज तो हम जीवित रह सकें इसके लिए इस कटौती से हुई बचत को उन कामों में-उन छोटी छोटी योजनाओं में आप खर्च करें जिनका अगले वर्ष ही-एक-दो वर्ष में ही लाभ मिलने वाला हो। राजस्थान की मेजर प्रोजेक्ट को रकमों को घटा कर आप माइनर इर्रिगेशन में, कुएं और छोटे छोटे बांधों के बनाने में उस रकम को लगावें, किसान को काफी राहत और मदद दी जावे। इनके लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि १३ वर्षों के बाद मिलने वाला फायदा हमें धीरे धीरे करके अगले वर्षों से ही मिल जावेगा। पर यह सरकार वह लाभ नहीं लेना चाहती। इसने माइनर इर्रिगेशन के बारे में कटौती की है और अब जब इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान हम दिलाते हैं तो सरकार का हमें जवाब मिलता है कि यह कटौती हम अपनी मर्जी से नहीं करते; बल्कि इसलिए करते हैं कि प्लानिंग कमीशन नहीं मानता और चूंकि प्लानिंग कमीशन नहीं मानता, इसलिए

Page No 21

(श्री भैरोंसिंह)

मजबूर होकर हम ये कटौतियां करते हैं। मैं कहता हूँ आपको कि यह प्लानिंग कमीशन कोई हमारी इम्पोज्ड ऑथोरिटी नहीं है; केवल एक एडवाइज़री बोडी मात्र है। उसकी राय है कि राजस्थान नहर के लिए हम कटौतियां करें अब यह हमारी मर्जी है कि हम करें या नहीं करें। हमारे हित की बात जिसमें होगी, हम वह करेंगे। राजस्थान नहर की, चम्बल नहर की, पोंग डैम की ये बातें मन्जूर करें या न करें, यह हमारे हाथ की बात है। पर प्लानिंग कमीशन को अगर हम ऊपर से सुपर ऑथोरिटी मान कर चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह लेजिस्लेटिव असेम्बली, यह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यह सारा जो जनतन्त्री ढांचा है यह सारा का सारा उस प्लानिंग कमीशन के मातहत रहने वाला ऐसा संगठन है। जिसे आदेश प्लानिंग कमीशन से मिले उस आदेश की तामील इस सरकार को करनी पड़ेगी। अगर हम इन मामलों में संशोधन नहीं कर सकते, अपनी स्थिति के अनुसार हम अपनी योजनाओं का रूप निर्धारित करने में स्वतन्त्र नहीं हैं, तो अच्छा यह हो कि जिस प्लानिंग कमीशन के मातहत यह विधान सभा बन्धक की तरह है उस प्लानिंग कमीशन के प्रतिनिधियों को यहां बुला लिया जावे और उसके सामने हमारे राज्य की दयनीय स्थिति का पूरा खाका खींचकर रख दिया जावे। अगर उस दयनीय स्थिति को देख कर, सुन कर और समझ कर कुछ हमारे पर दया आ जावे तो अच्छा है। तो यह मेरा सुझाव है। पर बदकिस्मती यह है कि सरकार इसको भी स्वीकार करनेवाली नहीं है।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि आज केवल सिंचाई और बांधों का ही सवाल नहीं है। हमारे राजस्थान में जैसा माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने पिछले भाषण में पिछले दिनों कहा था कि जैसा राजस्थान हमको विरासत में मिला उसमें हमें मकान बनाने पड़े, नींवें भी हमें ही खोदनी पड़ीं, नींवें भरने का काम भी हमें करना पड़ा, उस मकान में रहने वालों की व्यवस्था भी हमें ही करनी पड़ी; ये सारे काम साथ साथ हमें करने पड़े और वैसी स्थिति में जितना विकास हम कर सके हैं उससे हमने आगे के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की है और उसी के आधार पर हम इस राजस्थान का आगे औद्योगिक विकास करेंगे।

यह बात हम स्वीकार करके चल सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि किस प्रकार का राजस्थान का औद्योगिक विकास वे करने जा रहे हैं, इस पर विस्तार से तो इस विभाग को मांग पर कहूँगा, पर आज इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो औद्योगीकरण हो रहा है उसमें भारत के जितने करोड़पति हैं वे अपना मायाजाल फैला रहे हैं। आप हिसाब लगा कर देख लें। नये नये कल कारखानों के ३६ लाइसेन्स दिये गये हैं राजस्थान में इनमें हम नई नई फैक्टरियां खोल रहे हैं, नये नये मिल लगा रहे हैं, नये नये सीमेंट के कारखाने लगा रहे हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े उद्योग कह सकते हैं उन सब में भारत के वे ही करोड़ पति हैं जिनके बारे में भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है कि भारत की जो पूंजी बढ़ी है वह पूंजी, वह सम्पत्ति क्या जनता के हाथों में गई और अगर नहीं गई तो फिर वह बढ़ी हुई पूंजी किनके हाथों में जाकर केन्द्रित हुई और इसमें उन करोड़-

(श्री भैरोंसिंह)

पतियों का नाम आ रहा है। आज वही मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी वे करोड़पति लेकर यहां आ रहे हैं और जनता के सारे धन को अपने ही हाथों में केन्द्रित करने की उन्होंने कोशिश की है; राजस्थान में इन्डस्ट्री खोलने के नाम पर, राजस्थान को इन्डस्ट्रियलाइज़ करने के नाम पर। आप देख लीजिये नमूना आपके सामने है। चित्तौड़ का सीमेन्ट कारखाना उन्हीं बिड़लाजी के हाथ में है, उदयपुर की मिल्स विजयनगर, भवानीमण्डी और किशनगढ़ की मिलें किनके हाथ में हैं; ब्यावर की एडवर्ड मिल अभी अभी टांटिया साहब ने अपने कब्जे में कर ली है; तो ये सब करोड़पति धीरे धीरे सब जगह अपना मायाजाल फैला कर राजस्थान की पूंजी को भी अपने हाथों में करने की चेष्टा कर रहे हैं।

मैं सरकार से कहूंगा कि राजस्थान का डेवलपमेन्ट अगर करना है तो कोटेज इन्डस्ट्री, स्माल स्केल इन्डस्ट्री आदि इनको भी साथ लेकर चलना होगा। केवल इन बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रियों से राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। इन दोनों को साथ रख कर राजस्थान का विकास करना पड़ेगा और इसके लिये यह आवश्यक होगा कि बड़े और छोटे कल-कारखानों में आप कोऑर्डिनेशन बैठावें। आप इसके लिये एक डिमार्केशन लाइन तै कर दें कि अमुक प्रकार का माल बड़े कल कारखानों में तैयार होगा और अमुक प्रकार का माल कोटेज इन्डस्ट्री में तैयार होगा। अगर आपने इस तरह से लाइन ऑफ डिमार्केशन तय नहीं की, तो न लोगों को रोज़गारी मिलेगी पूरी तरह से और न यहां की बेकारी और भुखमरी ही दूर होगी और न राजस्थान की आर्थिक स्थिति ही सुधरेगी। आपको यह करना होगा कि हर व्यक्ति को काम करने का मौका मिले। राजस्थान की जन-साधारण जनता को बेकार न रखने के लिए और हिन्दुस्तान के लिये भी और इस राज्य के लिये भी यह आवश्यक है आज की कोटेज इन्डस्ट्री, स्माल स्केल इन्डस्ट्री पर ज्यादा ताकत लगाई जावे। प्रोडक्शन के लिए डिमार्केशन की व्यवस्था कर दो कि इन दो-चार आइटमों को स्माल स्केल इन्डस्ट्री पैदा करें और बाकी को बड़ी फैक्ट्रियां और इस तरह से स्माल स्केल इन्डस्ट्री और कॉटेज इण्डस्ट्री बड़ी फैक्टरियों को सप्लाईमेंट करें दोनों एक दूसरी की पूरक बनें और पूरक बन कर चलें तो मैं यह कह सकता हूँ कि जिस पूंजी के विकेन्द्रीकरण के खतरे की बात कही जाती है उसका केन्द्रीकरण कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होने का खतरा नहीं रहेगा बल्कि उसका स्माल स्केल इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री से लेकर बड़ी इन्डस्ट्री तक विकेन्द्रीकरण हो जावेगा। पर बदकिस्मती है यह हमारी आज कि समाजवाद का नारा लगाने वाली यह कांग्रेसी सरकार पूंजी के विकेन्द्रीकरण की ओर चल रही हैं समाजवाद के नाम पर। यह मेरा कथन सही है। वित्त मन्त्री महोदय ने भी साहस किया है मेरी बात को स्वीकार करने का। जिस समाजवाद का आज यह सरकार पग पग पर नारा लगा रही है उसका कहीं भी वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में खुल कर कोई संकेत नहीं दिया। है कल्याणकारी राज्य आज उसको कहा गया है। उसके लिये भी उन्होंने साहस से काम लिया है और कहा है कि हमारा जैसा राज्य है वैसा है; जिसको जो

(श्री भैरोंसिंह)

मर्जी आवे सो नाम लो। इसके लिये वे नहीं कहते; वह राज्य चाहे समाजवादी कहा जाय, चाहे कॉम्युनिस्ट, जो कुछ नाम देना चाहें दें; हमारा राज तो जैसा है वैसा है। यह संयोग की बात है कि आज हमारी सरकार समाजवाद को बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी शायद समाजवाद का नाम लेकर प्रगतिशील कहलाने की बात कहते होंगे। हम समाजवादी हैं इसलिये प्रगतिशील हैं।

(१२.०० मध्यान्ह)

मेरे समाजवादी मित्र यदि नाराज न हों तो मैं कह दूं कि सदन के अन्दर मुझे ४ प्रकार के समाजवादी लगते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, प्रजा-समाजवादी लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं और समाजवादी दल के लोग कहते कि हम समाजवादी हैं और साम्राज्यवादी मित्र कहते हैं कि हम समाजवादी है। मेरे जैसे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के दिमाग में यह आना मुश्किल है कि यह समाजवाद क्या बला है; कौन असली समाजवादी हैं और कौन से नकली हैं और कौन से फसली समाजवादी हैं और कौनसे समाजवादी काम चलाऊ हैं ? यह पता नहीं चल रहा है कि यह समाजवाद है क्या ?

एक माननीय सदस्य : आपकी बुद्धि में आने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं आने वाला है और मैं कहता हूँ कि समाजवाद क्या है, यह किसी की समझ में नहीं आये तो बहुत अच्छा हो। इसको समझ गये तो समाजवाद को आप अपने आप खत्म कर देंगे।........

एक माननीय सदस्य : धीरे धीरे आ जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप समाजवाद की बात को खत्म कराने की चिन्ता में हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि आज समाजवाद का मोटा रूप देखें कि हमारी सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम पूंजी को कुछ हाथों में केन्द्रित नहीं होने देना चाहते। लेकिन सरकार दूसरी तरफ यह भी मानती है कि पूंजी कुछ ही हाथों में केन्द्रित हुई है और जब कुछ हाथों में ही पूंजी केन्द्रित होती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार पूंजीवाद में विश्वास रखती है। आज अमेरिका में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है। अगर इस प्रकार से होता है कि यह एक प्रकार का साम्राज्यवाद है, जिसमें सारी शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित होती है। जिस प्रकार का साम्राज्यवाद हमें रूस और चीन में देखने को मिलता है; जहां सारी जनता की शक्ति केवल सरकार के हाथों में सीमित हुई है। वहां केवल सरकार शक्तिशाली है और वहां जनता का कोई लेन-देन नहीं है। एक तरफ सारी शक्ति सरकार के हाथों में केन्द्रित होती है और दूसरी तरफ सारी शक्ति कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होती है और इस प्रकार की व्यवस्था यदि हमारे भारत में है तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर इस केन्द्रीयकरण के प्रति एक जबरदस्त

Page No 24

(श्री भैरोंसिंह)

आंदोलन चलाना पड़ेगा और उस आंदोलन में यह भी कोशिश करनी पड़ेगी कि सरकार के हाथों में शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो और न पूंजीपतियों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीय-करण हो । लेकिन साथ ही साथ इसके विपरीत यह भी करना पड़ेगा कि यदि हम जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो हमारी शक्ति जनता के हाथों में केन्द्रित हो और सरकार जनता के हाथों में एक गुलाम के रूप में हो। प्रजातन्त्र का यदि वास्तव में विकास करना है तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में,प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में पूंजी का विकेन्द्रीकरण ऐसा करना पड़ेगा कि पूंजी एक जगह सिमट कर इकट्ठी न हो और उसका जनता के शोषण के लिए उपयोग न किया जाये। हमारे सम्यवादी मित्र नाराज होंगे, पर वे बता दें कि कौन से देश के अन्दर सारी शक्ति प्रजा से निकल कर, सारे साधन प्रजा से निकल कर सरकार के हाथों में केन्द्रित हुए हैं ? प्रजातन्त्र और समाजवाद दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । प्रजा-तन्त्र चलाना है तो प्रजा के हाथों में सारी शक्ति रखनी पड़ेगी और सारी शक्ति को केन्द्रित करने की व्यवस्था हिन्दुस्तान में नहीं चल सकती और अगर चलती है तो, वह जबरदस्त विडम्बना है । हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवाद ला रहे हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय,आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा राजस्थान सरकार ने नहीं लेकिन भारत सरकार ने जो बताया है वह यह है कि १६४७ के अन्दर एक आदमी की कम से कम आमदनी और अधिक से अधिक आमदनी इन दोनों में अनुपात था वह १ और ११० का था और जब समाजवादी सरकार-कांग्रेस की समाजवाद लाने वाली सरकार आई तो १६५६ में वह अनुपात आपको यदि ध्यान हो तो वह १ और ११० का जो पहले था उससे कम नहीं हुआ, बल्कि वह १ और ३२० का हो गया । अब यह इतना बड़ा अन्तर यह संकेत करता है कि हमारे यहां पर समाजवाद नहीं है । अब हमारी राजस्थान सरकार यहां जिस समाज-वाद को लाकर आर्थिक विषमता मिटाना चाहती है वह नहीं मिटी है और दूसरी ओर दूसरे लोगों के पास जाकर यह आमदनी जमा हुई है । जितनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, जितनी राजस्थान की इनकम बढ़ी है उसको देखने से मालूम पड़ता है कि पर-केपिटा इनकम नहीं बढ़ी है । यह इस बात का संकेत करता है कि हमारे देश के अन्दर आमदनी के अनुपात में पर-केपिटा इनकम नहीं बढ़ी और वह आमदनी कहीं दूसरी जगह जाकर कन्सन्ट्रेटेड हो गई । अभी भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्ति की है, उसके क्या परि-णाम निकलेंगे; यह परिणाम तो देखने की चीज है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो परिणाम मिलते हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के अन्दर एक तरफ तो पूंजीवादी पनप रहे हैं और यदि गरीब रोटी की मांग करें तो उनके लिए समाजवाद ! दोनों चीजें एक साथ चलती हैं । हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में एलान करके विकेन्द्रीकरण का स्टैप उठाया और विकेन्द्रित व्यवस्था में भी विश्वास किया है । इससे आज की विकेन्द्रित और अर्थ-व्यवस्था का संकेत मिलता है, पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती जा रही है और गरीब दिन-ब-दिन गरीब होते जा रहे हैं । ऐसी हालत में आप

(श्री भैरोंसिंह)

इसको कैसे समाजवाद बताते हैं; यह मेरी समझ में नहीं आता । इनकम की इस डिस्पेरिटी के बावजूद राजस्थान की इनकम और पर-केपिटा इनकम में जिस प्रकार का ग्रोथ है, जितनी लो परसेन्टेज है उसके बेसिस पर कैसे मान कर चल सकते हैं कि गरीबों की आमदनी बढ़ी है ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपना उत्तर देंगे और डिमाण्ड आएगी उस समय सदन को बताने की चेष्टा करेंगे । बाकी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में कुछ टैक्सेज़ को, कुछ पे-स्केल्स की और कुछ बाकी विषयों की चर्चा की गयी है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि पे स्केल्स के मसले पर शायद हमारी सरकार ने कुछ मजबूरियां जाहिर की हैं। बजट जब भी किसी सरकार का प्रस्तुत होता है तो वहां की जनता यह एक आशा लेकर बैठी रहती है कि उनको बजट से कुछ राहत मिलने वाली है । यही बात राजस्थान में हुई । यहां की जनता को विश्वास था कि उनको राहत मिलेगी । लेकिन जब उनको राहत नहीं मिली तो वह बड़ी निराश हुई । सारे सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि इधर आज हमारा बजट प्रस्तुत हो रहा है और उधर हमारे फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी; और उस पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है और उसके अनुसार बजट में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और उनके आधार पर हमारे वेतनों में कुछ वृद्धि होगी; ऐसा यहां के सरकारी कर्मचारी सोच रहे थे । लेकिन जिस समय उन्होंने बजट देखा उसमें हमारी सरकार ने तो कह दिया कि जिस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी, इमोल्युमेन्ट्स के पोइन्ट्स को देखा था तो उस समय एस्टीमेट किया था कि इसमें ४ करोड़ का खर्चा होगा; लेकिन आज सारी स्थिति का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह खर्चा ७ करोड़ से भी ऊपर जायेगा और यह सब इस बात का संकेत है कि आइन्दा हम किसी प्रकार के इमोल्युमेन्ट्स बढ़ाने वाले नहीं हैं । ऐसा संकेत इसलिए लगता है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट में एक जगह यह संकेत किया है कि हम तो सरकारी खर्चे को जनता की निगाह में एक प्रिविलेज नहीं बनाना चाहते और वह प्रिविलेज इस नाते से नहीं बनाना चाहते कि जनता के आदमी तो गरीब रहें और सरकारी आदमियों को तनख्वाह मिले और उनको और दूसरी तरह की सहूलियतें प्रदान हों । लेकिन इसके साथ ही साथ वे आगे कह गये कि कुछ आंशिक रूप से उनकी कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की जायेगी । मैं कहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो यह दबी जुबान में मन्जूर किया है वह आपको इन आंकड़ों से सही सिद्ध नहीं होता और वह इसलिए नहीं होता कि आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने अपना जो रिप्रेज़ेन्टेशन पेश किया था उसमें आपने इस बात की ओर संकेत किया था कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के इमोल्युमेन्टस भारत सरकार के कर्मचारियों से कम हैं। सैकण्ड पे कमीशन की रिपोर्ट के कारण और इसके कारण लोगों में एक प्रकार की गलत फहमी पैदा हो रही है । उस सारी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार से ग्रान्ट-इन-एड ज्यादा से ज्यादा मिले और आपने जिस मद के ऊपर ग्रान्ट-

(श्री भैरोंसिंह)

इन-एड ली है, जिस मद को दिखा कर असली रुप में फाइनेन्स कमीशन के सामने रख कर जो आपने मदद ली है उसके बाद आज आप यह कहें कि हम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो मैं समझता हूं कि यह सिवाय इसके कि हम पैसे लें किसके नाम के ऊपर और खर्चा करें किसके नाम के ऊपर हमारी सरकार को तो ऐसी आदत है। आर० ए० सी० के १५ रुपये बढ़ाने की बात थी। उसको हमारी सरकार दबाकर बैठ गयी, लेकिन जिस समय फाइनेन्स कमीशन आया उसके सामने यह बात खुलने लगी तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह देखा कि फाइनेन्स कमीशन इस पर और जानकारी करें उसके पहले चाहे बजट भाषण में कहा हो कि पुलिस के कर्मचारियो की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन जिस समय फाइनेन्स कमीशन के सामने आने की बात हुई तो मुख्य मन्त्री महोदय सदन के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि आर. ए. सी. के लोगों की १५ रुपये माहवार की तनख्वाह बढ़ाई जाती है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि आपको जो भारत सरकार से रकम मिली थी, उस आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी के सिपाहियों की रकम को रोकने का क्या अधिकार है? आज मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मसले को लेकर भारत सरकार से बड़ी हुई ग्रान्ट-इन-एड ली को है उस ग्रान्ट-इन-एड में सरकारी कर्मचारियों हक नहीं मिले तो उस हक को रोकने का क्या अधिकार है ? आप नहीं रोक सकते। आपने जिस मद में ग्रान्ट-इन-एड ली है उसी मद में खर्च करना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया कि पिछली बार ग्रान्ट-इन-एड ४३.०७ करोड़ थी और अब की बार ६३.०७ करोड़ की सहायता मिली है; २० करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। २० करोड़ ज्यादा मिलने पर भी आज यह सवाल करके चलें कि ४ करोड़ से ७ करोड़ हो गये इसलिए हम सरकारी कर्मचारियों को एक प्रिविलेज्ड क्लास नहीं बनाना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रान्ट-इन-एड जो भारत सरकार से मिली है उस मद में सरकारी कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए उतनी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। मुख्य मंत्रीजी ने शायद अपने भाषण में पिछली बार कहा कि जनसंघ यह प्रचार करके चलता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के १२५) रु० किस प्रकार से किये जायं; यह मैं समझता हूँ कि विरोधी दल में बैठ कर मैं इस प्रकार के डिटेल्स आपको बता सकूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने मामले को उल्टा समझा है। वह चाहती है कि जनता की क्रय शक्ति बढ़े। क्रय शक्ति नहीं बढ़ायेंगे तो मंहगाई को काबू नहीं कर सकते, मंहगाई को रोक नहीं सकते, क्रय शक्ति यदि नहीं बढ़ती है। यदि जनता के हाथों में पैसा नहीं रहा, जनता की जेब में खर्च करने की यदि शक्ति नहीं रही तो इसका परिणाम भयंकर रूप से हमारे सामने आयेगा। सरकारी कर्मचारियों की १२५) रु० तनख्वाह यदि आप करना चाहते हैं तो मैं उसी बजट के अनुसार वह मद बताना चाहता हूं जिसको बजट के रूल्स के खिलाफ केपिटल एकाउन्ट में शामिल करके रेवेन्यू एकाउन्ट पर भार डाला गया है। इसके अन्दर आपने दिखाया है १३७ करोड़ जमीनों की बिक्री की जो रकम आई है वह

(श्री भैरोंसिंह)

केपिटल अकाउन्ट में शामिल की गई है; वह फाइनेन्स के रूल्स के खिलाफ है। मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि जो चीज़ बजट के रूल्स के खिलाफ है वह केपिटल एकाउन्ट में क्यों शामिल की गई है; लेकिन आपने उसको केपिटल एकाउन्ट में डाल कर रेवेन्यू की मद के अन्दर ज्यादा से ज्यादा भार डाला है। जो १३७ करोड़ और ९ करोड़ रुपया ट्रान्सपोर्ट विभाग का ट्रान्सपोर्ट की बसेज़ से जो आमदनी होने वाली है इस तरह से कुल १४६ करोड़....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : १४६ करोड़ नहीं, १४६ लाख है।

श्री भैरोंसिंह : तो १४६ लाख रुपये को, सारे के सारे को केपिटल एकाउन्ट में शामिल करने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं कि यदि इस लाइट के अन्दर हम इस मसले पर विचार करेंगे और विचार करके आगे बढ़ेंगे तो सरकार कैसे कटौती नहीं कर सकती है ? राजस्थान सरकार के बजट में कैसे कोई बचत नहीं कर सकते ?

मैं सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। आप भी मानते हैं कि राजस्थान के अन्दर आर्थिक संकट है और वित्त मंत्रीजी ने सुझावों के लिए आमन्त्रित किया है तो मैं सरकार के सामने सुझाव रखता हूं कि सरकार ने इस बात का संकेत किया है कि फाइनेन्शियल मैटर्स में वार की स्थिति पैदा हुई है। वार की स्थिति का मतलब यह है कि जिस भाग में लड़ाई होती है तो कमान्डर, ब्रिगेडियर बंगलों में नहीं रहते हैं, बल्कि टेन्ट लगा कर सारी रात गर्मी और सर्दी में उनके अन्दर पड़े रहते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि देश में इस प्रकार का आर्थिक संकट पैदा हुआ है उस सरकार से कहना चाहूंगा कि फालतू का खर्चा जो बिल्डिंग्स पर करती जा रही है उस खर्च को रोक दे। जगह जगह कलेक्टर्स की बिल्डिंग्स, जगह जगह सेशन्स कोर्ट की बिल्डिंग्स, जगह जगह तहसील कि बिल्डिंग्स; इस तरह से जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उन बिल्डिंगों से राहत नहीं मिलनेवाली है; बिल्डिंगों से प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है। अगर हमें जनता को न्याय प्रदान करना है तो झोंपड़ियों से न्याय ले सकते हैं। शिक्षा देने की बात है तो टेन्टों के अन्दर बैठ कर शिक्षा ले सकते हैं। सरकार अनप्रोडक्टिव मदों में खर्च जाय और घाटा बताती जाय तो यह आज हमारी स्थिति नहीं है। यदि सरकार समय दे तो बजट के अन्दर से आंकड़े निकाल कर बता सकता हूं कि बजट में १३० लाख रुपये सरकार ने, पिछली सरकार ने इमारतें बनाने में खर्च किये है वे १३० लाख रु० इमारतों पर खर्च नहीं किये जाते और जनता की बाकी के अन्य मदों पर खर्च किये जाते तो १३० लाख खर्च करने के बाद हमारा प्रोडक्शन बढ़ता और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती। लेकिन कहीं पर थाने की बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर कलेक्टर की बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर और दफ्तरों की बिल्डिंग बन रही हैं, कहीं पर पंखे लग रहे हैं, कहीं पर खस की टट्टियां लग रही हैं, कहीं पर फर्निशिंग का काम हो रहा है। आज जो गरीब सरकार है वह गरीब सरकार इस तरह से एकोमोडेशन और बिल्डिंग पर खर्च नहीं करे।

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार गरीब जनता को पेट पर पट्टी बांधने की बात कहती है तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी मेरी बात को स्वीकार करेंगे और बिल्डिंग्स के कन्स्ट्रक्शन को रोक दें तो मैं दावे से कहता हूं कि १२५) रु० सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह करके दिखा सकते हैं इसी बजट में। लेकिन वे ऐसा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिर गांवों में जाकर क्या बतायेंगे कि हमने क्या विकास किया है। वे स्कूलों की बिल्डिंग्स को बता दें, कलेक्टर की बिल्डिंग के लिए बनीपार्क में जाकर कह दें कि सुधार हो रहा है। तो बिल्डिंगों का निर्माण करके वे सुधार दिखाना चाहते हैं। ये वास्तविक सुधार नहीं है। यह वास्तविक सुधार तो लोगों की आमदनी, लोगों की पर-केपिटा इनकम कितनी बढ़ी है उसमें है। आपकी पर केपिटा इनकम दूसरी पंचवर्षीय योजना में जैसा कि आपने बताया है, मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ गवर्नर के एड्रेस के आधार पर नहीं, वह जो ऑल इण्डिया पर-केपिटा इनकम है उससे कम है। ऑल इंडिया पर-केपिटा इनकम की जो रेट ऑफ ग्रोथ है उस रेट ऑफ ग्रोथ के मुकाबले में राजस्थान की पर-केपिटा इनकम की रेट ऑफ ग्रोथ कम है। ऐसी हालत में इतने रिसोर्सेज मिल भी गये, भारत सरकार से सहायता भी ले ली फिर भी पर-केपिटा इनकम वहां की बढ़ जाती है तो उसका मुकाबला किस तरह से कर पायेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमारी इनकम नीचे रहेगी उस समय तक वह पेट पर पट्टी बांधने वाली सरकार बाकी सब मसलों पर पेट पर पट्टी बांध कर नहीं चले तो इसका मतलब यह है कि सरकार उसको रोक नहीं सकती। सरकार का फाइनेन्स पर कन्ट्रोल नहीं है। आज, कन्ट्रोल फाइनेन्स पर सरकार की नौकरशाही का है। इसी नौकरशाही ने इन १० वर्षों के अन्दर प्लान को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया है कि इस प्लान के द्वारा दुनियां भर की जो कमी थी वह पूरी कर दी, लेकिन यह आर्थिक संकट कहां दूर कर दिया गया? उस नौकरशाही ने वर्तमान वित्त मंत्रीजी के सामने असफलतां प्राप्त की तो दूसरा रास्ता बता दिया कि जो कुछ १० वर्षों में किया गया है उसका कन्डेम्नेशन कर रहे हैं। उन्होंने सब का कन्डेम्नेशन कर दिया कि जो कुछ १० वर्षों में किया है वह कुछ नहीं किया है, फालतू किया है। यह उनकी एक सूचना है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार का यह कन्फेशन है। हम यह स्वीकार करना चाहते हैं। उस नौकरशाही से संघर्ष करने के लिए भी उसी प्रकार का माद्दा होना चाहिए। वह माद्दा हो भी सकता है। लेकिन जिस वक्त तक असलियत को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमको नौकरशाही रास्ते में अटकाने की, रास्ते से हटाने की हर प्रकार की कोशिश करेगी। मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के खास तौर से उन लोगों की स्थिति तो देख ली, जिन लोगों की स्थिति को लेकर हम कुछ आगे के विकास के काम करना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं उन आंकड़ों में तो नहीं जाता, लेकिन फूड इन्डेक्स बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस इन्डेक्स बढ़ रहे हैं; एक तरफ तो १४८ हुआ है और

Page No 29

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी तरफ १२५.२ हुआ है। वे इस बात का संकेत करते हैं कि प्राइसेज़ दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इसी चीज के साथ बाकी की हमको सहूलियतें मिलनी चाहिए वे सहूलियतें भी हमको मिलती नहीं हैं। अब ऐसी हालत में यदि हम यह थोड़ा देख कर चलें कि इसके साथ ही कॉमन मैन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है क्या। यदि उसमें कोई सुधार हुआ है तो उस सुधार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन यदि हम एग्रीक्लचरल लेबर का सवाल लें तो एग्रीकल्चरल लेबर की राजस्थान में एक-तिहाई पोपुलेशन है। उस एक-तिहाई पोपुलेशन की पर-केपिटा इन्कम राजस्थान के बाकी के लोगों की पर-केपिटा इन्कम से कम आती है। इसी तरह से राजस्थान में जो पर-केपिटा इन्कम एग्रीकल्चरल लेबर की होनी चाहिये वह जो नेशनल पर-केपिटा इन्कम लेबर की है उससे ३४ परसेन्ट कम है। जब यह स्थिति आती है तो हमें इस सेक्शन के बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। राजस्थान का एक-तिहाई पोर्शन रूरल पोपुलेशन का एक-तिहाई जो पोर्शन है उसकी इन्कम राजस्थान की एक-तिहाई इन्कम से कम और हिन्दुस्तान की पर-केपिटा इन्कम से ३४ परसेन्ट कम है। यह सुना करते हैं कि यह वन-थर्ड पर-केपिटा इन्कम भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। इस मसले को छोड़ कर चलें तो भी ऐसा विचार करना पड़ेगा; आखिर सारी आमदनी का प्रोपोर्शन प्लान में इतना इन्वेस्टमेन्ट करने के बावजूद भी गिरती जा रही है; उसका क्या कारण है ? इसका कारण केवल एक ही है। आज हम उन आवश्यक बातों पर ध्यान देकर नहीं चलते। इन्डसट्रियल लेबर को लेकर चलें तो नेशनल इन्कम में जितनी वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में जितनी वृद्धि होनी चाहिये वह नहीं हो सकती है। सन् ४८ से लेकर ५८ तक उनकी इन्कम कॉन्स्टेंट रही है, बढ़ी नहीं है। जितनी नेशनल इन्कम बढ़ी है उतनी भी नहीं बढ़ी है आज जो इन्डेक्स नम्बर है १३२.७ और १०२.६ उनमें कोई तालमेल नहीं है नेशनल इन्कम से तालमेल नहीं है, प्रोडक्शन से तालमेल नहीं है। जब दोनों का तालमेल नहीं बैठता है तो चिन्ता का कारण बनता है।

अब सरकार ने जो टैक्सेज़ के बारे में बातें कही है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार टैक्सेज़ बढ़ा रही है। १२८ करोड़ रुपयों के टैक्सेज़ बढ़ाये है........

एक माननीय सदस्य : १२८ करोड़ नहीं, १२८ लाख।

श्री भैरोंसिंह : हां, १२८ लाख रुपयों के टैक्सेज़ बढ़ाने पर हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा कि यह कड़वी गोली है। उन्होंने इस कड़वी गोली पर कुछ शुगर लगाने की चेष्टा की है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे जो कड़वी गोली दे रहे हैं उसे खायेगा कौन ? उनको शायद मालूम नहीं है कि आपके पहले के वित्त मंत्रीजी ने इसको खाने के लिये १० वर्ष का बच्चा पैदा कर रखा है। उस १० वर्ष के बच्चे को यदि यह कड़वी गोली दी गई तो आप उसकी हत्या कर बैठेंगे। इससे केवल वही नाराज नहीं होगा लेकिन राजस्थान की जनता नाराज होगी और राजस्थान की जनता श्राप देगी और उसके कारण राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

परेशान हो जायेगा ।

आपने १२८ लाख रुपयों के टैक्सेज़ लगाये, लेकिन यह नहीं देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी टैक्स देने की कितनी है । उस पर भारत सरकार के टैक्सेज़ हैं, राजस्थान सरकार के टैक्सेज़ हैं, डाइरेक्ट-इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं, नगरपालिका के टैक्सेज़ हैं, पंचायत और पंचायत समिति के टैक्सेज़ हैं और उसके बाद में राजस्थान की जनता की केपेसिटी कितनी है जो टैक्स दे सकें । नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें बढ़ोत्तरी नजर नहीं आती है, बाकी के मदों में किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हो रही है और उधर टैक्सेज़ से रेवेन्यू लगातार प्रोग्रेस कर रही है, यह किस बात का संकेत है ? यह इस बात का सुबूत है कि राजस्थान सरकार टैक्सेज़ तो बढ़ा रही है लेकिन नोन टैक्स रेवेन्यू बढाने की कार्यवाही नहीं करना चाहती । चाहे फॉरेस्ट की इन्कम हो, चाहे दूसरे मदो की हो, उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि यदि फॉरेस्ट से आमदनी होने वाली होती है, तो उसमें बाधा पहुंचाई जाती है । पानरवा के केस को लेकर राजस्थान विधान सभा में पहले चर्चा हो चुकी है और उसका फल यह निकला कि मुकदमा कोर्ट में गया । लेकिन अब जानकारी मिली है कि कोर्ट में चलने वाले उस पानरवा के मुकदमे को चुनाव से पहले सरकार ने वापिस ले लिया है । मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि वे स्पष्ट करें कि चुनाव से पहले उदयपुर में चलनेवाले पानरवा के मुकदमे को वापिस लेने का क्या कारण है ? वे कहेंगे कि लॉ डिपार्टमेंट ने ऐसी ही राय भेजी थी । मैं उनसे यह पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने मुकदमा चलाने की राय पहले दी थी और जिनकी राय से मुकदमा चलाया था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई यदि उन्होंने मुकदमा चलाने की गलत राय दी तो थी ? लेकिन लगता है कि उससे चुनाव पर फर्क पड़ने वाला था इसलिये उसे वापिस ले लिया ।

खैर, इस चुनाव में इससे मुख्य मंत्रीजी को सहायता मिलती थी तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि वे इससे सहायता लें । लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की चेष्टा करनी पड़ेगी । लेकिन बढ़ाते नहीं है; वैसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे बढ़ाने के लिये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल को करने की चेष्टा करें । आप माइन्स पर रॉयल्टी लगावें या जो रॉयल्टी लगाते हैं उस पर जितना कंट्रोल किया जा सके उतना कंट्रोल करने की चेष्टा करें । जहां इस प्रकार से यह सही है कि टैक्स लगावें; पूंजी में या इन्कम में जो एक प्रकार की डिस्पैरिटी है उसको दूर करने का एक साधन है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कई टैक्सेज़ ऐसे हैं जिनसे बड़े आदमियों की पूंजी पर कंट्रोल किया जा सकता है, छोटों को बचाया जा सकता है । हमारी सरकार ने पिछले दिनों में प्रोपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेन्डिचर टैक्स आदि लगाये हैं और ये सारे टैक्सेज़ लग जाने से बड़े आदमियों की पूंजी पर प्रभाव पड़ा । मैं अगर इनके आकड़े प्रस्तुत करूंगा तो समय लगेगा । जितनी नेशनल इन्कम है उसमें प्रोपर्टी से २५ परसेन्ट, वेल्थ टैक्स से ५ परसेन्ट इन्कम हुई हैं । एस्टेट ड्यूटी से '६०-६१ 'में ०. ८ परसेन्ट आपकी नेशनल इन्कम हुई । होना यह

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिये था कि प्रोपर्टी आदि से जितना टैक्स लगे उसका ३५ परसेन्ट टैक्स इस आधार पर लेना चाहिये था। लेकिन हमने प्रचार तो बहुत किया इन्कम की डिस्पेरिटी को दूर करने के लिये कि ये टैक्स लगा रहे हैं; लेकिन ऐसा लगता है कि 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" । प्रचार बहुत किया गया कि गिफ्ट टैक्स, वैल्थ टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स आदि से इन्कम में डिस्पेरिटी दूर होगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब से लागू किया तब से उससे आमदनी धीरे धीरे गिरती जा रही है; इस नतीजे पर आ गई है कि २५ परसेन्ट के बजाय २२ पर आ गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपका यह प्रचार इफेक्टिव साबित क्यों नहीं हुआ ?

अब कहा जाता है कि दूसरी बार टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में आपने कितना टैक्स लगाया ? पहले आपने १४।। करोड़ का लगाया, फिर दूसरे साल में ६।। करोड़ का ज्यादा लगाया। अब ३२ करोड़ का लगाना चाहेंगे। ३२ करोड़ से भी धीरे २ बढ़ रहा है और बढ़ाने का संकेत बजट में मिला। १३५ करोड़ का पिछले वर्ष में लगाया। एक जगह जोड़ पक्ष में १५० लाख का शामिल किया गया है। तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार टैक्स के फिगर्स जानबूझ कर कम रखती है और टैक्स का इफेक्ट जनता पर पड़ कर उससे आमदनी ज्यादा होती है। यदि ज्यादा आमदनी बजट के समय लगाई जावे तो जनता कहेगी कि ये टैक्स १५८ लाख के हैं। यदि आज १२८ लाख के टैक्स बता दें और उससे १६८ लाख वसूल कर लें तो दूसरे वर्ष में वह बात सामने आयेगी और वह झूठी साबित होगी। अगले वर्ष में पुरानी बात को भुला दिया जायगा और नयी बात सामने आयेगी। जिस तरह से ८ करोड़ से १४।। करोड़ और अब हमारी सरकार ३२ करोड़ से भी आगे बढ़ना चाहती है और उसके लिये चेष्टा कर रही है। हमारी सरकार ने थर्ड प्लान में रेवेन्यू और एक्सपेन्डिचर में २२ करोड़ का घाटा है उसको पूरा करने के लिये भारत सरकार से सहायता मांगी है। लेकिन यदि भारत सरकार से चाही गई सहायता मिलती तो वह दूसरे मदों में खर्च की जायेगी और उस घाटे की पूर्ति टैक्सेज़ से होगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार यदि कहे कि टैक्स लगाये बिना कैसे काम चल सकता है; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में मजबूती से जितनी कटौती की जा सकती है उतनी कटौती की जाय और उसके आंकड़े निकाले जावें तो अपने आप बचत होती जायेगी; कोई आवश्यकता नहीं है टैक्स लगाने की। राजस्थान का आज का खर्च बिना टैक्स लगाये चल सकता है। ६ करोड़ का जो सरप्लस बताया गया है उसको दूसरे ढंग से लिया जाय, एक्सपेन्डिचर कर्टेल किया जाय तो ६ करोड़ से भी ज्यादा सरप्लस हो सकता है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ६ करोड़ नहीं, ६ लाख। आपको करोड़ और लाख में बहुत कन्फ्यूज़न है।

श्री भैरोंसिंह : वह सारा बजट आज इतना सरप्लस होकर बैठे। वैसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि ये जो टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं वे किसी प्रकार भी उचित नहीं कहे

Page No 32

(श्री भैरोंसिंह)

जा सकते हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता यह थी कि हमारी राजस्थान सरकार रिलीफ डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले उनके लिए किया जाय जिनके ऊपर राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स हैं। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान के किसान के ऊपर भारतवर्ष के दूसरे स्टेट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू है, अगर लैंड रेवेन्यू हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा किसी प्रान्त के किसान के ऊपर है। तो वह राजस्थान के किसान के ऊपर है उसको किसी प्रकार का रिलीफ दिया है? उसके लिए आपने कर दिया है कि बजरी ले जाय, पत्थर ले जाय। वह बजरी और पत्थर पर आज तक टैक्स देता है उससे सरकार को विशेष आमदनी होती नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी; इसके साथ ही कई जगह झगड़े होते थे........

एक माननीय सदस्य : पंचायत एक्ट में माफ है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत एक्ट में भी यह टैक्स माफ है। लेकिन अब डिक्लेयर करते हैं; जैसे किसानों की रियायत के लिए मोटा काम कर दिया। अगर किसान को राहत देनी थी तो राजस्थान में जो किसान-जनता करों से दबी हुई है, लैंड रेवेन्यू से दबी हुई है उसमें किसी प्रकार की राहत देते, लेकिन वह नहीं दे पाये।

अब दूसरी राहत क्या करते हैं? आपने सेल्स टैक्स में कुछ रियायत दी कि १२ हजार से बढ़ा कर १५ हजार कर दिया, जो अब तक १२ हजार था उसको आपने बढ़ा कर, १५ हजार कर दिया। लेकिन इस बीच में भावों में क्या फर्क पड़ा है, उसका अन्दाज लगायें तो जो पहले १२ हजार की आमदनी थी वह आज १५ हजार आती है। इसमें क्या अहसान किया है? यह तो आपने भूल सुधार की है। इस सरकार ने १२ हजार की आमदनी के बारे में स्वीकार किया है कि आज वह १५ हजार की आमदनी होती है। तो यह केवल भूल सुधार है, राहत नहीं है। आज कहते हैं कि राहत दी है!

अब जो दूसरी राहत देनेवाली मद है, उसमें सहकारी समितियों को आपने राहत दी है। म्यूनिसिपैलिटियों में राहत देने का संकेत दिया है। उसमें कहा है कि ग्रान्ट की १५ लाख से बढ़ा कर अब २५ लाख व्यवस्था की है; जैसे बहुत बड़ा म्यूनिसिपैलिटियों पर अहसान कर दिया हो। अब उसके साथ एक लाइन और जोड़ दी है कि यह उस हालत में सरकार देगी जब म्यूनिसिपैलिटी उतना ही रुपया इकट्ठा करेगी। फिर आपने अहसान क्या किया? हम अपने आप रुपया इकट्ठा करेंगे। आप म्यूनिसिपैलिटी को पैसा देंगे तो उतना ही पैसे का टैक्स उसे जनता के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आपने २५ लाख, १५ लाख में १० लाख बढ़ा कर २५ लाख कर दिया। आखिर आपने क्यों किया है? आपने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स बढ़ाया है। मैं पूछना चाहूँगा कि यह टैक्स किसका है? आपका क्या अधिकार है? आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। यह म्यूनिसिपैलिटी के अधिकार की बात है। इस म्यूनिसिपैलिटी के पैसे को आप बढ़ा कर, घटा कर अपने पास रख कर

(श्री भैरोंसिंह)

उपयोग में लाना चाहते हैं,यह किस अधिकार से करना चाहते हैं ? आप कह सकते हैं कि आपने कानून बनाया है, एन्टरटेनमेंट टैक्स आपने पास किया है, उसके आधार पर यह पूंजी आप इकट्ठी करते हैं और उसमें से ही देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को मैं कहना चाहूँगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का स्वस्थ विकास करने की आवश्यकता है तो इस एन्टरटेनमेंट टैक्स को रद्द किया जाय और इससे होने वाली आमदनी को म्यूनिसिपैलिटी को दिया जाय, वे रिलीफ नहीं लेना चाहती। अब आप रिलीफ क्यों देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने कानून में व्यवस्था की है कि पिछले तीन वर्षों का एन्टरटेनमेंट टैक्स का एवरेज निकाल कर उसके बराबर एन्टरटेनमेंट टैक्स से होने वाली आमदनी आप नगरपालिकाओं को देते रहेंगे। अब उस देने में आपकी मर्जी होगी उसको आप देंगे और आपकी मर्जी रोकने की होगी तो आप रोक लेंगे। आपने जो ४३ हजार का अधिक प्रावधान रखा है उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार एन्टरटेनमेंट टैक्स के नाम पर म्यूनिसिपैलिटी को रिलीफ देकर रखना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि म्यूनिसिपैलिटियों के ऊपर तो आप कृपा रखें।

जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल आया है, आपने सेल्स टैक्स को बढ़ाया है। हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि जनसंघ प्रचार करता है, सेल्स टैक्स को रद्द करना चाहता है। हम प्रचार नहीं करते हैं, हमने घोषणा पत्रों में लिखा है और हम यह मान कर चल रहे हैं कि सेल्स टैक्स रद्द किया जाय। राजस्थान में १६५५-५६ में जहां १४६.४१ लाख की आमदनी होती थी वहां बढ़ कर अब १६६२-६३ में ५८१.०० हो गई है। वैसी हालत में टैक्स कितना बढ़ा है। इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन इस टैक्स के कारण परेशानियां कितनी बढ़ी हैं व्यापरियों की, व्यापार पर कितना असर पड़ा है, व्यापारी कितनी कठिनाइयों में पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी खराबी पैदा हुई, इसका हिसाब लगा कर देखें तो जिस तरह भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों ने कोशिश की थी जिस समय भारतीय जनसंघ ने सेल्स टैक्स के विरोध में आन्दोलन चलाया था तो दोनों ने कहा था कि यह नहीं हटाया जा सकता। लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि भारत सरकार ने कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटा लिया। उस समय जो भी घाटा हुआ उसकी पूर्ति हुई। हमारा सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स के नाम पर विरोध नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है वह व्यापार के ऊपर एक बुरा असर डाल रही है। इसलिये व्यापारियों को परेशानी होती है, अकाउन्ट्स के मामले को लेकर परेशानी होती है, इसमें लीकेज होता है, इससे करप्शन ज्यादा बढ़ता है। आपने जिस तरह से करोड़ों रुपये के टैक्स की व्यवस्था की है उस प्रकार इस घाटे की पूर्ति यदि इस मद से नहीं कर सकते तो उसके लिए दूसरे तरीके काम में लाये जा सकते हैं। लेकिन यह तरीका वाजिब नहीं है जिससे आम जनता पर बुरा असर पड़ता हो।

दूसरा टैक्स लगाया है आपने पैसेन्जर टैक्स। मैं पूछना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि आपकी सरकार यह कहती जा रही है कि

Page No 34

(श्री भैरोंसिंह)

हम गरीबों को राहत देना चाहते हैं। लेकिन यह जो आपने पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है इसका असर किस पर पड़ेगा ? इसका असर ग्रामीण जनता पर पड़ेगा, उन लोगों पर पड़ेगा जो गरीब लोग राजस्थान में गांवों में निवास करते हैं, जिनकी पर-केपिटा इन्कम कम है। आज जो बंगलों और महलों में रहने वाले लोग हैं, सेठ साहूकार हैं; ऑफिसर्स हैं, जो सुख साधनों का भोग करनेवाले, व्यक्ति हैं उन पर इस पैसेन्जर टैक्स का असर नहीं पड़ने वाला है। इसका असर गरीब जनता पर पड़ेगा क्योंकि उन पर और टैक्स लगेगा। इसका नतीजा यह निकलता है कि हमारी सरकार गरीब की पूंजी पर चलती है। हमारी सरकार की पूंजी पूंजीपति के खजाने नहीं; लेकिन गरीब की जेब है और गरीब की जेब में जिस प्रकार भी हाथ डाला जाय, कानून बना कर हाथ डाला जाय। अगर कानून नहीं बनाते हैं तो दूसरे प्रकार के टैक्स डाइरेक्टर और इन-डाइरेक्टर टैक्स लगा कर गरीब की जेब को इस प्रकार काट दिया जाय कि गरीब व्यक्ति की जेब में एक पैसा भी नहीं मिले। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी टैक्स लगाये हैं वे गरीब जनता को मारने वाले हैं और उसके पास बची हुई पूंजी है उसको लेने के लिए सरकार का एक योजनाबद्ध षडयन्त्र है। इसका विरोध करना, प्रजातंत्र में विश्वास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एक नया टैक्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर लगाया है। इसके लिए कहा है, बहुत थोड़ा लगाया है तीन नये पैसे। लोग समझते हैं तीन नये पैसे कुछ नहीं हैं। नये पैसे की कुछ कद्र नहीं है। हाथ में नहीं रहता, जेब में नहीं रहता, जमीन पर गिर जाय तो मिलता नहीं; इस नये पैसे की हालत है वह भगवान् जाने। तो तीन नये पैसे रखे, लोग कहते हैं इससे क्या होगा ? अव्वल तो समस्या है कि फाइनेन्शियल कमीशन के सामने आपने मेमोरेन्डम पेश किया जिसमें आपने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राप्त कर पायेंगे तो उससे सस्ती बिजली देने में सहूलियत रहेगी। आज बिजली सस्ती नहीं दे पाये हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा कर चल रहे हैं और यह कहते हैं कि लोगों की इकोनामिक कन्डीशन सुधरती जा रही है। मैं तो मानता नहीं कि लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन सुधरती जा रही है। अगर लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन सुधरती जा रही है तो वे बिजली का उपभोग करने की इच्छा करते हैं और बिजली का उपभोग करने की इच्छा करते हैं तो आपने उस पर बिजली टैक्स लगाने का काम चालू कर दिया। इससे बिजली के उपभोग करने वालों पर बिजली ड्यूटी के नाम पर भार पड़ने वाला है जिसको उठाने की वे शक्ति ग्रहण नहीं कर पाये हैं। अब आपने एग्ज़ेम्प्शन दिया है वह किनको दिया, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। अगर एग्ज़ेम्प्शन देना है तो इस प्रकार की और कई इन्स्टीट्यूशन्स हो सकती हैं जिनको एग्ज़ेम्प्शन देना चाहिए। आपने इण्डस्ट्री को एग्ज़ेम्प्शन दिया है, मैं उसका विरोध नहीं करता; वैसे नीति के आधार पर विरोध किया जा सकता है। आखिर इनका जो लाभ वे लोग उठाने वाले हैं। जिनके पास पैसा इकट्ठा होता है, उनको एग्ज़ेम्प्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट

(श्री भैरोंसिंह)

इन्स्टीटयूशन्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं उनको बिजली दी जाती है, उनको आप राहत क्यों नहीं देते ? आज बच्चों की पढ़ाई जिस प्रकार महंगी होती जा रही है उसमें इस बिजली की ड्यूटी से और खर्च बढ़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो टैक्सेज़ लगाये हैं उन टैक्सेज़ के बारे में मैं यह मान कर चलता हूं कि राज्य सरकार को इस प्रकार के नये टैक्सेज़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती अगर अपने खर्च में राजस्थान सरकार कटौती कर सके। उसके बाद बड़े खर्चों की रकम जोड़ने के लिए कहा, जिन खर्चों का उपभोग दस वर्षों में नहीं होने वाला है, उनको जोड़ने के बारे में जिक्र किया गया। मैं बारदाने का जिक्र नहीं करता। यह बारदाने का टैक्स, सरकार के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, एक जबर-दस्त जिसे कहना चाहिए थपेड़ा है और उस सरकार के ऊपर है जिसने तीन महीने पहले राजस्थान के मुख्य मन्त्रिजी के मंत्रित्व के अन्दर सदन से कानून पास करके लगाया था। आज से तीन महीने पहले बारदाने के ऊपर टैक्स लगाया था। बारदाने के सम्बन्ध में सेल्स टैक्स अमें-डमेंट बिल, १९६१ पास किया था। जिस समय बारदाने पर टैक्स लगाया जा रहा था उस समय सदन के सदस्यों ने और जनसंघ के सदस्यों ने इसका विरोध किया, मगर उस समय उसको स्वीकार नहीं किया गया और आज उसको स्वीकार किया गया है। मैंने जैसा पहले कहा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पहले की कार्यवाही को अच्छी तरह से कन्डेम किया है। मैं यह कहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री बड़े साहसी हैं कि तीन महीनों पहले लिये गये सरकार के निर्णय को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फैंक दिया। बारदाने की कुछ थोड़ी सी आमदनी ही हो सकती है, फिर यह सारे टैक्सेज़ के लिये हिसाब आदि रखने की दिक्कत रखनी पड़ती है।

इसके साथ साथ मुझे एक बात सबसे ज्यादा दुःख देती है वह अजीब सी बात है। इसके पेज १६ पर लिखा है अध्यक्ष महोदय, यह बात गौर से सुनने की है और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी इसको ध्यान से सुनें। वित्त मंत्री कहते हैं :

"जहां हमारे नागरिकों को पूरा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं वहां हमें उस नपसी बीमारी को मिटाने की कोशिश भी करनी चाहिये जो पढ़े-लिखे नौजवानों में फैल रही है। ये लोग सरकारी या निजी सेवाओं में आरामदेह नौकरियों की तलाश में दौड़ रहे हैं बजाय इसके कि कठिन व उत्पादक कामों में लगने की हिम्मत करें। शहर का जादू, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के लिए तरसना, ऊपरी टीपटाप की तरफ झुकाव; ये बुराइयां हमारे नौजवानों में घुसी हुई हैं।'

अब मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ नहीं पूछना चाहता। लेकिन मुख्य मंत्रीजी से पूछ सकता हूं कि क्या आपने १० वर्षों में इस प्रकार की ही लोगों को शिक्षा दी है ? आप कहते हैं कि आपने इतने कॉलेज खोल दिये, इतने स्कूल खोल दिये इतने हायर सैकन्ड्री स्कूल खोल दिये, इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, क्या उन स्कूलों

(श्री भैरोंसिंह)

में जैसा इस बजट भाषण में लिखा हुआ है उसी प्रकार की शिक्षा दी गई है और फिर आप यह कहते हैं कि हमने शिक्षा में इतनी उन्नति की है और इतनी स्कूलें खोली हैं ! मैं इस बात के लिये हमारे वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को बताने का साहस तो किया है। उन्होंने १० वर्ष पहले जो एज्युकेशन थी उसको कन्डेम किया है; भारतीय जनसंघ कहता आया है कि शिक्षा केवल किताबों से ही नहीं हासिल होती है; रचनात्मक शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिये। कॉलेजेज् और स्कूलों में लड़के पढ़ने के बाद निकल कर नौकरियां की तलाश में रहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिये कि कालेजों में आप अपने लड़कों को पढ़ाते जावें और पढ़ने के बाद वे लोग नौकरी की चिन्ता करें। उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये कि पढ़ने के बाद उनको नौकरी की कोई चिन्ता न हो। क्या हमारे शिक्षा मंत्री ने हमारे शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है कि लोग उद्योगों के कार्य में कम रुचि रखते हैं और उसमें नहीं जाते ? मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे अजमेर के अपने दूसरे साथी, जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं उनको भी बता दें कि वे इस बात का ध्यान रखें ताकि अभी तो लोग यूनिवर्सिटी का चक्र लगाते हैं, बाद में कहीं दूसरी जगह का चक्कर लगाने न लग जावें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा में सुधार किया जावे। शिक्षा में सुधार केवल भाषण देने से नहीं होता। हमारे राष्ट्रपति कहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिये, हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि शिक्षा के तरीको में सुधार होना चाहिये, सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जावे। मैं यह कहूँगा कि जब सभी बड़े २ लोग कहते हैं कि शिक्षा स्तर ऊंचा उठाया जावे, मगर वह होता क्यों नहीं ? मैं यह कहूँगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी के लिये तो यह बहुत सरल है। आप उदयपुर के, युनिवर्सिटी के चान्सलर राजस्थान के वाइस चान्सलर उदयपुर के, शिक्षा सचिव उदयपुर के, डिप्टी डाइरेक्टर उदयपुर के, यानी सभी उदयपुर ही उदयपुर के हैं। आपको तो इतनी जबर्दस्त सहूलियतें हैं कि आप सुधार करना चाहें तो सुधार हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अब मैं शिक्षा मन्त्री नहीं हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप शिक्षा मंत्री हों तो उनकी हिम्मत ऐसा लिखने की नहीं होती। आपने पद छोड़ दिया है तभी तो उन्होंने लिखा है और जिस चीज को हम कहना चाहते थे उसी बात को हमारे वित्त मन्त्रीजी ने कहा है। ऐसी हालत में जहां नौकरी का प्रश्न आता है, राजस्थान में कितने पढ़े लिखे लोग बेकार हैं इसके बारे में पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा गया था। उस समय बताया गया कि यहां :

ग्रेजुएट्स	३,०५३ हैं
इन्टरमीजिएट्स	४,३९० हैं
मैट्रीक्यूलेट्स	३,०५,०६१ हैं।

कुल मिला कर : ३,१०, ५०४ बेकार लोग हैं, इस प्रकार के आंकड़े पार्लियामेंट में भारत सरकार की ओर से राजस्थान के संबन्ध में दिये गये थे।

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पढ़ाई के मामलों में यह सही है कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन जो रुपया आप शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं वह ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है। आप यह कह दें कि हमने इतने कॉलेजेज़ खोल दिये, इतने हाई स्कूल फलां जगह पर खोल दिये ; यह ठीक नहीं है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे राजस्थान में सिविल इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ; मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के काम के लिये लोगों की जरूरत है। डॉक्टरों की कमी है। इसकी पूर्ति की हम चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मदों पर जिन पर हमको खर्च ज्यादा करना है उसकी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि लोग शिक्षा पाने के बाद बेकार न घूमें, स्कूलों से निकलते ही उनको नौकरी मिल जावे। लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी तक भारत सरकार से प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को ७ परसेन्ट और २० परसेन्ट सरकार और २० परसेन्ट प्राइवेट इन्स्टीट्युटशन्स ; कल जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उसमें ६० परसेन्ट को घटा कर ५० परसेन्ट किया और राजस्थान सरकार की सहायता ५० परसेन्ट कर दी, और इन्स्टीट्यूटस की २० परसेन्ट से ५० परसेन्ट रख दी। दूसरे केसेज़ में तो यह निर्णय लिया गया है लेकिन हट्टूंडी के बारे में मैं यह कहूंगा कि वहां पर ६० परसेन्ट है जबकि दूसरीको ६० परसेन्ट से ५० परसेन्ट कर दी है आप यदि निर्णय देखना चाहें तो कल ही निर्णय दिया गया है, आप देख लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन मदों के बारे में हम कुछ देख कर सुधार करें तो कर सकते हैं। जो हम करें वह शिक्षा में सुधार लाने की गर्ज से करें तो कर सकते है। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते है तो मैं यह कहूंगा कि इससे काफी दिक्कत पैदा हो सकती है।

अन्त में, मैं सरकार से नोन प्लानिंग एक्सपेन्डीचर के बारे में कहना चाहता हूं कि इस को कम करने की कोशिश करें। जितना पैसा इसमें खर्च के लिये रखा जाता है उतना खर्च करें। अगर वह नहीं होता तो उसमें आवश्यकतानुसार कट करके लोगों के रिलोफ के काम में ज्यादा से ज्यादा रुपया देने की चेष्टा की जावे। कॉटेज इन्डस्ट्री, स्माल स्केल इन्डस्ट्री, मीडियम इण्डस्ट्री आदि में ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जावे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजी मिले।

अन्त में, मैं एक चीज कुछ ही समय में कहना चाहता हूँ और वह है कि यहां की फूड प्रोब्लम। इसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह अवश्य कहती है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और मैं भी मानता हूं कि वह बढ़ा है। सरकार यह कहती है कि इर्रिगेशन लैंड बढ़ी है। मैं भी कहता हूँ, परन्तु सरकार यह कहती है कि हमारा टार्गेट हमने पूरा कर लिया है। मैं कहता हूँ कि आपने टार्गेट पूरा कर लिया, लेकिन कुछ मदों में छोड़ कर। लेकिन मैं यह कहूँगा कि प्रोडक्शन पर एकड़ कम हुआ है और इसका कारण यह है कि इर्रिगेशन फेसिलिटीज़ जितनी दे सकते थे नहीं दे पाये। काश्तकारी माइन्ड को जिस तरह से बनाना चाहिये नहीं बना पाये, उनको खाद

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं दे पाये। यह तो एक बात है जो हमारे समझ में आ सकती है। मगर इसका दूसरा कारण यह है कि आज राजस्थान के किसानों में अनसर्टेन्टी है। उनको विश्वास नहीं रहता कि यदि वे जमीन में खाद डालेंगे और जमीन को उपजाऊ बनायेंगे तो क्या जमीन उनके पास रहेगी या नहीं उसका लाभ उनको मिलेगा यानहीं। आज आप कोलोनाइज़ेशन और कन्सोलिडेशन स्कीम बना रहे है। उनको इस बात का विश्वास नहीं कि जमीन उनके पास रहेगी या नहीं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये आप खेती कराना चाहते हैं। कहने को यह सरकार कहती है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंन्ट को लेजिस्लेशन और दबाव से नहीं लाना चाहते, हम वॉलेन्टरी कोऑपरेटिव मूव-मेंट लाना चाहते हैं।

मैंने इस चुनाव के सम्बन्ध में, चाहे वे साम्यवादी मित्र हों, चाहे समाजवादी मित्र हों चाहे प्रजा समाजवादी मित्र हों, चाहे कांग्रेसी मित्र हों किसी से भाषण में यह नहीं सुना कि सहकारी खेती के द्वारा जो आज तुम्हारी जमीनों पर मालिकाना हक हैं वे हक समाप्त हो जायेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सीधा-सादा मतलब यह है कि जो आज पीजेंट प्रोप्राइटरशिप है। वह धीरे धीरे खत्म होगी और आज जमीन पर मालिकाना हक किसानों का है वह हक, वह पज़ेशन खत्म होगा और जो समाज की रुपरेखा लेकर, को-ऑपरेटिव फार्मिंग की रूपरेखा लेकर साम्यवादी मित्र चलते हैं तो इसके पीछे साम्यवादी मित्रों का तो यह एम रहता है कि पहले लोगों को अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिए इस तरीके से भड़काया जाय पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा तो लोगों के मालिकाना हक समाप्त होंगे, इससे लोगों में असन्तोष बढ़ेगा तो फिर कलेक्टिव फार्मिंग की बात करेंगे और कलेक्टिव फार्मिंग से अव्य-वस्था पैदा होगी तो गवर्नमेंट फार्मिंग की बात करेंगे और इस तरह धीरे धीरे यह सहकारी खेती आगे जाकर सरकारी खेती बन जाय, यह साम्यवादियों का लक्ष्य है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चुनाव में बनाने की कोशिश की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव की नहीं। को-ऑपरेटिव फार्मिंग की बात को चुनाव की बात लेकर चलाते हैं। आज किसानो के दिलों में भय पैदा हो गया है कि जमीनों पर जो आज उनका पज़ेशन है वह चला जायगा और इस कारण वे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाते।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : राज-स्थान के किसान तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोऑपरेटिव फार्मिंग हो।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए आपने १३ मुरब्बा किसानों को दिया है।

श्री श्योपतसिंह : मेरे पास तो १ भी मुरब्बा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके नाम पर नहीं, आपके पिताजी के नाम पर होंगे।

सहकारी खेती की बात करने से किसानों के दिलों में अनिश्चित भाव पैदा होते हैं और

Page No 39

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को इस सहकारी खेती के प्रिंसिपल को हटा देना चाहिए तभी किसानों के दिलों में जो अनिश्चितता के भाव पैदा हुए हैं वे खत्म होंगे और वे लोग अपनी जमीनों में तरक्की करके पैदावार को बढ़ाने की चेष्टा एवं कोशिश करेंगे ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट के सम्बन्ध में अपने विचार रखते हुए सरकार से निवेदन करुंगा कि सरकार अपनी नीतियों में जिस प्रकार भी संशोधन कर सके करे । समाजवादी नीतियां हैं, बड़ी नीतियां हैं, मल्टीपर्पज योजनाओंकी रकम खर्च करने में कटौती करें और प्रोडेक्टिव मदों पर खर्च करके हमारी उपज को बढाने की कोशिश करेगी तो हमारे राजस्थान की सेवा होगी । हमारा मन्त्रिमण्डल इस प्रकार की सेवा करने में तत्पर होगा, ऐसी में आशा करता हूं ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के समक्ष पेश किया वास्तव में हम उसको सुनने के बहुत उत्सुक थे । बजट हमारे सामने आया, जो कर बढाये गये हैं, नये लगाये गये हैं वे सामने आये । सरकार ने कर लगाये हैं, सदन उन पर स्वीकृति देगा और जनता उनका स्वागत करेगी; क्योंकि हमारे सामने राजस्थान के विकास का प्रश्न है, नये तरीके से निर्माण का प्रश्न है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर प्रकाश डाला था और कहा था कि कितनी भी कठिनाई हमारे सामने हो, जो भी दिक्कते हैं हमारे सामने आयें उनका झेलते हुए हम नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता आज के बढ़ते हुए युग में दूसरे प्रान्तों से पीछे रहे हम उस भावना का भी स्वागत करते हैं । राजस्थान की जनता परिश्रमी है और वह नहीं चाहती कि इस युग में वह पीछे रहे । परन्तु जो कर बढ़ रहे हैं, उनका भार जिस गरीब जनता पर पड़ रहा है उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा । करों के आधिक्य से जनता के अन्दर एक असंतोष पैदा होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । जहां राजस्थान सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाती है तो यह भी जाहिर है कि वह करों की वसूली चाहती है, करना भी पड़ेगा पर कर वसूली का तरीका ऐसा होना चाहिए अथवा उसका प्रदर्शन ऐसा होना चाहिये कि जनता में असंतोष न फैले । जनता चाहती है कि चाहे कर खुल कर लिये जायं पर फिर उसका रिटर्न वह अच्छा देखना चाहती है । बड़ी बड़ी योजनाएं हो रही हैं, सफल भी हो रही हैं, विकास भी हो रहा है जैसा कि आप और हम देख रहे हैं पर होने वाले कामों के भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं देते । जब जब शिकायतें सदन के सामने लाई जाती हैं सरकार के सामने ऐसे मामले पेश होते है तो जनता दुखी: होती है इस बात के लिये कि एक तरफ उस पर कर लगाये जा रहे हैं, वह कर देने को तैयार है पर दूसरी तरफ जनता देखती है कि हमारे दिये हुए करों का सदुपयोग नहीं हो रहा है ।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

तो वह देखती है कि उसके द्वारा दिये गये करों का उपयोग क्या, तो कैसे जनता अपने दिलों में संतोष बैठाये ?

वित्त मंत्री महोदय ने पेट पर पट्टी बांधने की बात कही और एक माननीय सदस्य ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान की जनता पेट पर पट्टी बांध कर भी आगे बढ़ने में नहीं हिचकिचायेगी लेकिन जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जो पैसा वह देती है उसका हिसाब भी वह चाहती है। उस पैसे का अच्छा प्रतिफल वह देखना चाहती है। कल एक भाई ने कोलोनाइज़ेशन का जिक्र भी किया था। यह मानी हुई बात है कि विकास करना है, बहुत बड़ी मंजिल पर हमें जाना है तो बीच में कैसे रुकें, खर्चा कैसे कम करें ? पर बहुत सी छोटी छोटी चीजें है। जिनमें सुधार करना परमावश्यक है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं; ठेकेदारों को ठेके दिये जाते है, ठेकेदार ठेका लाता है और काम करता है पर ठेका पूरा होने पर बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, यह इन्जीनियर्स जानें, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहती। ठेकेदार लोग नोटिस देते हैं, दावा करते हैं और फिर कोर्ट से सरकार पर डिक्री होती है, फैसला होता है कि भुगतान कर दिया जाय। एक तरफ दहेज की प्रथा को खत्म किया गया है दूसरी तरफ सरकार को यह दहेज लगता है कि उस रकम के साथ व्याज-बट्टा, खर्चा सरकार को देना पड़ता है। यह एक छोटी सी बात है और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाय तो सरकार का काफी पैसा बच सकता है। मेरा यह किसी पर आक्षेप नहीं है, न मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की सारी मशीनरी भ्रष्ट है, कई अच्छे और ईमानदार भी हैं जिन पर हमें गर्व है, पर जहां अमानत में खयानत होती है तो बराबर कहना पड़ता है।

कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट के बारे में एक बन्धु ने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानती। डिपार्टमेंट की आवश्यकता है। एक बड़ा काम नॉर्मल मशीनरी नहीं कर सकती, पर उस काम के साथ साथ उस डिपार्टमेंट से जनता आशा करती है कि जिस काम के लिए यह विभाग खोला गया है उस काम से जनता में संतोष होना चाहिए, उससे जनता को सुख और सुविधा मिलनी चाहिए।

(१ म० प०)

चम्बल प्रोजेक्ट से जो नहरें निकली उनमें किसानों ने काम किया, वह इस आशा से कि खुशहाली का वहां स्वप्न देखेंगे। किसानों ने परिश्रम करके नहरें बनाने में योग दिया है। लेकिन जब जमीन बेचने का प्रश्न आया तो वह इतनी महंगी दी जा रही है जिसके लिए एक मुश्त रकम किसान नहीं दे सकता। किसान के पास इतना पैसा नहीं, वह गरीब है। इसका कोई हल नहीं जिससे किसान जमीन खरीद सके। किसान देखता है कि भविष्य के लिये मेरा जो नक्शा है वह खत्म हो रहा है उसको अन्धकारमय अपना भविष्य नजर आता है। प्रोजेक्ट बनते हैं, सरकार जिसके लिए जनता से कर वसूल करती है, जनता

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

उसको देती है। वहां के बाशिन्दा किसानों को जमीन मिल सके तो उसके लिए मेरा सुझाव है कि जिनके पास पैसा नहीं और जमीन खरीदना चाहते हैं ऐसे किसानों को लैन्ड मोर्टगेज बैंक द्वारा उस रकम को दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये । लैन्ड मोर्टगेज बैंक उतना रुपया रिज़र्व बैंक से ले सकता है और फिर किसानों से उनकी पैदावार के बढ़ने के बाद धीरे धीरे किश्तों के रूप में वसूल किया जा सकता है।

इसके साथ साथ मुझे आश्चर्य और दुःख भी हुआ एक बात का, जिसका जिक्र न तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया और न वित्त मंत्री महोदय ने ही अपने भाषण में किया; वह है शराब बन्दी के विषय में। आज जो महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, कल हमारे स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता ने भी कहा था, मैं भी गांधीजी के सिद्धान्तों को मानती हूं, यह बड़ी खुशी की बात है; लेकिन शायद यह आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यदि मुझे एक दिन के लिए शासक बना दिया जाय तो पहला काम जो मैं करूंगा वह है बिना मुआवजा शराबबन्दी का; इसकी चर्चा होनी इस भाषण में बहुत आवश्यक था । इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है, तो इतना मैं निवेदन करूं कि सरकार उन ठेकों और दूकानों को बन्द कर दे जो शहरों के बीच और गांवों के बीच हैं। कोटा का मैं आपसे जिक्र करूं । दो दूकानें ऐसे स्थानों पर हैं जिन रास्तों से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहां से निकलते हुए उनको गाली-गलोच सुननी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है। वहां के बच्चे तक यह कहते हैं कि यहां से शराब की दूकानें हटा दी जानी चाहिए यहां बिल्कुल शराबबन्दी की जानी चाहिये । सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की बातों की ओर ध्यान देकर उनको रोकने की चेष्टा करे ।

वित्त मन्त्री महोदय ने कल यह कहा था कि विकास के हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस पर हम रुक नहीं सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम मानते हैंकि आप रुक नहीं सकते, राजस्थान की जनता रुक नहीं सकती; लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह कहीं इतना सकड़ा तो नहीं है जिसमें यदि रुक जांय तो मंजिल पर भी न पहुंच पायें और न वापिस भी लौट सकें। कहीं ऐसे रास्ते में से तो होकर नहीं जा रहे हैं। जिसमें आगे भी न बढ़ सकें और वहीं के वहीं रुके रह जांय और पीछे हटना भी मुश्किल हो जाय ? जब सर्वतोमुखी विकास की बात होती है और बजट उसके लिए सामने आता है तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हर निवासी का ध्यान इस ओर अधिक जाता है कि कहीं विकास के नाम पर शून्य तो नहीं है । मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं । शाहबाद किशनगंज, और छबड़ा तहसील में पर्याप्त मात्रा में सड़कें नहीं, पर्याप्त मात्रा में स्कूल्स नहीं, डिस्पेन्सरीज़ नहीं । इन साधनों को जाने दीजिए; ऐसा क्षेत्र भी है जहां पीने के पानी की भी सुविधा नहीं । कहा यह जाता है कि हमारा इलाका पानी वाला इलाका है, दूसरी जगहों पर पानी का अभाव है। लेकिन शाहाबाद में पानी का इतना

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

अभाव है कि वहां के लोगों को छः, सात मील की दूरी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। वहां पर कुएं नहीं, तालाब नहीं हैं। सन् १९६० के जुलाई मास में वहां पर विनोबा भावे ने पद यात्रा के बीच पड़ाव किया था। उस समय उन्होंने कहा था, अगर यहां पर पानी की सुविधा हो सके तालाब और कुएं बन सकें तो जहां कहीं भी मैं सुनूंगा मेरी आत्मा को वह बात सुख पहुंचाने वाली होगी। ऐसी जगहों पर जहां हम चाहते हैं कि कुएं बनें, स्कूल बनें, तालाब बनें और कृषि सम्बन्धी नए उपकरणों की प्राप्ति हो; ऐसी चीजों से कोई भी क्षेत्र उपेक्षित रहता है तो आज यह कोई सुनना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, वहां का किसान और मजदूर जो है वह इस बात की आशा रखता है कि हमारे पर भविष्य में जो कर लगाये जा रहे हैं उसको वहन करने के बावजूद भी हम सुखी नहीं हैं।

इधर ऋण बढ़ता ही जा रहा है। जो योजना बनती है उस योजना की पूर्ति जल्दी होनी चाहिए ताकि जनता पर यह जो करों का भार है वह बढ़ने नहीं पाये। जहां ऋण की बात आती है, यह मैं मानकर चलती हूं कि यह जनता को ही चुकाना है। हमें उस ऋण को चुकाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। हम उस त्याग और तपस्या को भूले नहीं होंगे जो बहुत थोड़े समय पहले इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमने की थी। जहां तक त्याग और तपस्या का सवाल है जनता उसमें साथ देने के लिये तैयार है। लेकिन जनता करों के भार से दबती गई और हमारे पर ऋण बढ़ता गया तो जनता आप ही से पूछेगी और आपको ही उसका जवाब देना होगा। अब जनता इस स्थिति में नहीं है कि वह करों का भार ज्यादा वहन कर सके। मेहनत के साथ वह योजना को सफल करने की कोशिश करेगी, जनता इस बात के लिए कोशिश करेगी और सरकार का साथ देती होगी। इसलिए सरकार के सामने जो भी सदन में सुझाव आते हैं उन पर वहां पूरा पूरा ध्यान देकर किस तरह से उन समस्याओं को सुलझाया जाय, इस बारे में प्रयास करेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर राजस्थान सरकार के १९६२-६३ के बजट के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। जब हम इस सदन के अन्दर वित्त मन्त्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत बजट पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें निराशा ही निराशा होती है। यह बात केवल हमें ही लगी हो, ऐसी बात नहीं; राजस्थान की आम जनता को भी यह बजट देख कर निराशा हुई है। आप इस भाषण के पैरा नं० १ से ६ तक अवलोकन कर लीजिये, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अधिक समय नहीं मिल सका जिससे वे राजस्थान की जनता के सामने खुशहाली का कोई अच्छा समाजवादी ढंग का बजट प्रस्तुत कर सकते। यही नहीं, पैरा नं० ६ में उन्होंने खुले दिल से इस बात की इच्छा प्रगट की है कि मैं विरोधी पक्ष से जो कोई भी सुझाव दिये जायेंगे उनका स्वागत करूंगा। साथ में इस बात पर भी बल दिया है कि सच्ची भावना के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ विरोधी पक्ष द्वारा दिये गये सुझावों को मानने की चेष्टा करूंगा। जब हम इसके अन्तिम पैरा की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो ५३ वें नंबर के पैरा में एक बात देखते हैं कि आज देश के

Page No 43

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

नवयुवक शहरों की चमक दमक की तरफ चलते जा रहे हैं। गांवों में उनकी रुचि नहीं है। गांवों की दशा दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। देश के नौजवान शहरों में रहना पसन्द करते हैं। उनका आकर्षक वस्तुओं की तरफ रुझान है। जब इस तरफ देखते हैं तो साफ नजर आता है कि राजस्थान में आज मुख्य समस्या है क्या ?

पूंजीवादी जो सरकारें हैं, पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था रखती है उसी का सृजन करती हैं। ठीक इसी तरह समाजवादी सरकार के तरीके पूरे समाजवादी होते हैं। वैसे कहने के लिए कांग्रेस ने आज दुहाइयां दी हैं कि वह देश में समाजवाद लाना चाहती है, पर उसका सोचने का तरीका अभी समाजवादी नहीं बन पाया। कभी इधर उसने दृष्टिपात ही नहीं किया कि देश में समाजवाद लाने के लिए क्या आदर्श रखने चाहिये। आज राजस्थान के लाखों की तादाद में मजदूर बेकार हैं। आज राजस्थान में भुखमरी है, बेकारी है। परन्तु इस बजट को देखते समय जहां पर इस बात की दुहाई दी जाती है कि हम समाजवादी ढंग की अर्थ-व्यस्था लाना चाहते हैं उसमें ऐसी कोई व्य-वस्था नहीं है कि हमारे राजस्थान में सामान्य तौर से सभी नागरिकों के लिये और विशेष तौर से नौजवानों के लिए वह किस तरह से काम देना चाहती है। यहां की जनशक्ति के अनुरूप साधन उपलब्ध हैं और उनका पूरा उपयोग इस बजट से होता हो; ऐसी मेरी मान्यता नहीं है।

कई सवालों के साथ सबसे पहला सवाल यह है कि राजस्थान में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि आज राजस्थान में सबसे बड़ा अहम सवाल क्या है, वह सवाल यह है कि बिना मुनाफे की खेती से लगान माफ होना चाहिये। इसके कुछ पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला, पर कुछ पहलू रह गये। वैसे मेरे विपक्ष में बैठने वाले भी ऐसे हैं जो अपने घोषणा-पत्र में भी यह घोषणा कर चुके हैं कि वे लगान के पुराने तरीकों को हटाने के पक्ष में हैं। पर इस बजट में वित मन्त्री महोदय, जो इस सदन में इस वक्त उपस्थित नहीं हैं, पर जो उनकी तरफ से ट्रेज़री बैंचों में बैठे हैं वे उनकी तरफ से मेरे सुझावों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि बिना मुनाफे की खेती का लगान माफ करने की बात कहता हूं तो मोटी मोटी बात यह कहना चाहता हूँ कि जब शहरों के रहने वालों से इन्कम टैक्स की वसूली में भी तीन हजार से ऊपर आमदनी वालों से ली जाती है तो एक गांव के निवासी से जो पांच एकड़ या दस एकड़ तक जमीन जोतता है और जिसके पल्ले कोई मुनाफा भी नहीं पड़ता तो उससे टैक्स क्यों लिया जावे ?

प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था का चिन्ह ही यह है कि यह आमदनी के स्वरूप पर टैक्स लगाने की बात नहीं मान कर जो आमदनी की मात्रा है उस पर टैक्स लगाये जावें, अधिक मात्रा है तो अधिक टैक्स और छोटी आमदनी पर छोटा टैक्स लगे। अगर यह सिद्धान्त मान कर चलें तो वही बात मुझे याद आजाती है जो टी. टी. कृष्णमाचारी ने कही है। कहा था उन्होंने कि आज देश में जो भू-राजस्व की प्रणाली है वह दकियानूसी है, पुरानी है, वह प्रगतिशील नहीं कही जा सकती। अगर

Page No 44

(श्री मुकुटबिहारीलाल]

इस बात को मान कर चलें तो खेती योग्य भूमि राज्य में २,८६,४९,७३२ एकड़ है। जब हम देखते हैं राजस्थान में कि कितनी एकड़ जमीन जिसे बिना मुनाफे की हम मानें हैं, तो राजस्थान के अन्दर ऐसी जमीन केवल १३,०२,३३९ जोतें ऐसी हैं जो बिना–मुनाफे की कही जा सकती है। २,६१३ लाख जोतों में कुल २८,१३,२०९ एकड़ जमीन ऐसी है जो उनमें आती है। अगर एक जोत के एक परिवार में पांच सदस्य की संख्या मान कर चला जावे तो इसका मतलब यह है कि भूमिहीनों पर लगान माफ करने का असर कितनी बड़ी-जनसंख्या पर पड़ेगा। उस सूरत में ६५ लाख के आसपास जो किसानों की जनसंख्या है उस पर असर पड़ने वाला है। परन्तु जब हम एक तरफ ३५ लाख आदमियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनको जनतन्त्र का अनुभव कराना चाहते हैं तो दूसरी तरफ नतीजा घाटे की तरफ देखते हैं तो ५० लाख के आसपास होता है। ६५ लाख का घाटा वित्त की नजरों में ६५ लाख लोगों के फायदे को देखते हुए अधिक नहीं है। समाजवादी ढंग के समाज के हित में यह राहत हम पहुंचा सकें तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। जनसंख्या के १।३ हिस्से को इतनी राहत देकर हम बड़ा काम कर सकते हैं।

अगर इतनी बड़ी घाटे की रकम मन्जूर करने को आप तैयार नहीं तो इस सम्बन्ध में इस तरह से भी विचार कर सकते हैं। राजस्थान में जो कुल भू-राजस्व ८।।। करोड़ के आस-पास है उसमें से पचास-पचास लाख कम कर दें। मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ी राशि नहीं है।

दूसरी बात जो सुझाव के तौर पर कह देना चाहता हूं वह यह है कि क्योंकि आज जब सरकार की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि आप एक तरफ तो सुधारों की बात करते हैं, एक तरफ लोगों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ टैक्सों को समाप्त करने की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब मात्रा पर कर लगाने की बात मान ली जाय तो इस सिद्धान्त को मानने से इन्कम टैक्स में जैसे स्लेब सिस्टम लागू किया जाता है तो भू-राजस्व में भी स्लेब सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये। पांच से दस एकड़ तक माफ, इसके बाद दस एकड़ से ऊपर पर लगाना है तो उस पर कुछ अधिक, उससे ऊपर वाले पर कुछ अधिक। इस तरह से स्लेब सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया तो पचास लाख के घाटे के स्थान पर कुछ बचत ही कर सकेंगे और कम से कम समाजवादी व्यवस्था की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा। इससे हमारे राजस्थान के ६५ लाख इन्सानों को झकझोर डालेंगे जो बदली परिस्थितियों में आनन्द उठा सकेंगे।

इसके बाद दूसरी बात जो कल कही गई सदन में वह यह है कि आज एक माननीय प्रश्न भी हमारे सामने है। इस बजट को पूरी तरह से देखें तो पावेंगे कि रिलीफ के नाम पर कई आइटम्स जरूर रख दिये हैं पर मोटा माननीय प्रश्न अछूता ही रह जाता है। तो हम समझ नहीं पाते कि यह कैसा कल्याणकारी राज्य है जिसके अन्दर एक तरफ इन्सान अपने बुढ़ापे के जीवन को पेट पर पट्टी बांध कर पूरा

(श्री मुकुटविहारीलाल)

करता है और अधिक पट्टी बांधने का उपदेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ इन्सान मक्खन और हलवा पूड़ी खाते रहें ? जिस इन्सान ने अपनी यौवनावस्था में, देश के निर्माण-कार्य में टैक्स के रूप में और दूसरे २ कार्यों के रूप में सब कुछ देकर सरकारी खजाने भरे हैं और अपना सर्वस्व देकर देश की सेवा की है दुर्भाग्यवश बुढ़ापे में गुजर-बसर करने का प्रबन्ध नहीं कर सकता, तो इस लोक कल्याणकारी राज्य के यह हित में है कि वह इनका प्रबन्ध करे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जैसी यूरोप और अन्य देशों की सरकारों ने पहल की है तो यहां भी हम पहल करेंगे और कम से कम साठ वर्ष की उम्र के व्यक्ति को और पचास वर्ष की वृद्ध महिला को २०), २५) रुपया माहवार पेन्शन देने की व्यवस्था जरूर की जाय।

कल जैसा बताया गया कि केवल दस हजार के करीब वृद्ध ऐसे मिलेंगे ८० हजार की कुल संख्या में से जिनके पास आजीविका के साधन नहीं है और जो अपने को असहाय और मोहताज अनुभव करते हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों का ध्यान इधर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार का नियम है कि अगर कोई आदमी लावारिस है और वह मर जाये तो उसकी प्रोपर्टी की मालिक बन कर हमारी सरकार फौरन कूद कर आ जाती है कि लावारिस के मालिक हम हैं; परन्तु लावारिस अवस्था में जिन्दा इन्सान होता है तब कोई कारण नहीं रह जाता कि उस वृद्ध पुरुष के लिए कोई पेन्शन न दी जाये। पेन्शन का मतलब केवल यह नहीं होता कि उसके लिए पेन्शन इस बात के लिए दी जा रही है कि उसने फौज में परेड की है या सरकार की नौकरी की है। पेन्शन का मतलब गुजारे का जरिया होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हर नागरिक चाहे वह किसी भी अवस्था में रहा हो अपने जीवन काल से लेकर मृत्यु पर्यन्त कुछ न कुछ सरकार को देता है। किसान अपने गाढ़े पसीने की कमाई से अन्न पैदा करता है, देश के प्रोडक्शन के अन्दर अपना हिस्सा अदा करता है और जब वह अपना हिस्सा अदा करता है और उसके बाद में बुढ़ापे की अवस्था में आ जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि समाजवादी समाज को लाने के लिए जो नारा लगाने वाली सरकार है उससे कम से कम मैं यह अपील करूंगा कि वह अपने बजट में इस मानवीय पहलू पर विचार करे और कम से कम इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था करे कि बूढ़ों के लिए शीघ्रातिशीघ्र पेन्शन दी जाये।

जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है और उसके सिद्धांत का सवाल है मैं सेल्स टैक्स एक्ट का शुरू से आखिर तक विरोध करता हूं। मेरी यह मान्यता है कि सेल्स टैक्स एक्ट ने भारतीय जनता का जितना नैतिक पतन किया है, जितनी बेईमानी उनके शरीर और खून में पैदा की है शायद उतनी बेईमानी और भ्रष्ट करनेवाली दूसरी व्यवस्था देश के अन्दर नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि अगर देश का चरित्र-निर्माण नहीं होगा, देश का चरित्र भ्रष्ट होगा, देश का नागरिक भ्रष्ट हो गया, देश का व्यापारी भ्रष्ट हो गया, देश का उत्पादक भ्रष्ट हो गया,

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

श्रमिक भ्रष्ट होगया तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश का ईमान भ्रष्ट हो जाने का मतलब यह होगा कि हम सब भ्रष्ट हो जायेंगे और यदि हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे देश के अन्दर महराणा प्रताप ने जो संदेश दिया है और जैसा कि एक पुराने राइटर ने भी कहा है कि राजस्थान की घाटियां उन्होंने थर्मापोली से ज्यादा बना दी और मैं भी कहूं कि हमारे यहां पर त्याग और तपस्या की बहुत मिसालें हैं। हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री त्याग और तपस्या का सन्देश देते हैं तो मैं समझता हूं कि वे शायद मुझसे सहमत होंगे कि त्याग और तपस्या के लिये जो कहा गया तो मुझे एक कहावत याद आ गई, 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे कुछ अपनी तरफ भी देखें। गुट बन्दी होती है कांग्रेस के अन्दर, पर उधर सरकारी पक्ष में बैठने वाले व्यक्ति अपनी कुनबापरस्ती के कारण अपनी सरकार नहीं बना सकते और उसका दण्ड भुगतना पड़ता है जनता को। हमारे यहां सदन में जहां ७-८ मन्त्रियों से काम चल सकता है वहां पर आज १६ की संख्या कर दी जाये और सुना यह जाता है कि अब संख्या २२ होने वाली है। अब जब कि लाखों रुपया हमारे यहां पर मन्त्रिमण्डल के ऊपर खर्च होने वाला है तो मैं यह समझता हूँ कि जब राजस्थान की अर्थ व्यवस्था एक तरफ लैप्स होने जा रही है और टैक्सों के भार से आम जनता पिस रही है तो समझ में नहीं आता कि यह अनापशनाप खर्चा हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यह व्यवस्था चैक नहीं की गई और इस प्रकार की बढ़ती हुई गति की तरफ सदन के सदस्यों ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये तो हो सकता है कि जो सरकारी पक्ष में बैठने वाले लोग हैं वे सोचने लगें कि ८८ के ८८ आदमियों की जो जमात है वे कोठियों में रहे, सब के सब मन्त्री रहें, कोई मिल को सम्भाले, कोई कलेक्टरी को सम्भाले और कोई कारखाने को सम्भाल ले।''

मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर मैं उस स्थिति का बयान करूं तो वह स्थिति बहुत भयावह हो जायेगी कि ८८ के ८८ आदमी मन्त्रिमण्डल में चले जायें और राजस्थान की जनता को परेशानी में डाल दें। तो जहां मित्तव्ययता का सवाल है इसके द्वारा बहुत बचत की जा सकती है। जैसा कि मैं अर्ज करूं कि आज इस सबकी क्या आवश्यकता है, जब कि हम गांधीजी की दुहाई देते हैं? गांधीजी ने कहा था कि देश के अन्दर सच्चा राम-राज्य उस समय आएगा जब कि देश का मिनिस्टर झोंपड़ी में जाकर रहेगा। फिर क्या आवश्यकता है बड़े बड़े आलीशान बंगलों और कोठियों की, बड़ी बड़ी कार और बड़े बड़े गलीचे और मसनद, रेफ्रीजरेटर और रेडियो की? तो गांधीजी के सिद्धांत में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अन्तर मालूम पड़ता है। जहां राजस्थान का आदिवासी भील और पिछड़ी जाति का व्यक्ति नग्न अवस्था में रहता है, जहां राजस्थान का व्यक्ति पिस रहा हो, मर रहा हो, वहां राजस्थान के प्रतिनिधि कहलाने वाले लोग और सदस्य बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहें और एशो-

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

आराम करें ! मुझे अध्यक्ष महोदय, कहावत याद आती है 'जहां रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था'। आज हमारे शिक्षितों में बेकारी है, नौजवानों में बेकारी है, आज देश में किसान काम चाहता है, आज भूमिहीन भूमि चाहता है, अपने पुरुषार्थ से जमीन को जोतना चाहता है पर उसके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं है। आज नौजवान काम चाहता है, मेहनत करना चाहता है और देश के उत्पादन में हिस्सा बंटाना चाहता है, देश की खुशहाली के लिए अपना हीं सहयोग देना चाहता है पर सब बेकार है; क्योंकि उसके पास काम का कोई नक्शा नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि आज कोई भी व्यवस्था तब तक अच्छी तरह से राजस्थान में कारगर नहीं हो सकती जब तक कि हम समाजवादी ढंग से समाज और समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयत्न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर को बहस के समय इस सदन में उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जाये।

श्री चन्दनमल बैद (उप–मंत्री वित्त) : मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि बैटरमेंट लेवी के बारे में एक बात कही गयी कि सरकार बैटरमेन्ट लेवी लगाना चाहती है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बसेड़ी के अन्दर चुनावों के दौरे पर जिस समय पहुंचे थे तो उनको वहां पर कुछ खेतों में गेहूं उगे हुए दिखाई दे गये। तो एक इलेक्शन मीटिंग में हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि यहां किसान तो बड़ा खुशहाल हो गया कि यहां गेहूं भी पैदा होने लग गये। उनका अगर दृष्टिकोण यही है कि कोई किसान युगों की बर्बादी के बाद मेहनत करके गेहूं उगाने में सफल हो गया तो उसके ऊपर आप फौरन से बैटरमेन्ट लेवी लगा दें, आज अगर वह अच्छी तरह से रोटी खाने लग गया तो उससे आप रोटी छीन लो। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने दालों पर टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब तो उसी तरह से है जैसे एक आदमी करीब ४ रोटी खाता है तो ३॥ रोटी तो वह दाल से खाये और आधी रोटी-वाली दाल न खाये; क्योंकि यह दाल तो उधर जायेगी। दूसरी तरफ जहां राहत की बात कही जाती है तो मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या राहत दी और जिसके लिए बड़ा ढिंढोरा पीटा दिया कि कपड़ों की गांठे जिन बारदानों में बंध कर आती हैं उन पर से टैक्स माफ कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे एक आदमी बाजार गया और उसने १ आने की चाट खाली तो उन्होंने कहा कि चाट और पकोड़ी का टैक्स तो ले लिया, लेकिन दौने का टैक्स नहीं लिया। दोने पर टैक्स माफ कर देने के बारे में बहुत बड़ी दुहाई दी जाय कि चाट बेचने वालों से दोनों पर टैक्स लेना बन्द कर दिया है, वही बात कपड़े की गांठें जिस बारदाने में बांध दी जाती हैं उसका टैक्स माफ कर देने के बारे में है। अगर राजस्थान सरकार....

Page No 48

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दोने इस्तेमाल नहीं होते हैं, कागज होता है और कागज पर माफ कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : राजस्थान सरकार शायद यह बताने की बात करेगी। मैं समझता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में शायद ही कुछ रकम इस बारदाने पर सेल्स टैक्स के रूप में वसूल की गई हो।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर वैसे तो हर जगह बहुत बड़ा लगान यानी भू-राजस्व लिया जाता है; लेकिन खास तोर से नीमराना तहसील और बसेड़ी तहसील में पहले से बहुत ज्यादा भू-राजस्व बढ़ा हुआ है। कम से कम उसमें कुछ कमी करके राजस्थान सरकार वास्तव में किसानों को राहत दे सकती है।

साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी समाज के अन्दर कम से कम न्याय तो प्रत्येक किसान के लिए सुलभ और शान्ति के साथ प्रदान किया जायगा, ऐसी हमारी मन्शा हो। अगर राजस्थान सरकार वास्तव में अपनी सच्चाई और ईमानदारी का परिचय देना चाहती है, वास्तव में अपने नारों की सच्चाई को साबित करना चाहती है तो फिर कोई कारण नहीं कि बजट के पास होने से पहले पहले राजस्थान सरकार इस बात की घोषणा करे। पूर्वी राजस्थान की जनता जो आज जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच हटाये जाने से जो परेशानी में पड़ी हुई है तो राजस्थान की राजधानी इस जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट की बैंच रखने की घोषणा कर देगी।

इसके साथ ही साथ दूसरी व्यवस्था भी करेगी कि जिस तरह से कमिश्नरी को खत्म किया गया और अपीलेन्ट रेवेन्यू आथोरिटीज़ कायम की गई हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि पूर्वी राजस्थान के लिए जो अपीलेट ऑथोरिटी है, वह कोटा में बैठती है उसके लिए कुछ टाइम निश्चित कर दें कि एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए वह भरतपुर जिले में बैठेगी, कुछ सप्ताह के लिए अलवर में बैठेगी, कुछ सप्ताह के लिए धौलपुर में बैठेगी। इस तरह की व्यवस्था करेगी तो आम जनता के लिए, आम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं वास्तव में चाहता तो यह था कि राजस्थान की सरकार न्याय दिलाने में इस तरह की व्यवस्था कर पाती, कहीं इस प्रकार का आदर्श आपके सामने रख पाती कि किसानों को न्याय खेतों की मेड़ों पर जाकर मिलेगा, किसानों को घर बैठे न्याय मिलेगा, किसानों को कम से कम खर्चे में न्याय मिलेगा।

हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने हाईकोर्ट रख दी जोधपुर में। हम चलते हैं धौलपुर से ४००, ५०० मील का रकबा पार करके पहाड़ों पर जाकर पहुंचते हैं; इस बात को आगे से राजस्थान में चालू नहीं रहने दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि सरकारी पक्ष अपनी झूठी शान और मर्यादा का सवाल नहीं सोचेगा और आम जनता की बहबूदी और गरीब किसानों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए इस तरह की घोषणा करेगा कि जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बेन्च जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाय।

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

इस प्रकार से साथ ही जहां एडमिनिस्ट्रेशन पोइन्ट ऑफ व्यू का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां धौलपुर का एक इलाका है और धौलपुर एक सब-डिविज़न भरतपुर के जिले में शामिल है, परन्तु आवागमन के साधन कुछ इस प्रकार के हैं कि यू० पी० का ७२ मील का रकबा पार करके आगरा होकर भरतपुर जाना पड़ता है। यू० पी० का रकबा पार करके भरतपुर पहुंचते हैं। धौलपुर से सीधा रास्ता नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ और कई नदियां हैं जो वर्ष में करीब अगर खुश्की के रास्ते से जायं तो ८ महीनों तक रास्ता रोके रहती हैं और पैदल के रास्ते से चलने पर ५, ७ दिन में धौलपुर के लोग भरतपुर जा पाते हैं। जहां इतनी बड़ी विभिन्नता है तो इसमें कोई बड़ी दूरदर्शिता की बात नहीं है। इसलिए धौलपुर को अविलम्ब एक जिला घोषित कर दिया जाय।

हमारे भरतपुर के इलाके में और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में गिरकी की समस्या फैली हुई है। इस बजट के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस बात की व्यवस्था की जाय कि गिरकी की समस्या जो मुंह फैलाये हुए खड़ी हुई है उसके समाधान के लिए, उसके ऊपर कन्ट्रोल करने के लिए कोई प्रभावकारी कदम उठाये जायं। यह गिरकी की समस्या भरतपुर और अलवर जिलों में खासतौर से है। मैं अर्ज करूंगा इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, कि पिछले १० सालों से मैं समझता हूं कि भयंकर रूप से हर साल गिरकी का एरिया निरन्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज जब कि मैं यहां सदन में निवेदन कर रहा हूँ उस समय भी कामां तहसील के २५ गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी से घिरे हुए हैं और आवागमन का साधन केवल नावें रह गई हैं। वहां पर अफसोस की बात यह देखने में और आती है कि गांवों में जमीन डूबी हुई है तो भी सिंचाई-कर की मांग की जा रही है, तो भी लगान की मांग की जा रही है कि किसान लगान दें, किसान सिंचाई-कर दें। किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कस्बे के कस्बे गिरकी में आ गये हैं। गिरकी का एरिया निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पंजाब की गुड़गांव तहसील जो कि कामां तहसील से लगी हुई है वहां पंजाब में गुड़गांव के लिए प्रभावकारी योजनाएं रखी हैं। और इस तरह से मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक इशारा करना चाहता हूँ कि वहां यह योजना रखी गई है कि वहां पर कुछ बोरिंग करवा कर और पाताल तोड़ कुएं बना कर पानी को ऊपर फैंका जाता है ताकि सब-सॉइल वाटर लेवल जमीन के नीचे चला जाय ताकि गिरकी की समस्या फिर से उत्पन्न नहीं हो तो सरप्लस वाटर को निकलने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जायं। अगर योजना बनाते हैं तो वह विशेषज्ञों की बात है, लेकिन उनको राहत दिलाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने चाहिये।

यहां पर खानों का सवाल है! मैं माइन्स के बारे में पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में निवेदन कर चुका था। और अब मैं १-२ मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि खानों का विभाग है,

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

जैसा कि इन्डस्ट्री विभाग है, यहां जंगलात का विभाग है और तीन-चार और कई तरह के विभाग हैं कोऑपरेटिव का विभाग है, ये विभाग ऐसे हैं जिनमें काफी लूट-पाट चलती है, इन्तिहा दर्जे का भ्रष्टाचार चलता है और यह कहना चाहिए कि राजस्थान सरकार पैसे के बल पर टिकी हुई है। इन विभागों द्वारा की गई अनियमित आमदनी जो है उसके बल पर यह सरकार टिकी हुई है।

मैं इसके लिए अर्ज करूंगा कि खानों में होता क्या है कि एक तरह से मोनोपोली सिस्टम को पाला-पोसा जा रहा है। पैसा बढ़ता जा रहा है। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं; लेकिन ठेका एक को ही देते चले जा रहे हैं। इससे रॉयल्टी का नुकसान होता है मोनोपोली सिस्टम से। वहां जो लेबर क्लास है वह मरती पिसती चली जा रही है। मेरे पास की जगहों की बात मैं अर्ज करूंगा कि ४५ वर्ष से ज्यादा उस जगह के लेबर की उम्र नहीं होती है। उन लोगों के हाथ-पैर टूट जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार की मैडिकल ऐड की व्यवस्था वहां पर नहीं है। इधर यह मोनोपोली सिस्टम खत्म किया जाय और हथोड़ा सिस्टम लागू किया जाय या दूसरे दूसरे सिस्टम जिससे खानों से होने वाली राहत हो वह आम जनता तक पहुंच सकें। इस सम्बन्ध में प्रभावकारी कदम उठाये जायं।

जंगलात का जहां तक सवाल है वह बड़ा पेचीदा मामला है। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जंगलात की समस्या राजस्थान के अन्दर विकटतम समस्या है। तहसील बसेड़ी, तहसील धौलपुर, तहसील डूंगरपुर, बांसवाडा, कुशलगढ़ और बूंदी में, जिलों से मेरा मतलब है, अध्यक्ष महोदय, इनमें बहुतायत से जंगल पाये जाते हैं। वैसे जंगलों से बहुत बड़ा फायदा है। जंगलों से लकड़ी मिलती है, महुआ मिलता है, गोंद मिलता है, तारपीन मिलता है, जिनसे बहुत सी इन्डस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं। वे इस तरह के रॉ मेटीरियल मिल सकते हैं। मैं अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि उनको उन उत्पादक कार्यों में काम में नहीं लेकर उन जंगलों को महत्वहीन कामों में लिया जाता है। उनमें हरेक जंगल के बीच में विश्रामालय बनाये हुए हैं, स्थान स्थान पर आमोद-प्रमोद के साधन जुटाये हुए हैं जहां बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्रियों के परिवारों के सदस्य जाते हैं और आराम से ठहरते हैं। लोग शिकार का आनन्द लेते हैं, लोग नौका-विहार करते हैं, लोग रंगरेलियां करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अनाप-शनाप रूपया इन विश्रामालयों में जो जंगलों के भीतर बनाये गये हैं उनमें खर्च होता है। यह इस प्रकार का राजस्थान की मितव्ययता का उदात्त और चरम आदर्श है जो समाजवादी कहलाने वाली सरकार हमारे देश के सामने रखना चाहती है। उसको ले कर नीलाम करने के बड़े बड़े ढोंग बनाये जाते हैं जैसा कि अभी बनाया गया है। पानरवा का ठेका दिया गया है। २०—२० हजार में ८-१० साल की मोनोपोली दे दी जाती है। उसका नतीजा क्या होता है ? उसका नतीजा यह होता है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ में लकड़ी कट कट कर वहां पर कोयला बना कर अहमदाबाद चला जाता है, बम्बई चला जाता है, परन्तु वहां की स्थानीय जनता लकड़ी के लिए

Page No 51

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

तरसती रहती है। बिल्कुल वही हालत बसेडी तहसील के अन्दर हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मैं प्रत्यक्ष इसका सबूत हूं। मेरे सामने चुनाव के दौरान में एक घटना घटी कि मुर्दा रखा रहा। उसी बसेडी तहसील में मुर्दे को फूंकने के लिये लकड़ी उपलब्ध नहीं थी जब कि बसेड़ी तहसील जंगल से घिरी हुई है, उसके चारों ओर जंगल हैं। लेकिन वहां पर ठेकेदार लकड़ी इकट्ठी करता है और सीधा उसका चालान यू० पी० को करता है। जहां पर इस तरह से ठेके दिये जायं वहां स्थानीय लोगों के गुजर-बसर के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए। जंगलात के बारे में अहम समस्या इस बात की है कि हमारे आदिवासी भील, पिछड़ी जाति के लोग ज्यादातर जंगलों में रहते है। हमारे पूर्वी राजस्थान के गूजर भाई जंगलों में रहते हैं, उनका मुख्य साधन पशु चराना, भेड़-बकरी चराना या गौंद इकट्ठा करना या लकड़ी इकट्ठा करके जीवन पालन करना था यह आज उनको दिक्कत हो रही है। आज जंगलात की समस्या को अहमता के साथ हल करना चाहिये ताकि जंगल के बीच में बसने वाली आम जनता को परेशानियां न हों, उनका शोषण न हो और उन पर आपत्ति न आ जावे। तो जंगल के विषय में निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान का वित्तीय अनुमान या ६२-६३ का बजट है उसमें दिखाया है कि ६५ लाख ३ हजार की आमदनी जंगलों से होगी जब कि उसका खर्चा ६१ लाख ७३ हजार दिखाया है। कहां तो ६५ लाख की आमदनी और ६१ लाख का खर्चा हो जाय ? अध्यक्ष महोदय, कितनी बड़ी मशीनरी इसमें लगी हुई है, कितने अधिकारी इसके लिए हैं और कितना बड़ा घोटाला किया जाता है और आमदनी नगण्य सी होती है; जैसा कि बूंदी में होता है। कुछ बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के लीडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं और ठेका लेते हैं फिर दिवाला निकालते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लाखों रुपयों की रकम खा जाते हैं और भाग जाते हैं। एक नहीं, बीसियों उदाहरण इस तरह की सोसाइटीज़ बनाने और इस तरह का काम करने के पेश कर सकता हूं।

जेलों की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, यह एक अहम समस्या बनी हुई है। राजस्थान में सभ्य कहलाने वाली सरकार जेलों की समस्या को ठीक नहीं कर सकी। मैं निवेदन करूंगा कि शायद शासक वर्ग में बैठने वाले व्यक्ति जो सन् ४७ के बाद के मौड्ल हैं उनको तो शायद अनुभव नहीं होगा लेकिन उससे जो पुराने बैठे हैं उनको शायद अनुभव होगा खास कर वित्त मंत्रीजी को या दूसरे अजमेर के मंत्री हैं उनको शायद अनुभव हो सकता है, जब फ्यूडल ऑर्डर देश में था, देशी राजा, रजवाड़े थे उनके समय में जेलों की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। मैं निवेदन करूं कि आज मन्त्रीजी या शासक वर्ग के लोग वहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि जेलों में किस तरह से नारकीय जीवन व्यतीत किया जाता है। इसका अन्दाजा वे तभी लगा सकते हैं जब उनके अन्दर के मन्त्री एक महीने के लिए या ५-७ दिनों के लिए जेलों में जाकर देखें....

एक माननीय सदस्य : क्या उनको जेल भेज दिया जाय ?

श्री मुकुटबिहारी लाल : यह तो कभी भी समय आ सकता है, खास करके विरोधी पक्ष के लोगों के लिये खुली हुई हैं, सरकार का वक्र दृष्टिपात हो सकता है और कभी भी यह बात आ सकती है। यहां मैं जेलों के बारे में अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। मैंने सन् ४२ का अनुभव देखा है, सन् ४५ और ४७ में राजाशाही की जेलों का अनुभव किया है और इस कांग्रेस सरकार की जेलों का अनुभव भी एक बार नहीं, तीन बार किया है। जमीन आसमान का अंतर राजाशाही के जमाने की जेलों में और आज की जेलों में पाया है। उन राजाओं के ऑर्डर को जिसे खराब ऑर्डर बताया जाता है, उनकी जेलों की दशा आज की जेलों की दशा से कई गुना अच्छी थी।

इसके अलावा राजस्थान के अन्दर ही नहीं; बल्कि देश के अन्दर अंग्रेजियत या पाश्चात्य देशों की नकल करने का तरीका चल पड़ा है। नये सिक्के, नये किस्म के बांट, क्विन्टल, किलो आदि चल पड़े हैं। इसी तरह से नये नये सिक्के हैं जिनकी पूरी जानकारी अधिकांश सदस्य महानुभावों को भी नहीं होगी, एक अप्रेल से आनेवाले हैं। इसके लिये यह ऐलान किया गया है कि जो नये बांट, सिक्के आदि काम में नहीं लायेंगे उनको जेल में भेज दिया जायगा या हजार रुपयों तक का जुर्माना होगा। यह एक तरह से आम जनता पर, छोटे छोटे दूकानदारों पर, सब्जी बेचनेवालों पर, खोमचेवालों पर और व्यापारियों पर कितनी और किस प्रकार की मुसीबत आ गई है; यह सोचने की बात है। इसके जरिये कहीं कहीं तो लूट का साधन बनाया गया है। इन बांटों को बेचने के लिये अपने चाहे आदमियों को ठेकेदार नियुक्त किया गया है। मैं भरतपुर की बात करूं कि दिल्ली में जो बांट शायद ३० रु० में मिलते हैं....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ माननीय सदस्य सदन की परम्परा का उल्लघंन कर रहे हैं। तीन चार माननीय सदस्य अध्यक्ष और वक्ता के आसन के बीच से निकले हैं। इसके लिये जो परंपरा है, रूल हैं, नियम हैं उनको उन्होंने देखने का शायद कष्ट नहीं किया है। इसमें अच्छा नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष या माननीय सदस्य को यह बात बताई जाय। जो पार्टीज़ हैं उनको परिपत्र भेजा है कि सारे सदस्यों को बतावें कि किस तरह से सदन में आना चाहिये, किस तरह से जाना चाहिये। जो सदस्य पास में बैठे हैं उनके यदि नोटिस में आवे कि परम्परा का उल्लंघन हो रहा है तो वे उसे कम करने या रोकने की कोशिश करें।

श्री मुकटबिहारीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि बांटों का सवाल राजस्थान में आज अहम सवाल है। राजस्थान को बड़ी बड़ी मंडियों में वजन लकड़ी की बनी डंडी से होता है। इससे जहां पर सैकड़ों मन का वजन एक साथ तेजी से हो सकता था वहां आज नौकदार कांटे की डंडी से वह तोल नहीं हो सकता। इसके अलावा मंडियों का तरीका था, जब बोरियां भरी जाती थीं तब कांटे से तोल कर देखी जाती थीं बीच में पांच, पांच, सात, सात छोड़ कर तोली जाती थी। वह

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

तरीका बहुत वैज्ञानिक तरीका था, लेकिन आज की व्यवस्था से इसे बन्द कर दिया गया। जब वह पुरानी डंडी कुछ पैसों से बन सकती थी, आज वह कांटा १०, १२ रुपयों से कम में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन बांटों पर मोहर लगाने के लिये यह निश्चित कर दिया गया है कि जो इन्सपेक्टर्स हैं वे मुहर केवल उन बांटों पर लगायेंगे जो उन चाहते ठेकेदारों से खरीदे गये हैं। दिल्ली में यह सेट ३०) रु० में आ सकता है लेकिन राजस्थान में, खास तौर से भरतपुर में ५८ रु० इस सेट के लिये जा रहे हैं। यदि बाहर से खरीद लेते हैं तो उन पर मुहर लगा कर पास नहीं किया जाता है, मना कर देते हैं। इस तरह से छोटे व्यापारियों को परेशानी है।

मैं निवेदन कर दूं एक बात जो सेल्स टैक्स के बारे में रह गई थी। वह यह बात थी कि जहां तक सेल्स टैक्स के बारे में गौर करने की बात है, सेल्स टैक्स लास्ट बिन्दु पर रखा है। मिर्च, धनिया और जीरा कौन बेचता है, मिर्ची, धनियां और जीरा छोटे छोटे दूकानदार बेचते हैं। माननीय सदस्य देखते होंगे, शहरों में और गांवों में देखते होंगे परचूनी दूकानदार दो पैसे का जीरा या दो पैसे की मिर्चा या एक आने का धनिया बेचते हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाय कि वे इनका हिसाब रखेंगे ? सेल्स टैक्स यदि लास्ट बिन्दु पर लगाया जाता है तो लास्ट बिन्दु का मतलब है कि दूकानदार पूरा हिसाब रखे, फलावट रखे, नक्शा बनावे, बहुत बड़े बही खाते रखे, वह उनके लिये संभव नहीं है। तो मैं निवेदन करूं कि इन चीजों पर सेल्स टैक्स क्या अभीष्ट है ? इस फर्स्ट पॉइन्ट पर कर दिया जाय ताकि छोटे छोटे दूकानदार हैं उन्हें मिर्च, मसालें, धनिया बेचते हैं उनको परेशानी पैदा नहीं हो।

एक बात वित्त मंत्री महोदय के भाषण के मद नम्बर ४४ में कही गई है कि म्यूनिसिपेलिटीज़ को जो दी जाने वाली राशि है वह पन्द्रह लाख से बढ़ा कर २५ लाख रूपये कर दी है। इसके साथ में यह तुर्रा लगा दिया है उसके बीच में कि भाई, यह उन म्यूनिसिपेलिटियों को दी जायगी जो इतनी ही तादाद की रकम लोकल करों से इकट्ठी करेंगी। इसके मायने यह हैं कि परोक्ष तरीके से २५ लाख के टैक्स राजस्थान की जनता पर और लगाये जाने वाले हैं। क्या राज्य सरकार इस बात को मान्यता देती है कि म्यूनिसिपेलिटी आम जनता पर टैक्स लगाये तभी उसे ग्रान्ट-इन-एड मिल सकती है ? लोकल बॉडीज की दशा बहुत ज्यादा खराब है। भरतपुर जिले की म्यूनीसिपैलिटियों की हालत बिल्कुल दयनीय है। वैर की जो म्यूनीसिपैलिटी है, उसके कर्मचारियों को लगातार छः महीने से वेतन नहीं मिला। आखिर स्थानीय निकाय हैं, अध्यक्ष महोदय, वे जनता की सेवा करने के लिए होने चाहिए। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है, वह सेवा के लिए होना चाहिए। अगर सरकार की यह नीति रही तो ये स्थानीय निकाय टैक्स लगाने की मशीन मात्र न बन जांय। इसके साथ ही अगर इनके द्वारा अनाप शनाप टैक्स लगाये गये तो जनता में इस बात का भय पैदा हो जायगा कि स्थानीय निकाय सेवा का जरिया न होकर टैक्स लगाने की मशीन है। अगर जनता में

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

इनके प्रति इस प्रकार का भय पैदा हो गया तो हमारा बहुत बड़ा अहित होने वाला है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि स्थानीय निकायों से होने वाली आमदनी का चौथाई हिस्सा स्थानीय निकायों, पंचायतों, जिला बोर्डों आदि के लिए निर्धारित कर दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। एक दो बातें कह कर, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना निवेदन खत्म करूंगा।

जहां सरकार ने एक साहसी कदम उठाया पिछले साल के बजट में कि कमिश्नर की पोस्ट हटा दी गई लेकिन इसका आर्थिक पहलू पर पूरी तौर पर फायदा नहीं हुआ क्यों कि जो कर्मचारी थे उनको तो इधर से उठा कर दूसरे विभागों में रख दिया गया। इधर के क्लर्क उठा कर दूसरी जगह रख दिये गये । और जो फायदा हुआ है वह इससे हुआ है कि छोटे छोटे चपरासियों को घर बैठा दिया गया। क्या यह सरकार का मितव्ययता का तरीका है ? जब कि वह बचत की बात करती है और बचत का आन्दोलन चलता है तो सरकार एक तरह चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के ऊपर कलम चलाती है और उनको बेरोज़गारी के मुंह में फेंक देती है। होना तो यह चाहिए कि बड़े २ अधिकारियों की पोस्ट खत्म की जाय। अगर एक अधिकारी को हटाया जाय तो जो वह तीन हजार, ढाई हजार की तनख्वाह पाता है, जो उसे भत्ता कार के लिए और दूसरी दूसरी चीजों के लिए अलाउन्स मिलते हैं, वे सब मिला कर सरकार पांच छः हजार रुपया एक अधिकारी पर खर्च करती है। तो जहां सरकार पांच छः हजार के खर्च को कम करने वाली है वहां एक अधिकारी को हटा दिया जाय। उसके मुकाबले में पच्चीस, पचास चपरासियों को हटाया गया तो ५० परिवार नष्ट कर दिये जाते हैं। उसके मुकाबले में तो एक आदमी, जो साधन सम्पन्न है, को यहां से विदा करके भारत सरकार के किसी दफ्तर में बैठाया जा सकता है। इसलिए मैं पुरजोर अपील करूंगा कि जो कलेक्टर्स की पोस्ट हैं, इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। आज के विकेन्द्रीकरण के जमाने में, जब कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते चले आ रहे हैं, जब कि जिला परिषद को शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, जब कि पंचायत समिति को सत्ता देना चाहते हैं, पंचायत को एक इकाई बनाना चाहते हैं तो इन कलेक्टर्स की पोस्ट्स का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस चौखम्भा राज्य के अन्दर पंचायत एक ग्राम इकाई है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है और राज्य सरकार है तो इस चौखम्भा राज्य में कलेक्टर्स की पोस्ट बनाये रखना, इतना अनाप शनाप खर्च बनाये रखना, राजस्थान की जनता पर टैक्स का भार थोपे रखना एक जंचने वाली बात नहीं है।

मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रीजी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और कम से कम जो मुख्य मुख्य बातें मैंने कहीं- सेल्स टैक्स, मिर्च, मसाले, धनिये की बिक्री पर फर्स्ट पोइन्ट पर लगाने की बात कही उसको आप

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

कर देंगे, बैटरमेंट लेवी प्रोजेक्ट एरिया में से खत्म नहीं करेंगे, हाई कोर्ट की बात और दूसरी दूसरी बातें कहीं, उनको करेंगे तो उचित होगा। जो सुझाव मैंने सरकार के सामने रखे हैं उनको वित्त मंत्रीजी को अपनी उसी स्पिरिट के आधार पर देखना चाहिये जो कि उन्होंने अपने भाषण की मद नम्बर ६ में स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट की याद दिलाई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि देश का और राजस्थान की जनता का कल्याण होगा। राजस्थान देश के सामने एक उदाहरण पेश करेगा कम से कम बूढ़े लोगों को पेंशन देकर, बेमुनाफा खेती में से लगान माफ कर और दूसर दूसरे काम करके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में पिछले एक दिन से बहस चल रही है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट के सम्बन्ध में भाषण रखा, मुझे कहना पड़ रहा है कि उस भाषण से मुझे संतोष नहीं हुआ। एक फाइनेन्स मिनिस्टर से यह आशा की जाती है जब वे राज्य का बजट सदन के सामने रखते हैं कि वह राज्य की अर्थ व्यवस्था, आर्थिक स्थिति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जनता के विभिन्न जन-समूहों पर उनकी नीतियों का क्या असर पड़ रहा है और अभी तक जो सरकार ने बजट के सम्बन्ध में नीति अपनाई है, पिछले तजुर्बे में उस नीति को सही साबित किया है या वे ऐसा महसूस करते हैं कि उस नीति में किसी प्रकार की आवश्यकता है, इस ओर संकेत करना चाहिए था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री का भाषण केवल ऐसा भाषण था जो एक अकाउन्टेन्ट एक कम्पनी के सामने अकाउन्ट्स पेश करे। इस किस्म का भाषण है। उनके सामने कुछ कठिनाइयां भी थी, यह भी हम महसूस करते हैं; परन्तु जब वे यह क्लेम करते हैं कि हम एक नई सरकार हैं और पन्द्रह दिन से आये हैं तो यह कहना उनका सही नहीं है। टैक्निकल तरीके पर यह बात हो सकती है। यह वाकया है कि पन्द्रह वर्ष से राजस्थान की जनता का भाग्य उसी पार्टी के हाथ में है जो आज भी शासन रूढ़ है और चाहे जो बजट, जो आज और कल पेश किये गये, हमारे वित्त मंत्री ने पेश किया, हमारे मौजूदा वित्त मंत्री के प्रिडीसर्स ने पेश किये, हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन सब में दिशा एक है, सोचने क तरीका एक है और बुनियादी तरीके से जो राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान की परिस्थितियां हैं और राजस्थान का विकास जिस प्रकार हो सकता है, उस दृष्टिकोण को दृष्टिगत रख कर इस बजट में नीति को नहीं अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से एक आम धारणा इस सदन में भी और सदन के बाहर भी पैदा करने का प्रयत्न किया गया है कि इस राजस्थान की पिछड़ी अवस्था में हम विकास करना चाहते हैं। लेकिन विकास के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए हमें लगातार इन टैक्सों का सहारा लेना पड़ता है। पिछले दिनों जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि राज्य के जो विभिन्न साधन इस विकास के लिए हो सकते हैं तो वे हमें सुझायें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ताकि हम उनका उपयोग कर सकें। मैं समझता हूँ कि यह बात बहुत संजीदगी से कही गई और चूंकि यह बात मुख्य मंत्री ने अपने आप कही है और किसी इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर नहीं; बल्कि इस सदन के अन्दर कही है इसलिये हमारी ओर से जो सुझाव इस संबंध में आवेंगे, हम यह उम्मीद करेंगे कि सरकार की ओर से उन पर उसी प्रकार संजीदगी से विचार करने का प्रयत्न किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो परिस्थिति है, यदि हम बजट को एक वास्तविक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का बजट राजस्थान का होना चाहिये तो राजस्थान की वास्तविक परिस्थिति है वह एक पिछड़े हुए प्रान्तों की है, जहां कृषि उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां उद्योग-धन्धे नहीं हैं; जहां की राजनैतिक व्यवस्था बहुत पुराने ढंग की, सामन्तशाही ढंग को चल रही है, लेकिन यहां पर भू-गर्भ में बहुत खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान की यह परिस्थिति है कि यहां के जन-साधारण की आमदनी, पर-केपिटा इनकम बहुत थोड़ी है और इसके कारण इस पर और बोझ नहीं डाला जा सकता है और इस परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान के लिये यह आवश्यक है कि राजस्थान के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और जनता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये यह जरूरी है कि विकास कार्यों को बहुत तेजी से हाथ में लिया जावे ताकि एक ओर राज्य में लोगों को रोजगार के साधन बढ़ सकें कृषि और उद्योग तेजी से पनपें और दूसरी ओर जनता की माली हालत उत्तरोत्तर बढ़ती चली जावे। मैं समझता हूँ कि इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने की तरफ सरकारी पक्ष का ध्यान नहीं है। एक तरफ की दलील देकर कि राजस्थान के विकास के लिये हमें आर्थिक साधनों की जरूरत है कर लगाना जरूरी है मगर पब्लिक की वास्तविक आर्थिक स्थिति को मद्देनजर नहीं रख कर उन पर अनावश्यक रूप से टैक्सों का बोझ डालते जाते हैं और दूसरी तरफ यह विचार-धारा भी इसके विपरीत इस सदन में आती है कि सरकार की ओर से महत्वाकांक्षा की योजनाएं रखी जा रही हैं। हमारे प्रान्त के साधन, इस प्रकार के साधन अलाउ नहीं करते कि योजनाएं अपने प्रान्त में रख सकें। इस प्रकार की आवाज भी आई कि हमें बड़े उद्योग इस प्रान्त में रखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की बात भी कही कि हमें योजनाओं में पैसा खर्च नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का रुख इस संबंध में स्पष्ट तौर पर यह है, हम हर्गिज यह नहीं समझते, राजस्थान की योजनाएं, अभी भी पंचवर्षीय योजना बनी और आज भी तीसरी पंचवर्षीय योजना जिस पर चलने के लिए कदम उठाया जा रहा है और जिसके आधार पर इस मौजूदा बजट को बनाया गया है, यह योजना कोई महत्वकांक्षा की है। हमतो यह समझते हैं कि यह योजना जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है अगर कोई पब्लिक की हुकूमत होती और ऐसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार होती जो जनता के हितों को सोचती तो उसे मालूम होता कि ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ति ऐसी नहीं है कि वे कर अदा कर सकें। वह जनता के जीवन स्तर को सोचती और यह सोचती कि हमें ५ वर्षों में जनता को इस स्तर तक जरूर ले जाना है; चाहे किन्हीं कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़े। उनका मुकाबला करने के लिए यह सरकार तैयार होती तो मैं समझता हूँ कि आज की आवश्यकता राजस्थान की यह थी कि उसको देखते हुए राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना ५०० करोड़ की बनाई जाती।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इस प्रकार से प्लॉनिंग करने की बात सोची जावे तो हमको वही पुराने ढर्रे की तरफ ध्यान देने और उसको बदलने की जरूरत होगी और नये विचारों से प्रेरित होकर नये बजट और नई फिस्कल पॉलिसी राजस्थान में एडॉप्ट करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे वित्त मंत्री नये आये हों; वैसे वे उम्र से भी पुराने हैं और ख्यालातों में भी मुझे कोई नये नहीं लगे; वही पुराने तौर तरीकों से बजट तैयार किया गया। मैं समझता हूँ कि १५ दिन का वक्त उनके लिये बहुत ज्यादा था। इस तरह का बजट तो एक दिन में रख देते। आपके पीछे आपका सेक्रेटेरिएट है। वहां तो सब आंकड़े आदि तैयार रहते हैं। उस पर आपको यह हिसाब लगाने में कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसमें आपने यह दिशा अंकित नहीं की कि इस प्रकार से इसको मोड़ देंगे; इस प्रकार से आप समस्याओं पर हावी होना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आज हमारा आर्थिक ढांचा है उस पर देखें तो आज हमारे रेवेन्यू रिसीट्स के साधन हैं मुख्य तौर पर, जमीन पर लगान, सेल्स टैक्स, बिक्री कर और इस प्रकार की कुछ जमीन की बिक्री इन पर निर्भर है। कुछ हमको इमदाद कर्जे के तौर पर या दान के तौर पर केन्द्र से मिल जाती है। इस आधार पर हम अपने राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनडाइरेक्ट टैक्सेशन को अपने फाइनेन्स का आधार बनाते जा रहे हैं। इस प्रान्त में लोगों की इनकम पर-केपिटा २४५) है और आज की प्राइसेज पर ३१५) रु. कहा है। कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रान्त की इतनी नीची पर केपिटा इन्कम है वहां पर आप अपनी फिस्कल पॉलिसी को राज्य की आर्थिक आय का आधार बनावें तो न तो कोई विकास-कार्य कर सकेंगे, न जनता को खुश कर सकेंगे। यह तो एक ऐसी नीति है जिससे उस मुर्गी को जो सोने का अण्डा देती है आप जल्दी में उसको मार कर सोने के अण्डे निकालना चाहते हैं, ताकि खुशहाली हो जाए।

(२.० म० प०)

अध्यक्ष महोदय, इस दौरान में यदि आप सरकार के जो टैक्स लगे हैं उसकी किस्म को देखें तो सन् ५५-५६ में जहां डाइरेक्ट टैक्सेज़ का पर्सेंटेज ५७.८ था वहां अब ४३ पर्सेन्ट रह गया है और इसमें केन्द्रीय मदद भी शामिल है और अगर इसको आप घटा लें तो यह पर्सेंटेज और भी कम हो जावेगा। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रान्त का विकास जहां नदी-घाटी योजनायें चाहिये, जहां हमें नदियों को बहाना है, जनता के स्तर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को ऊंचा उठाना है वहां हम देखते हैं कि हर साल जनता पर नये नये टैक्स थोप कर योजनाओं को कामयाब नहीं कर सकते। जिस जनता के लिए आप काम करना चाहते हैं उनके दिलों में आप विद्रोह की भावना पैदा करेंगे यदि आप उसको करों के बोझ से दबाते चले जावेंगे। आपको हाल ही में हुए चुनावों से सबक सीखना चाहिये कि जिस पब्लिक के लिये आपने नदी-घाटी योजना बनाई, जैसा कि मेरे कोटा से आनेवाले साथी कह रहे है, करोड़ों रुपया आपने खर्च किया; लेकिन आज वहां की जनता ने आपको वोट नहीं दिये। वहां की जनता आपको वोट देने के लिये तैयार नहीं और बुरी तरह से आपको हराया है, इसको जरूर गम्भीरता से देखना चाहिये कि नीति कहां गलत है, किस वजह से जनता नाराज है। तो मैं समझता हूँ हम सही नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर निर्माण हो, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की कामयाबी हो, जनता के हित में जो योजनाएं हैं जिनसे जनता का आर्थिक विकास होता है जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठता है, उन योजनाओं को कामयाब करने के लिये हमारी पार्टी और मैं सदा आगे बढ़े हैं और जो सरकार कहती है कि हम यह करना चाहते हैं पर करती नहीं है. उनसे भी आगे बढ़ कर उन योजनाओं को जो विकास के लिये आवश्यक हैं उनके लिये प्रयत्न करते हैं।

हम ऐसा महसूस करते हैं इस सदन में सरकार की ओर से योजनाओं के प्रति लक्ष्य है, उनके प्रति सरकार की सिक्योरिटी नहीं है, ईमानदारी से अमल करने की भावना नहीं है वर्ना आज नतीजा और ही होता। जो योजनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। केवल लिप सिम्पेथी है योजनाओं के प्रति, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज के प्रति। इसलिये जो लोग बुनियादी तरीके से इसमें विश्वास नहीं करते, जो इसके कट्टर विरोधी हैं उनके लिये सरकार एडवान्सकार का काम कर रही है। जिस तरह एडवान्सकार आगे जाती है उसी तरह यह सरकार योजनाओं के प्रति सिन्सियरिटी न रखते हुए इन योजनाओं को लेकर इनके कट्टर विरोधियों के लिये एडवान्सकारका काम करती है और उनको कहने का मौका मिलता है कि सहकारिता खराब है; यह खराब है, वह खराब है, यह सब खराब है। तो इस तरह एक सही चीज गलत हाथों में जाकर किस तरह वास्तव में गलत हो सकती है इसका सुबूत इन योजनाओं का आज की सरकार के हाथों में होना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने एक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी। शायद पिछले पांच साल की बात है, उस टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने एक नेक सलाह केन्द्र को और राज्य सरकारों को दी थी और राज्य सरकारों को विशेष तौर पर दी थी और वह यह सलाह थी कि राज्य सरकारों की साधन जुटाने की जो टैक्सेज़ की मात्रा है वह एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है। इसलिये आम जनता पर टैक्स लगाकर योजनाओं को कामयाब करने की कोशिश करेंगे तो वे राज्य सरकारें सफल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं होंगी, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगी। ईसलिये उस कमेटी ने चेतावनी दी थी कि सरकार को नोन टैक्स इन्कम पर आधारित होना चाहिये और नोन टैक्स इन्कम के आधार पर ही सरकार को विकास की योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिये ? मेरा निवेदन है कि शायद सरकार ने उस टैक्सेज़ एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिस को, खास नेक सलाह को नजरंदाज किया हैं, उसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया है और बराबर उसी पुरानी नीति पर चलती रही है जिसका प्रतिबिम्ब इस मौजूदा बजट में दिखाई पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो इस बजट में आमदनी के आंकड़े पेश किये गये हैं इस बजट में टैक्स के अलावा और किस किस्म की इन्कम हमारी सरकार ने दिखाई है कि सरकार को कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग से ६०-६१ के बजट में हमारी सरकार ने अनुमानतः आमदनी १ करोड़ बताई है वहां हमारी सरकार की अनुमानित आमदनी केवल ९ लाख रुपया है। तो यह हमारी सरकार का अन्य साधन जुटाने का तरीका है और अन्य साधनों से इन्कम बढ़ाने की ओर हमारी सरकार का यह कदम है। हमारी सरकार ने रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ करने के लिये २० लाख की लक्ष्य आमदनी का बनाया और पिछले साल में ५ लाख ८१ हजार उससे आमदनी हुई। मोटे तौर पर ये दो चीजें जिनको आप कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स कहते हैं, कुल मिला कर इतना इस सरकार ने पैदा करने की कोशिश की है। हमारा यह कहना है कि आज राजस्थान में इतना अतुल भंडार है, इतने खनिज पदार्थ हैं कि अगर उनका सदुपयोग किया जाय, यह सरकार उन पर ध्यान देकर काम करे और अब तक संजीदगी से उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की होती दूरन्देशी सरकार की तरह, तो आज इस तरह से दिक्कत भरे ? बजट का सामना नहीं करना पड़ता। दूरन्देशिता की तो इस सरकार से क्या आशा करें ? जो एक साल आगे की बात भी नहीं सोच सकी कि इलेक्शन ६२ में हो रहा है तो इलेक्शन की कॉन्टिन्जेन्सीज़ को सामने रखे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सप्लीमेंटरी बजट सामने लेकर आई कि हमारा ध्यान नहीं था क्योंकि इलेक्शन आ गया और विशेष खर्चा हो गया, इसलिये सप्लीमेंटरी बजट मंजूर करें। जो सरकार एक साल आगे की नहीं सोच सके वह इतनी आगे की कैसे सोच सकती है उससे दूरन्देशिता की कैसे आशा की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में डीडवाना में सोडियम सल्फेट पाइलोट प्लान्ट लगाने की योजना चली आ रही है। साधन मांगना चाहती है, हमारी सरकार के कौनसे साधन हो सकते हैं जिनसे और अर्थ मिल सकता है। मैं बताना चाहता हूँ अर्थ मंत्री को कि यह योजना आपको काफी आर्थिक साधन दे सकती थी। यह योजना सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में मंजूर हुई इसके लिये ३ वर्ष पहले फोरेन एक्सचेंन्ज मंजूर हो गया, ८ महीने पहले इस योजना के लिये मशीनरी भी आ गई और हमारी इस सरकार ने जो कहती है कि हम विकास योजनाओं को कामयाब बनाने के लिये बड़े प्रयत्नशील है। उस सरकार ने केवल तीन महीने पहले उनकी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया है। तो यह चिन्ता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारी सरकार को इन योजनाओं को कामयाब बनाने के लिये ! ऐसी बात नहीं कि नई बात सरकार की निगाह में आई हो। इसी सरकार के बनाये हुए ६१-६२ के बजट में इस योजना के जरिये करीब ८ लाख रूपये का मुनाफा एस्टीमेट किया है और हालत यह है कि केवल दुर्लक्ष्य के कारण, उदासीनता के कारण, नौकरशाही पर निर्भर रहने के कारण वह मशीनरी बाहर पड़ी रही, शायद तम्बुओं में और अब उसकी बिल्डिंग बनाने की चिन्ता की जा रही है। जिस सरकार को साधनों की चिन्ता हो, जिस सरकार को ख्याल हो कि जनता टैक्स नहीं दे सकती और यह स्कीम है जिससे ८ लाख रुपया मिलेगा उसको कामयाब करने के लिये सरकार कितनी उत्सुक और कीन होनी चाहिये थी, यह सरकार कितनी उत्सुक रही है यह सदन के माननीय सदस्य जानते हैं। क्या संभावना है इस स्कीम की ? आज इस प्लान्ट से सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस किया जाय इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ६८ रुपया पर टन पड़ेगी और जो सोडियम सल्फेट विदेशों से मंगाया जाकर हमारे देश की मंडियों में बिक रहा है वह २८५ रुपया पर टन के हिसाब से बिक रहा है। २१७ रुपया पर टन का डिफरेंस है। हम सस्ते तौर पर भी अपने देश में इसको दे सकते हैं। हमारे देश में और इस तरह का कोई प्लान्ट नहीं है। हम इसको डेवलप करके सारे हिन्दुस्तान को सोडियम सल्फेट सप्लाई कर कर सकते हैं और १ करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू यह प्लान्ट हमारी सरकार को दे सकता है ! मैं निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्री महोदय से कि गम्भीरता से इस बात पर विचार करके इसकी पूरी पोटेन्शियलिटी को इस्तेमाल करने का प्रयत्न करें और यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार का जैसा यह रवैया दुर्लक्ष्य का रहा है तो हाउस की कमेटी बैठा दी जाय जो पीरियोडिकली देखे कि किस तरह से काम हो रहा है और सफलापूर्वक चल रहा है; ताकि अगले वर्ष में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, और साधन भी हम बतला सकते हैं। हमारा यह निवेदन है कि आपको साधन चाहिये आप रोड ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइज़ेशन कीजिये। हमें यह पता है कि इस सदन में कुछ आवाजें उठाई जाती हैं। जो सिद्धान्त तौर पर नेशनलाइज़ेशन के पक्ष में नहीं हैं, जो करप्शन का नाम लेकर करप्शन को दूर करने की चिन्ता में नहीं हैं किन्तु नेशनलाइज़ेशन के प्लान को से बोटेज करने की चिन्ता में हैं। और यह निवेदन करूंगा कि जो ट्रेज़री बैन्चेज़ हैं वे आज वैस्टेड इन्ट्रस्ट के हाथों में खेल रही हैं और उनके कारण ट्रेजरी बेचेन्ज की ओर से नेशनलाइज़ेशन के प्लान का बराबर सेबोटेज हो रहा है। जहां पंजाब और यू० पी० कितने वर्षों पहले नेशनलाइज़ कर सके हैं रोड ट्रान्सपोर्ट का, वहां अब तक हमारी सरकार, उनकी १०० बेसेज़ बन्द हैं और बुरी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। जनता के हित में हमें उन बातों को कहना पड़ेगा। एक पुराने कांग्रेस के जोधपुर के लीडर हैं श्री शंकरलालजी, उन्होंने अपने एक पब्लिक भाषण में कहा कि जब नागौर और जोधपुर रूट के राष्ट्रीयकरण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का सवाल आता है तो हमको सरकारी लोगों को पैसा देकर चुप करना पड़ता था। यह उन्होंने अपने पब्लिक भाषण में कहा था............

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): I think Sir, a reference made of a person who is stranger to the House is not relevant. and specially when that speech is not before us we are not in a posiion to say anything about it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय साथी बातों की उन टैक्निकेलीटिज़ में न जाकर गम्भीरता पर जायं। अगर वे गलत और इर्रिलेवेन्ट होंगी तो मैं उनको वापिस ले लूंगा, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर आप इस बात को मंजूर करें और उसकी तह में जाने की कोशिश करें कि आखिर नेशनेलाइजेशन का प्लान डिले क्यों हुआ, आप कुछ भी कहें कि यह बात इर्रिलेवेन्ट है, मैं उसको वापिस ले लूंगा। लेकिन आप यह बतायें कि क्यों रोड ट्रांस्पोर्ट का नेशनलाइज़ेशन नहीं हुआ राजस्थान में? अध्यक्ष महोदय, ३१-३-५६ को बहुत से रूट्स की बसेज़ का राष्ट्रीयकरण किया है। उनके परमिट्स की मयाद खत्म होने वाली थी यह बात जान कर सरकारी विभाग या तो निरे बुद्धुओं से भरा हुआ है जान बूझ कर उन लोगों ने देरी की और उन डेट्स को निकलने दिया और फिर दुबारा राष्ट्रीयकरण की बातें कीं। वे इस तरह से वैस्टेड इन्ट्रेस्ट की बात करते हैं। उनके लिये इलेक्शन में चन्दा वे देते हैं और यह और करा देते हैं कि ज़ान बूझ कर गल्तियां कराते हैं। और कहते हैं कि हाई कोर्ट में पहुंच जाओ; रिट मिल जायगी। जयपुर से दिल्ली, अलवर से जयपुर इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका लेकिन अलवर से दिल्ली रूट का नेशनलाइज़ेशन नहीं हुआ। उसको कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कि कुछ लोगों का इसमें वैस्टेड इन्ट्रेस्ट है, कुछ कांग्रेसियों का वैस्टेड इन्ट्रेस्ट है जो इस सदन में भी मौजूद हैं। तो किस तरह से नेशनेलाजेशन की बात कामयाब हो, यह सवाल सदन के सामने है? पंजाब में इस नेशनलाइज़्ड स्कीम से जो मुनाफा हुआ या यू. पी. में जो इस नेशनेलाइज़्ड स्कीम से मुनाफा हुआ उसके मुकाबले में यदि आप राजस्थान की सम्भावनाओं को देखे तो बहुत हद तक वह नेशलाइज़ेशन की स्कीम हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। ३.८६ लाख का मुनाफा पंजाब के अन्दर इस नेशनलाज़ेशन की स्कीम से हुआ और मैं अपने उन दोस्तों से भी कहूंगा कि यहां की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन पंजाब की सरकार उससे मुबरा हो, यह वे भी नहीं मानते हैं। मैं उनके उन सेन्टीमेन्ट्स का तो स्वागत करता हूं कि शासन से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये लेकिन जो जन-उपयोगी काम हैं उनको नजर-अन्दाज न करें। नये कामों से इस उद्योग को हाथ में लेने से उसकी सम्भावनाओं को खत्म करने की चेष्टा न करें। यू. पी. में ४४५ लाख रुपयों का इस रोड ट्रान्सपोर्ट नेशनलाइज़ेशन से मुनाफा हुआ है। मैं समझता हूँ, हमारी राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में, ६२-६३ के बजट में, १६ लाख और कुछ का सम्भावित मुनाफे का अन्दाज किया है। ठीक वक्त पर काम कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेते और लिटिगेशन में नहीं जानाड़पता तो आज ही २० लाख का मुनाफा–हो जाता और आज जो एक–दो टैक्स इस पर लगाये हैं उनकी अपने आप ही कमी हो जाती । लेकिन अफसोस यह है कि जो दल कहता है कि हम नेशनलाइज़ेशन में विश्वास करते हैं वह इस तरीके से काम कर रहा है जैसे उसके पेट में छुरा भोंकना चाहता है । मैं पूछना चाहता हूँ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से कि कौनसा सिद्धान्त है ? नेशनलाइज़ेशन की दृष्टि से १) रु. बढ़ा दिया, जनता की ओर से एजीटेशन हो, जनता विद्रोह करे और फिर आप कहें कि नेशनलाइज़ेशन नहीं चाहते हैं इसलिये इसको खत्म कर देते हैं । मिली भगत करके वैस्टेड इन्ट्रेस्ट को सपोर्ट करना चाहेंगे । लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज जनता जागरूक है, जनता भलीभांति समझती है, वैस्टेड इन्ट्रेस्ट ट्रेज़री बैन्चेज़ के ऊपर निर्भर है । सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण बचने की कोशिश करे तो जनता उसके खिलाफ एजीटेशन करेगी, उसके खिलाफ विद्रोह करेगी, जनता नेशनलाइज़ेशन की स्कीम के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, किन्तु उस सरकार के खिलाफ करेगी जो नेशनलाइज़ेशन की स्कीम को कामयाब नहीं होने देगी । अध्यक्ष महोदय, और की भी जरूरत बहुत है और हम तो कहते हैं कि ५०० करोड़ तक की योजना चाहिये ।

तीसरी बात वह यह है कि जो मैं निवेदन करता हूं । सदन के सामने और ट्रेज़री बैन्चेज़ के सामने उस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये पलाना के लिग्नाइट के ओपन कास्ट माइनिंग की जो स्कीम है उसकी पोटेन्शियलिटीज़ पर आप लोगों ने अब तक गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया, वरना मैं तो कहता हूँ कि जहां तक इसकी पोटेन्शियलिटीज़ का सम्बन्ध है जिस तरीके से उदासीनता का रुख इस योजना के बारे में अपनाया गया है उस तरीके का रुख कभी भी नहीं अपनाते । आप ख्याल कीजिए कि इस लिग्नाइट के बारे में जो आज पलाना से ३६ मील दूर है, एक गांव है शायद कोई चामोरी, उसमें एक कुआ खोदने पर पता लगाया गया । कुछ वर्षों पहले वहां पता चला कि वहां पर लिग्नाइट है । उसके बाद उसके बारे में सरकार ने तय किया कि इसको हम ओपनकास्ट माइनिंग के जरिये माइनिंग करेंगे । सन ५० में किया । इस एरिया का एक जिओलोजिकल सर्वे हुआ था । मि० राय ने जिओलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया नामक एक पुस्तक लिखी है सन् १९६० में वह प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रिवील की है । यह जो लिग्नाइट पलाना के अन्दर मिलता है वह न सिर्फ पलाना में ही, बल्कि इसके सीम्स जैसलमेर तक गये हैं । और यही सीमा आगे बढ़ कर सौराष्ट्र तक गई है । यह एक कन्टिन्यूअस सीम है । और उन्होंने इस बात को तजवीज किया है कि इसकी पोटेन्शियलिटी को एक्सप्लोइट किया जाना चाहिए । हिन्दुस्तान में यह बहुत बड़ी स्कीम हो सकती है । भारत सरकार ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उस एक्सपर्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट को इन्ट्रोड्यूस किया । राजस्थान सरकार ने इन सारी बातों के बारे में जो किया वह यह कि मशीनरी का ऑर्डर दिया और जो मशीनरी आयी वह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को दे दी । इसी

Page No 63

- (श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह से पहली योजना में यह चला, दूसरी योजना में भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब इसके लिए थर्ड फाइव इयर' प्लान में ३॥ करोड़ रुपया रखा है जो केपिटल इनवेस्ट मेन्ट प्लान में प्रोवाइड किया गया है। इसको अमली रूप देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? ऐसा सुनने में आया है कि इसको अमली रूप देने के लिए एक कॉर्पोरेशन का निर्माण सरकार की तरफ से किया जायगा जो इस काम को हाथ में ले करके इसको तेजी से चलायेगा। लेकिन आज तक कोई कॉर्पोरेशन का नाम-निशान नहीं। हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी सुना कि माइन्स को एक्सप्लोइट करने के सम्बन्ध में एक कमीशन सरकार बना रही है। वह किस तरह से इस चीज को एक्सप्लोइट किया जा सकता है, इस पर विचार करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लिग्नाइट की पोटेन्शियलिटी को गौर से ध्यान करें तो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ी योजना बन सकती है। हमारे यहां पर जो कोयला बिहार से आता है, किन्तु बोटलनेक की वजह से यहां पंहुच नहीं पाता है इसके कारण राजस्थान के कई कारखाने बन्द पड़े हैं क्योंकि कोयला नहीं मिलता। अलवर में तो छोटे छोटे तेल के कारखाने तक बन्द पड़े हैं। कोयले के अभाव से टैक्सटाइल व शूगर मिल्स बन्द हो जायं तो क्या बड़ी बात है ? बिहार में जो कोयला निकलता है वह वहां खान पर १६ रुपये से १८ रुपये तक पर टन है और वह यहां पर पहुंचते पहुंचते ३६ रुपया पर टन हो जाता है। अगर हम लिग्नाइट निकालना चालू करें तो यह लिग्नाइट हमें ६ रुपये से लेकर १२ और १६ रुपया पर टन हमारे यहां राजस्थान में पड़ता है। हम बोटलनेक से और अन्य दिक्कतों से बचेंगे और तमाम राजस्थान को सस्ते भाव पर वह मिल सकेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, इसका एस्टीमेट तीन रुपया पर टन का किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो मैं जानकारी दे रहा हूं वह ए० जी०, राजस्थान द्वारा दी हुई जानकारी है जिसमें १२ से लेकर १६ रुपया टन पर यह मिल सकता है, यह बात कही है। अपने यहां का जो लिग्नाइट है यह जो कोस्ट है वह यहां के लिग्नाइट के ऊपर ली गई है। इससे बहुत से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अकेले पूर्वी जर्मनी में जहां कोयला नहीं मिलता क्योंकि कोयले की खदानें सब वैस्ट जर्मनी में चली गई हैं, इस पर एक्सपेरिमेट किया है वहां लिग्नाइट पर तमाम इन्डस्ट्रीज़ बेस्ड हैं। लिग्नाइट से वे करीब १२३ बाई प्रोडक्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल लेदर ड्रग्ज़ केमिकल्स और यहां तक कि पेट्रोलियम भी इससे निकाला है। हमारे यहां पर इस प्रकार के लिग्नाइट के प्राप्ति के लिए २०० फीट भूमि को खोदना पड़ेगा ऊपर से। जिसके १४ फीट नीचे मुल्तानी मिट्टी मिलने की सम्भावना है। जिससे रिफ्रेक्टरी क्ले, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज़ आदि बनाने में वह मिट्टी बहुत काम में आती है। अगर जैसा कि बतलाया गया है अगर बहुत मात्रा में यह मिट्टी उपलब्ध हो जाय तो हमारे यहां इलेक्ट्रिक फर्नेसेज़ तैयार हो सकते हैं। इस तरह से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिग्नाइट की इस स्कीम से मरुस्थल में एक बहुत बड़ी मल्टीपर्पज़ योजना चल सकती है जो कई करोड़ रुपये की रेवेन्यू दे सकती है और यह संभाव्य भी है। मैं निवेदन करूंगा कि इन पोसीबिलिटीज़ को जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है इस पर अगर गौर किया जाय और इसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश करें तो हमारे राज्य को काफी फायदा हो सकता है।

चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे राजस्थान का जो बोर्डर पाकिस्तान से मिलता है वहां एक ऑइल टेरिफ बतलाया गया है। उस तरफ जो जमीन नीचे है उसके चारों तरफ तेल भरा हुआ बताया जाता है। पाकिस्तान के उस इलाके में और राजस्थान के इस भाग में रशियन और केनेडियन टीम ने इस बात को इन्ट्रोड्यूस किया है, ऐसा बताया जाता है। ऑइल और नेचुरल गैस दोनों यहां पर मौजूद हैं। नेचुरल गैस का पाकिस्तान ने तो एक्सप्लोइटेशन करना भी शुरू कर दिया है जिसको सुई गैस कहते हैं जो सुई एक जगह का नाम है वहां से निकलती है। अगर हम भी उसी प्रकार से एक्सप्लोइटेशन करें तो हम जो कोयला ३६ रुपया पर टन प्राप्त कर खर्च करते हैं उसके बजाय सवा रुपये की नेचुरल गैस में जिसको शायद मेथाना गैस कहते हैं सवा रुपये में काम चला सकते हैं। इससे तमाम राजस्थान की कोयले की समस्या हल हो सकती है। इसके बारे में हमारी सरकार का क्या रुख है यह पता नहीं चलता। आज हालत यहां यह है कि हमारे पास ड्रिलिंग रिंग भी नहीं है। पलाना के बारे में और जैसलमेर में ऑइल की खोज के लिए हमारे पास ड्रिलिंग रिंग नहीं है। मुझे जानकारी मिली है विभागीय अफसरों से कि उन्होंने मंत्रि मंडल को इस बात के लिये लिखा है लेकिन आज तक ड्रिलिंग रिंग राज्य सरकार के पास नहीं आई। इतना ही नहीं, इसके लिए ऑर्डर तक प्लेस नहीं किया जिससे हम भविष्य में आने की उम्मीद लगा सकें।। जब आप इस तरह की नीति दुर्लक्ष्यपूर्ण राजस्थान के लिये रखते हैं यहां की समस्याओं के लिये रखते हैं और फिर आप बजट लेकर आते हैं और कहते हैं, कि १.२८ लाख का घाटा पूरा करना है—योजनाओं की कामयाबी के लिए यह टैक्स देना होगा तो ऐसी हालत में राजस्थान की जनता सहसा इसको स्वीकार नहीं कर सकती।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, और भी साधन मैं बता सकता हूँ जिससे हमारी आय बढ़ सकती है। हमारे वित्त मंत्री महोदय जहां के रहने वाले हैं उनके नजदीक के ही साधन बता दूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में ऊन बहुत ज्यादा पैदा होता है ७० प्रतिशत ऊन जो हमारे हिन्दुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है वह राजस्थान का होता है। राजस्थान अकेला प्रान्त ७० प्रतिशत ऊन विदेशों को एक्सपोर्ट करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ऊन के एक्सपोर्ट के ट्रेड को आप अपने हाथ में ले लीजिये। इसके बाद माइका को ले लीजिये जिसके लिये लीगल्ली कॉन्स्टीट्यूटेड मंडी नहीं। माइनर्स बिहार की कम्पनियों को बेचते हैं जो कि इफेक्टिवली फोरिन कन्ट्रोल्ड है। अगर आप

Page No 65

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान में छोटे छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो राजस्थान के इस उद्योग को भी अपने हाथ में लेकर, इसके ट्रेड को अपने हाथ में लेकर एक्सपोर्ट ट्रेड को अपने हाथ में ले लें तो आपके यहां के जो माइनर्स हैं उनका धन्धा खत्म नहीं होगा उल्टा वे आपको दुआ देंगे अगर आप इसको अपने हाथ में ले लेते हैं तो ।

(२. ३०. म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), अब मैं कुछ इकॉनोमिक मेर्ज़ेस की तरफ....

(समय-समाप्ति-सूचक–घंटी)

सभापति महोदय, आपने अभी तक किसी पर इसके लिये प्रतिबन्ध नहीं लगाया था तो मैं यह विश्वास करके चल रहा था कि आज मुझ पर भी रोक नहीं लगाई जावेगी । पर फिर भी अगर आपको आज्ञा है ऐसी ही तो मुझे अपने कथन को वाइन्ड–अप करने का मौका दिया जावे । फिर मेरी पार्टी की ओर से मैं अकेला ही बोल रहा हूँ । अपने पार्टी के समय में मैं अपने को एडजस्ट कर लूंगा ।

सभापति महोदय, इस बात के लिये वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में हमें एक उपदेश दिया है कि हमें राजस्थान की इस मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुर्बानी के लिये तैयार होना चाहिये और उन्होंने आह्वान किया है इसके लिये कि हम पेट पर पट्टी भी बांधने के लिये तैयार हों । मैं स्वागत करता हूँ उनकी इन भावनाओं का । पर मैं साथ ही यह उम्मीद करूंगा ट्रेज़री बैंचों से कि वे भी इन भावनाओं को रेसीप्रोकेट करें और इनको लागू करेंगे वहां से, जहां से ये पहले लागू हो सकती हैं, जहां मितव्ययता हो सकती है, बहुत गम्भीरता के साथ, अगर वास्तव में इस बजट की समस्या को हल करना है तो ।

ऊपर से आप चलिये, एक एक बात को आप ले लीजिये । आज राज्यपाल महोदय पर हम तीन लाख और चालीस हजार रुपया खर्च कर रहे हैं । ६६ हजार तनख्वाह देते हैं । पचास हजार दौरों के खर्च के लिये देते हैं और १२ हजार एन्टर्टेनमेन्ट के खर्चे के लिए देते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order, Sir, whether this can be discussed on the floor of the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will request the Hon'ble Member that this can be discussed but can not be voted upon. I am not going to get it voted upon.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I think Sir, that the precedents and observations of this House are that nothing about the Head of the State so far as his expenditure or analysis about his expenditure is concerned, should be discussed on the floor of the House. I am fortified by our own observations in this House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे आश्चर्य होता कि जहां एक ओर हम इस तरह से गम्भीरता से एक गहन विषय पर विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक कॉमन अन्डरस्टैंडिंग पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह की एक टैकनीक तरीके की बात उठा कर हमारा बोलना बंद करने की कोशिश करें। इस सदन में मेरे से पूर्व भी इन्हीं विषयों पर विचार प्रस्तुत किये गये हैं और उस समय कोई रूकावट नहीं डाली गई, तो क्या सही है और क्या नहीं, यह हम स्वयं भी समझते हैं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के प्रति कुछ भी विचार करने पर अगर पाबन्दी लगाई जावेगी तो यह उनकी शान के लिए भी ठीक नहीं है। सदन चाहेगा कि ऐसी बात को मैं समझता हूं उन तक पहुंचाने से और उन परिस्थितियों का दिग्दर्शन उनको कराने से रोकना वे स्वयं भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस सदन की भावनाएं उन तक पहुंचनी चाहिये और मैं समझता हूं कि जब हम इस प्रकार की पेट पर पट्टी बांधने की बात करते हैं तो इस तरह से उस पर कुछ कहने से मुंह बन्द करने की बात करेंगे तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Mr. Chairman, Sir, I have placed a constitutional point before the Chair. I would like to have a ruling over it so that we may be guided in future, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I think a ruling has already been given.

श्री सभापति : I would like the Hon'ble Member not to discuss this point.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसी तरह से जो मिनिस्टरों की तनख्वाहें हैं और उन पर जो खर्चा है उसमें से ३८३ हजार रुपये मैंने और निकाल दिये हैं। जो आठ लाख और कितने हजार थे उसमें सेक्रेटरियों वगैरह के हैं, ३८३ हजार रुपए जो मिनिस्टरों की तनख्वाहों पर, कार अलाउन्स पर, बंगलों पर, टेलोफोन पर खर्च होता है। मैं माननीय मन्त्री महोदयों से निवेदन करूंगा और प्रमुखतया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि गम्भीरता से आप इस बात पर विचार करें कि अगर आप अपने आह्वानों में, अपनी अपीलों में ताकत लाना चाहते हैं, उनमें प्राण फूंकना चाहते हैं, कुछ सच्चाई पैदा करना चाहते हैं तो उसके अन्दर कोई वास्तविकता पैदा करें। इस बात को आम आदमी को महसूस कराया जाना चाहिये कि जिनको हमने कुर्सियों पर बैठाया है उनके दिलों में हमारा दर्द है; हमारी तरफ से वे सोचते हैं और हमारी तकलीफें उनकी निगाहों में हैं और उस दृष्टिकोण से आप विचार करेंगे तो आप अपने ही दिलों पर हाथ रख कर देखें कि ४७ के बाद से आज आप कहां पर पहुंच गये हैं। सन् ४७ में आप कहां थे और आज आपने अपना स्टेन्डर्ड कहां बढ़ा लिया है ? आज आप कहते हैं १,५००) रू० के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री कांग्रेस में मेरे कलीग रहे हैं। मैं पूछता हूँ उनको, सन् ४७ से पहले तक वे कितना खर्च करते थे ? ४७ में क्या स्टेन्डर्ड आफ लिविंग था उनका। आज क्या राजस्थान के और लोगों का स्टेन्डर्ड उसी प्रोपोर्शन में उन्होंने बढ़ा दिया है ? अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया है तो हम स्वागत करते हैं उनका । पर जिसको हमने मां बनाया है वह मां अगर ऐसी बन जाये कि घर में जो खाना बनावें सबसे पहले अपना पेट भर लें, हलवा पूड़ी बना कर खुद ही खा जावे और अपने लड़के-बच्चों को कहे कि रूखा-सूखा तुम खाकर पेट भर लो । ऐसी स्थिति में वह मां क्या यह आशा कर सकती है कि वे बच्चे उस मां का आदर करें ? वह बच्चा अपनी मां का आदर कभी नहीं करेगा। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ट्रेज़री बेन्चों से कि हम उनके साथी रहे है, वे याद करें उन आदर्शों को जो सन् ३० के हमारे रहे हैं जिनको सोच-समझ कर कांग्रेस के लोगों ने अपनाया था; कुर्बानी की थी। आज आप क्यों नहीं कर सकते ? जो आपका खुदका स्लोगन था ५००) रू० तनख्वाह मंत्रियों की और ३५०) रू० डिप्टी मिनिस्टरों को मंजूर करिये आज तो आपने अपनी १० परसेन्ट कटौती को भी निकाल दिया । यह एक अजीब बात है। किस तरह से वे लोग जो स्वयं कुछ कुर्बानी नहीं करना चाहते एक तांगे वाले से, एक ठेला चलाने वाले से पेट पर पट्टी बांधने की बात कहते हैं ? पल्लेदार उसने तो पहले ही लंगोटी बांध रखी है। अब और क्या चाहते है आप उससे ? उसकी लंगोट ही उतरवाना चाहते हैं ? पेट पर पट्टी की बात गल्त कही आपने । बन्धी हुई लंगोटी को आप खुलवाना चाहते हैं; वर्ना आप अगर दुनिया के दूसरे देशों के जो लीडर्स हैं उनको देखें । उन्होंने आदर्श रखे हैं और जनता ने उनकी बातों को माना है। मैंने देखा है, मैं कहता हूं अपने दिल में क्या हालत है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखें। क्या आप यह ईमानदारी से महसूस करते हैं कि इतने मिनिस्टर चाहिए आपको काम चलाने के लिए ? कम से कम नहीं चला सकते ? पहले आप चला सकते थे, तो अब क्या मुख्य मन्त्री महोदय की काबलियत कम हो गई है कि इतने मिनिस्टरों की जरूरत पड़ने लगी ? मन में आप जानते है ? क्या हालत हैं। सत्ता को बरकरार बनाये रखना है हाथों में। इसके लिए लोगों को खुश रखना है। कुछ लोगों की दोस्ती निभानी है, कुछ को साथ रखना है । अब कोई साथी इस बिना पर ही रह सकता हैं कि उसको मिनिस्टर बनाया जावे और दूसरे को आश्वासन दिया जावे कि उसको दो महीने बाद ले लिया जावेगा। कहे कि भाई जरा ठहरो, दो महीने बाद तुम्हारा भी नम्बर आ जावेगा। इस तरीके की बातें कहकर और करके अगर कांग्रेस आज देश के लोगों का आह्वान कुर्बानी के लिये करना चाहती हो तो आज देश का नागरिक, किसान और मजदूर इतना मूर्ख नहीं है। वह यह भी देखना चाहता है कि यह कुर्बानी किसके काम आने वाली है। कहीं हमारी कुरबानी का फल उनको न चला जावे कि वे लोग जो हमारी कुर्बानी का फायदा उठा कर हमारे गले का फांसी का फन्दा मजबूत बनाना चाहते हैं ? उनके हाथ हम मजबूत नहीं करना चाहते; उन्हें साधन नहीं देना चाहते ताकि उन्हीं साधनों से वे गरीब लोगों पर गोलियां चलावें, उनको तहस-नहस करें और खत्म करने की कोशिश करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसे लोगों को जनता पहचानती है अच्छी तरह ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन

Page No 68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करूंगा सभापति महोदय, आपकी मार्फत अपने कांग्रेसी पुराने साथियों से कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। पर ऐसा लगता है वे इन्हें मुनासिब नहीं समझते। हम मुनासिब समझते हैं और मुनासिब समझ कर आपके सामने रख रहे हैं। वास्तव में आज के इस अर्थ के ढांचे में संशोधन करने की जरूरत है और इसके लिए वास्तव में हमारे ठोस सुझाव हम आपको दे रहे हैं। आप अगर इनको विध्वंसकारी सुझाव समझें तो समझ सकते हैं। जो भी संज्ञाएं इनको देना चाहें दे सकते हैं। फिर भी हमारे जो विचार हैं उनको हम आपके सामने जनता के हित की दृष्टि से नम्रता से प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अलावा हमारा यह सुझाव है कि अगर आपको वास्तव में इस प्रकार की निर्माण की भावना लोगों में करनी है जिससे कि लोग यह महसूस करें कि यह सब निर्माण कार्य हमारे हैं, ये लोग जो बैठे हैं, यह लोग बेचारे मामूली आमदनी के हैं वे महसूस करें कि वास्तव में जो यह सब कुछ हो रहा है यह हमारे लिए हो रहा है और हमें इसका फायदा मिलेगा। इस तरीके का अहसास कराने की जरूरत है। तो एक तरफ जहां नीचे की आमदनी आगे बढ़ानी पड़ेगी वहां ऊपर की आमदनी पर सीलिंग लगानी पड़ेगी और इसलिए राजस्थान की सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि आप यह नियम बनायें कि १,००० रु० से ज्यादा तनख्वाह राजस्थान का कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पायेगा। इस तरह से आप बचत कर सकेंगे और इस बचत को बढ़ा कर छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। एक साहब कहने लगे कि बड़े लोगों की तनख्वाह कम कर दी गयी तो भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब लोग तो थोड़ी तनख्वाह में भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, हैं लेकिन बड़े लोगों को ज्यादा तनख्वाह नहीं मिली तो जरूर भ्रष्टाचार करेंगे। यह दलील हमारी समझ में नहीं आई और मैं यह समझता हूँ कि ईमानदारी से देश के चरित्र को उठाने की बात कही गयी, नैतिकता को ऊपर उठाने की बात कही गयी मैं साफ कहता हूं कि ७५ और १० रु० इस ट्रेज़री बेन्चेज़ के किसी भी सदस्य को मिलेंगे तो वह भी इसके अन्दर काम नहीं चला सकता। इसका कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब इसको आप चाहे भ्रष्टाचार कहना या कुछ और कहना। वास्तव में मंहगाई को देखें और लोगों के कुनबों को देखें, उनकी जरूरतों को देखें; जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमें यह कहा था कि आॅल्टर्नेटिव प्रोपोज़ल्स दो; हमारी समझ के अनुसार हमने प्रोपोज़ल्स दिये हैं। मैं उनको चैलेन्ज से कहता हूं कि ऐसा बजट बनायें अपने सरकारी कर्मचारियों का जिनको ७५ और १० रुपये देते हैं यानी कुल ८५ रु० देते हैं और उनके ५ मेम्बर्स होते हैं तो आप ऐसा ५ फैमिली मेम्बर्स वाला बजट बना दीजिए और हम आपको छूट देते हैं कि फिर जितने टैक्स लगाना चाहें वे लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस दृष्टिकोण से अपनी नीतियों को बनायें। इस तरह की बातें जो सिद्धान्त के बारे में कही गई उनके सम्बन्ध में हमने कुछ सुझाव रखे हैं, लेकिन हमें अफसोस होता है कि इस तरह की आर्थिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिक्कतों के बावजूद ऐसी-इमारत में पैसा उड़ाया जाता है और बावजूद बार बार इस सदन में और सदन के बाहर भी इन बातों के कहने से कोई असर नहीं होता तो हम कैसे कहें कि सरकार का रेस्पोन्सिव एटीट्यूड है; जब कि यह सरकार सिर्फ ४० प्रतिशत लोगों को रिप्रेजेन्ट करती है ! उस समय भी ऑपोज़ीशन के व्यूज़ की तरफ यही रुख रहा तो चाहे कानूनन यह हो कि ट्रेज़री बेन्चेज़ में बैठने का अधिकार हो आपको लेकिन नैतिक रूप से ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि आपके डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स के बारे में सदन में बार बार आलोचनायें होती थी, उन आलोचनाओं को हमने बाहर रह कर सुना है, उनके द्वारा अखबारों में मनमाने तरीके से विज्ञापन दिये जाते हैं। यह भी वाकया है कि जिनको कभी ऑर्डर्स नहीं दिए गए, अखबारों ने अपने आप छाप दिया और मन्त्री महोदय ने दस्तखत कर दिये कि पेमेन्ट कर दो और वह पेमेन्ट कर दिया गया। यहां तक बताया है कि एग्ज़ीबीशन के नाम से अपने बजट के अन्दर एक अलग मद बनाई हुई है। क्या करेंगे इन एग्ज़ीबीशन्स का ? सुना है कि पहले जितनी एग्ज़ीबीशन्स हुईं वे सब कांग्रेस को इलेक्शन में जिताने के लिए हुईं। सुना है कि लाखों रुपयों का बजट लम्पसम के रूप में कुछ साड़ियों के खरीदने के लिए रखा गया और वह भी एग्ज़ीबिट्स के रूप में और जब एक मिनिस्टर महोदय की लड़की की शादी हुई तो उन्हीं साड़ियों को प्रेज़ेन्ट के तौर पर भेंट कर आये।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूँ कि इतना और कह दें कि किन मिनिस्टर साहब की लड़की की शादी में भेंट कर आये तो अच्छा होगा; यदि वे मिनिस्टर साहब का नाम और बता दें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह मिनिस्टर महोदय, यहां मिनिस्टर नहीं रहे, इसलिए क्या कहूं ! जानते तो आप भी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दरअसल में मैं जानता नहीं हूं और मैं समझता हूं कि जब वे यहां नहीं हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में यह बात कहनी भी उपयुक्त नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मामूली डेकोरम से जनता के हित को ज्यादा बेहतर समझता व महसूस करता हूं इसलिए उसको भी गवारा करके आपके सामने कहने का मैंने अहसास किया है।

मैंने सुना है कि संचालक महोदय को चार्ज शीट दी गयी है लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं होती और इसी तरह से उनकी गाड़ी टलती रहती है चाहे कोई भी आ जाये, कोई भी बदल जाये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का रवैया ऑपोज़ीशन के व्यूज़ की तरफ नहीं होना चाहिए। हम यह उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एक रेस्पोन्सिव एटीट्यूड ऑपोज़ीशन के प्रति अपनायेंगे और उन व्यूज़ को जिस हद तक सदन दे सके इस राजस्थान की समस्या को हल करने में उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनकी तरफ ध्यान न देकर यह रुख रखा कि बस हमारी किसी तरह भी मैजोरिटी है और हमें तो चलाना है तो मैं समझता हूँ कि वह एक सही तरीके का एटीट्यूड नहीं होगा और इस तरह से गाड़ी भी अधिक चलना मुझे तो मुश्किल मालूम देती है।

अंत में मैं टैक्सेशन प्रपोज़ल्स की तरफ आता हूँ जो कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने तजवीज़ किये हैं। हम यह समझते हैं कि जैसा मैंने पूर्वार्ध में कहा कि सरकार को इन टैक्सेज़ की कोई जरूरत नहीं है। जो मौजूदा बजट में प्रोविज़न्स किये हैं उनको ही अगर लिया जाये तो इसमें दो प्रोविज़न्स ३ करोड़ रुपये के जागीरदारों को मुआवजा देने के किये हैं। आप इतनी संकटपूर्ण हालत में हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम ५० परसेंट बड़े लोगों को जिनको अधिक पैसा मुआवजे का दिया जाता है १० वर्ष के लिए उनसे हाथ जोड़ लें और उनसे कहें कि हमारी जैसी दिवालिये की हालत है, आगे तो कुछ न कुछ हालत अच्छी होने वाली है इसलिए १।। करोड़ रुपये की बचत आपको इसमें से करनी चाहिए। वैसे बिजली और पानी आप ३ रूलर्स को मुफ्त दे रहे हैं और उसके लिए ३ लाख ४४ हजार का अपने बजट में प्रोविज़न किया है और वे ३ रूलर्स हैं जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इनके लिए फ्री वाटर और पॉवर सप्लाई करते हैं। यह हालत है राजस्थान में तो इसको आप बन्द कीजिए और इसके द्वारा बचत कीजिए। तीसरे, आपने करीब १३ लाख ७० हजार रुपया प्रिवीपर्स की मद में राजाओं के रिश्तेदारों वगैरह को देने के लिए प्रोविज़न किया है। ३ लाख ४४ हजार भी मौजूद हैं उसको आप कम कर दीजिए बाकी १० लाख रुपया रहता है उसमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनमे बेवा होंगी या औरतें होंगी या अपाहिज होंगे, डिसएबल्ड होंगे उनको आप जरूर दीजिए। मुझे तो देखकर ताज्जुब हुआ कि उसमें कुछ लोगों को ३।। रुपया माहवार भी दिया जाता है। ३९ का बजट है उनका आप बढ़ा सकते हैं, बड़े शौक से। हम विरोध जरूर करते है लेकिन इस तरह से जो राजाओं के रिश्तेदार हैं और उनका गुजारा चल सके उनको १०० रुपये तक दिया जाये। उनको आप बढ़ा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इसमें भी आप कम से कम ५ लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।

(३. म. प.)

१० लाख रुपयों में से ५ लाख रुपये बढ़ा कर उनको जिनको दे दें ४२) रु० साल मिलता है, जिनको १००) रु० साल देते हैं। राजाओं के रिश्तेदारों का आपको लिहाज है, उनकी डिग्निटी को बढ़ाना है तो डिग्निटी को बढ़ाईये उसमें हम भी मदद कर रहे हैं। पिछले साल ही १,०८,०००)रु० उदयपुर के महाराणा को बढ़ा दिये हैं वह काट दीजिये। ५-९-६० कौनसा करके इस तरह का किया है, खैर, आप उसको बता देंगे। इस तरह से इस मद में ८,४४,०००) रु० की बचत हो सकती है।

और यह करके मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन टैक्सेज़ के अन्दर यह जो आपने पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है, या आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तिलहन पर सेल्स टैक्स बढ़ाया है, या ग्राम और दाल पर सेल्स टैक्स बढ़ाया है, या एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया है यह आम जनता के ऊपर, साधरण लोगों के ऊपर बोझ डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इस बात को बड़े रोषपूर्ण दृष्टिकोण से देखती है। तो जो अर्थ मंत्री महोदय ने अन्त में अपने भाषण में इस बात की तवक्को की थी कि हम राजस्थान में केवल टैक्सों का विरोध न करें, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सब लोगों को धन्धा मिल सके, राजस्थान में इकोनोमिक एक्टीविटीज़ बढ़ सकें; तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ये टैक्स प्रोपोज़ल्स आपके इस ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल फैल करने वाले हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्ज़ के प्रति सिन्सियर हैं और वास्तव में अमल करना चाहते हैं तो जो हमने आपके सामने प्रोपोज़ल्स रखे हैं हम यह उम्मीद करते हैं कि उन पर गम्भीरतापूर्ण विचार करेंगे तो राजस्थान में हम एक नई शुरुआत कर पायेंगे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहरसिंह (चुरू): सभापति महोदय, इस बजट को देख कर एक ही शब्द याद आता है 'प्रतिगामी'। इसकी प्रतिक्रिया है कि इससे ज्यादा प्रतिगामी बजट इन परिस्थितियों में बनाया नहीं जा सकता था। जैसा बजट बनाया गया है उससे पता चलता है कि पैसा प्राप्त करने के लिये सबसे गरीब तबके को ढूंढा गया है; पूंजीपति, धनवान उनको मुक्ति मिल गई। ऐसा पता चलता है कि अकबरकालीन या औरंगजेबकालीन बजट पेश हुआ है। देशी शराब पर टैक्स और विदेशी शराब का पता नहीं। समझ में नहीं आता कि कैसा बजट है? और ऐसा बजट बनानेके लिए १५ दिन का समय कम बताया गया है! १५ दिन का समय कोइ सील्ड नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, १५ दिन का समय मिला इसलिये सिर्फ गरीब तबका या मजदूर यही लोग मिले।

मैं सुझाव देना चाहता हूं और सुझाव हैं वह कितने रचनात्मक हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा रचनात्मक सुझाव नहीं हो सकते। बचतके लिए सबसे पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को तोड़ कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलाया जा सकता है। कितनेही इन्सपेक्टरस वहांपर घूमते हैं और काम कुछ नहीं होता है। १०,२० इन्सपेक्टर्स एक एक जिले में बैठे रहते हैं। बहाना क्या होता है कि साहब, हम एक एक कोऑपरेटिव की निजी सम्पत्ति की जानकारी कर रहे हैं। तो उनकी निजी सम्पत्ति की जानकारी के लिये उनकी हैसियत तैयार करने के लिए जितने इन्सपेक्टर रखे जाते हैं; अच्छा हो कि यह काम रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स के सुपुर्द कर दिया जाय और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टरों को छुट्टी दे दी जाय।

ऐसे ही एक महकमा है जिसको जनता 'अन्टीगरम' और सरकारी पक्ष एन्टीकरप्शन कहता है। अगर एन्टीकरप्शन महकमे को तोड़ दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता का कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार को बचत होगी और जो रेग्यूलर पुलिस है उसमें और एन्टीकरप्शन में जो

(श्री मोहरसिंह)

झगड़े होते हैं जिसकी वजह से अनेक अपराधी छूट जाते हैं वे बन्द हो जायेंगे।

दूसरी जो प्रतिक्रिया इस भाषण को पढ़ने और बजट को देखने से हुई है वह यह है कि राजस्थान आर्थिक रूप से केन्द्रीय सरकार का और योजना कमीशन का गुलाम है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को सबसे पहले इस आर्थिक दासता से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये और इसके लिए यदि मिनिस्टर १००) रु० की तनख्वाह लें और सदन के सदस्यों को एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये, छोड़ देना चाहिये। क्या जरूरत है कि आज यहां आकर हम इस गुलामी को ज्यादा पर्पेचुएट करें? आज तक कमा कर खाया है तो अब भी कमा कर खा सकते हैं और दूसरे अनेक रास्ते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन के समस्त सदस्यों को टी० ए०, डी. ए. छोड़ देना चाहिये। जरूरत नहीं हैं ऐसे देश में रहने की। अपने आपको जो मजदूरों के नेता कहते हैं और खुद अपनी तरफ से त्याग करने को तैयार नहीं हैं। क्या जरूरत है ऐसी जगह पर रहने कि जहां १,५००) रू० एक मिनिस्टर लेता है और उसके बाद में मुफ्त में कार चाहिये और अनेक प्रकार की सुविधाएं चाहिए और उन सुख-सुविधाओं में कमी नहीं हुई है और वृद्धि हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि १५ दिन पहले जितने मिनिस्टरों से काम चलता था आज क्यों नहीं चल सकता है। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आज एकाएक मिनिस्टरों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यह खर्चा क्यों बर्दाश्त किया जाय? इसका वित मन्त्री महोदय ने कोई कारण नहीं बताया है कि इस वजह से यह खर्चा बढ़ाया है। तो यह जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसकी मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं।

एक दूसरी बात जो बहुत बड़ी है और जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है हमारे प्लान हैं। इन प्लानों की पूर्त्ति के लिए या तो कर्जा लें या टैक्स बढ़ावें। आज कोई भी बात की जाय, कोई भी सवाल किया जाय तो सरकार की तरफ से एक उत्तर मिलता है, स्टीरियोटाइप्ड एक मन्त्र है कि योजना नहीं है। योजना के बिना पता नहीं चल सकता, घास का पत्ता नहीं कट सकता। योजना बनाते कौन हैं? योजना हम ही बनाते हैं और योजना के शिकार सब लोग बन जाते हैं। अपने हाथों से, अपने दिमाग से बनाये हुए जाल में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम मजबूर हैं। तो ऐसा जाल ही बनाते क्यों हैं? योजना ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक हो और वास्तव में उससे जनता को लाभ हो और चल सकती हो। योजना बनानी चाहिए। योजना का कोई विरोध नहीं होता। कोई भी समझदार आदमी यह नहीं कहेगा कि योजना नहीं बननी चाहिए। मैं योजना का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसी योजना बनायें कि हमारे मिनिस्टर्स मजबूर हो जायं, हमारी सरकार मजबूर हो जाय और हमारा देश मजबूर हो जाय और गरीबों को लूटने के लिए बाध्य होना पड़े, जेब काटना पड़े! ऐसे प्लान क्यों बनाये जाते हैं? हमको आज उपदेश दिया जाता है कि हम त्याग करें ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि हम भूखों रहे, हम प्यासे रहे। अब भी हम कौनसे बहुत ज्यादा उन्नत हुए हैं? अब भी हमारे

(श्री मोहरसिंह)

देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक वक्त खाते हैं। उनको कहा जाता है कि त्याग करें। तो मेरी समझ में नहीं आता है या ये हमारी योजनाएं सुरसा का मुख हैं कि जितना ही बढ़ाया जाय बढ़ता जायगा। लेकिन कोई चेक नहीं होता। योजनाओं के बारे में मेरा अपना मत है। और में चुनौती देता हूं योजना कमीशन को और सरकार को कि जितनी भी योजनाएं हैं उनमें बिना किसी भी प्रकार की कमी किये ५ पर्सेंट की कमी आसानी से की जासकती है। कोई एक योजना मेरे पास ले आइये, उस योजना में मैं बता सकता हूं कि ५ पर्सेंट खर्चे में कम कर दें और योजना में कमी करने की जरुरत नहीं है। खर्चे में कमी आसानी से की जा सकती है। एन्टी करप्शन के लिए, रिश्वत के लिए जो एडीशनल पैसा लगता है वह बडी आसानी से कम किया जा सकता है। सब जानते हैं और सब समझते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए तो भारतवर्ष में ऐसा हो गया है कि यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र में इतना तो चलता है। यह एक ऐसी धारणा बन गई है, यह एक कन्वेन्शन बन गया है कि इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है; इसलिए यह होता है। आज एक जनमत बन गया है। सरकारी नौकरियों के बारे में आज ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में खुले आम २० परिवारों की नौकरशाही चलती है। आज आर० ए० एस०, आर०-जे० एस०, आइ० ए० एस०, आइ० पी०-एस०, आइ० एफ० एस० किसी भी सर्विस में २० परिवारों के आदमी आते हैं और इनके अलावा और कोई भी आदमी नहीं आता है। मैं चैलेन्ज करता हूं कि एक ऐसा भी आदमी बताया जा सके जो सरकार की सेवाओं में बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पुश के आज तक चुना गया हो? क्या यह खराबी की बात नहीं है? क्या हमारे देश में ऐसा होता आया है? और फिर हमें बताया जाता है कि हमारा प्लान है! यह प्लान बनाया किसने? यह ऐसा प्लान है जो लूला है, लंगड़ा है, जो बिना टैक्सेज़ के नहीं चल पाता है। हर साल गरीबों को लूटने के लिये प्लान बनाया जाता है। इस प्लान को एक तरह का षड़यन्त्र कहा जाता है, यह षड़-यन्त्र है। आज हमने देखा है कि इतिहास में जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं उनके द्वारा धर्म के नाम पर लोगों को सताया गया है। आज के जमाने में देश में लोगों को प्लान के नाम पर सताया जाता है। ऐसे प्लान को सुरसा के मुख में रखने की जरूरत है। इससे सम्भलने की जरूरत है। हमेशा के लिये जनता पर इसे भार न बनावें। राजस्थान सरकार द्वारा शान के साथ कहा जाने वाला भाखरा नांगल किसके लिये है? गंगानगर जिले के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, वहां के लोगों का आर्थिक मानदण्ड ऊंचा करने के लिये हुआ। लेकिन लोगों ने उसको कितना एप्रिशियेट किया है; यह चुनाव के नतीजों से जाहिर है। वहां ७ सीटों में से १ सीट कांग्रेस को मिली है और वह भी किस तरह से मिली है; यह हम जानते हैं, हमारे दोस्त जानते हैं कि किस प्रकार से मिली है। आपके प्लान ने फैसला कर दिया है। दूर जाने की जरूरत नहीं। जनता के इस

(श्री मोहरसिंह)

फैसले को स्वीकार करके यह देखना चाहिये कि हमारी योजना में अव्यवस्था कहां है और उसे किस प्रकार से दूर किया जावे।

महकमे बढ़ाये जाते हैं लेकिन वहां पर काम कम होता है और लोगों की शिकायतें बढ़ती जाती हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई आदमी या कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो सारे महकमों के नाम जानता हो। उनको महकमों के काम के लिए डाइरेक्टरी ढूंढनी पड़ती हैं यह जानने के लिए कि कौनसा काम किस महकमे में होता है। इस प्रकार का जिस देश में प्लानिंग होता है, अंधाधुन्धी होती है, जनता की निगाह नहीं रखी जाती है। ऐसी अन्धा धुन्धी कैसे चलेगी ? मैं प्लान को कोसने के लिये नहीं कहता; लेकिन इसलिए कहता हूं कि जनता का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल प्लान्स का ध्यान रखा जाता है। फॉरेस्ट के महकमे में ऐसे लोग हैं जो कभी टीलों पर नहीं गये हैं और टीलों के बारे में योजनाएं बनाते हैं। कृषि विभाग के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी भाषण देते हैं कि टीलों को कैसे रोका जाता है, सोइल इरोजन कैसे होता है। वे नहीं जानते कि इनको कैसे रोका जाता है। वे कहते हैं कि खेतों में सरगना लगा दीजिये। मैं दावे साथ कहता हूं कि जिस जगह सरगना लगाया जायेगा वहां पर १० साल तक पैदावार नहीं हो सकती। एक तरफ खेतों में लगाने के लिये सरगनों के बीज बांटते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि दरख्तों में कीकर लगा दीजिये। लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि जितनी दूर तक कीकर की छाया होगी उतनी दूर तक कुछ भी उगने वाला नहीं है। एक्सपर्ट लोग कहते हैं, टीलों में हल चला दीजिये, गर्मियों में हल चलाना चाहिये ताकि सूरज की रोशनी अन्दर तक पहुंचाई जाय, जमीन में रहे हुए कीड़े मर जांय। जिस जमीन में १२ इंच इतनी गर्मी होती है कि पैर नहीं रख सकते वहां ६ इंच तक हल चलायेंगे तो उपजाऊ हिस्से यू. पी. के बराबर चले जायेंगे। इस प्रकार के हमारे यहां के एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट वे होते हैं जो मुश्किल को आसान बना दें। हमको ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कभी हल नहीं देखा है वे लोग किसानों की हालत सुधारने की योजना बनाते हैं और किसानों को पूछा तक नहीं जाता है। किसी बड़े इन्स्टीट्यूशन के सदस्य बन जाने से या किसी पंचायत राज संघ या क्रय-विक्रय संघ के नेता बन जाने से ही, चाहे उम्र भर पुलिस में ही उन्होंने नौकरी की हो वह खेती में अच्छा एक्सपीरियेन्स रखने वाले हो जावें, ऐसी बात नहीं है। ऐसे आदमियों की योजना से देश का भला होने वाला नहीं है।

तुलना करने के लिए आंकड़े संवत् २००८ या सन् १९५० के बताये जाते हैं क्योंकि वह अकाल का वर्ष था और ऐसा अकाल पिछले ५० वर्षों में भी राजस्थान में कभी नहीं पड़ा था। उससे तुलना करेंगे तो जरूर Zero multiplied by any amount will be zero. इस साल प्रोडक्शन हुआ नहीं, देश के अधिकांश हिस्से में अकाल था तो क्यों उस साल के गलत आंकड़े बनाये जाते हैं ? उनको आधार मान कर चलेंगे तो गलत होगा।

एक ओर सेम्पल सर्वे किया जाता है,

(श्री मोहरसिंह)

प्रति एकड़ कृषि की पैदावार नापी जायगी। कहा जाता है कि फलां जगह एक बीघा जमीन की पैदावार नापी जायगी। आम तौर पर यह जगह खाली होती है और उस जगह के आंकड़े गलत आते हैं। इस आधार पर हाइपोथेथिस गलत होगा। जहां इस प्रकार के स्टेटिस्टिक्स काम में लिये जाते हैं वे सही नहीं हो सकते यह मेरे अनुभव की बात है। इसमें शक शुबहा हो तो चैलेंज करने को तैयार हूं। आंकड़े जितने तैयार हैं, १०० साल खेती नहीं होती, ऐसे आंकड़े आये हैं प्रति एकड़ के आंकड़े पेश हुए हैं, देश में पैदावार बढ़ी बताई है ऐसे आंकड़े गलत हैं और उनके आधार पर जो योजना बनती है वह अव्यवहारिक है।

सर्विसेज़ के बारे में यह क्रिटिसिज्म है कि उनमें क्षेत्रीय भावना बहुत है। आज जो क्षेत्रीयता को चुनौति देते हैं और निष्पक्षता का दम भरते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बीकानेर डिवीज़न से ऊंची सेवाओं में पिछले सात साल में कितने आदमी आये हैं, यह बता दें ? यह क्षेत्रीयता है या क्या है ?

पलाना में जो सामन्ती युग की कोयले की खान है उसका कोयला इसलिये काम में नहीं लिया जाता क्योंकि आपको सामन्तवाद से चिढ़ है और वह सामन्ती युग की चीज है। वहां पर पैदावार गिर गई है। सामन्ती युग में इस खान के लिये जो मशीनरी ओपन कास्ट माइनिंग के लिये प्राप्त की गई थी उसमें जंग लग गया है। आज हम योजना में पढ़ते हैं कि वहां पर मशीनरी बैठाई जा रही है, जांच के लिये कमीशन बैठेगा। पुरानी मशीनरी सड़ गई है, वहां प्रोडक्शन गिर गया है। क्यों गिर गया ? इसलिये कि वहां पर फर्स्ट क्लास मैनेजर रखा है ? तरक्की की है ! ऐसे मैनेजर की क्या आवश्यकता थी ? उससे जबाब तलब किया जाना चाहिये कि प्रोडक्शन क्यों गिर गया ? वहां के मजदूरों को सताया जाता है इसलिये कि वे वहां से चले जावें क्योंकि वे काम जानते हैं और वहां पर मूर्ख और अनएक्सपीरियेन्स्ड लोग उनके स्थान पर आजावें तो उनके सामने मैनेजर साहब की धींगाधींगी चल सके। आप एक ही बात करिये, चाहे कुछ मत करिये पर उस मैनेजर को बदल दीजिए। उससे यह कहिये कि जो प्रोडक्शन घटा है उसकी कीमत तुमसे वसूल की जायगी। यह किस बात की तनख्वाह लेता है ? क्या प्रोडक्शन गिराने की ? क्या प्रोडक्शन इसलिए गिराया गया है कि बंगाल का कोयला यहां आकर बिके और वहां के लोगों को लाभ हो ? सोचा यह गया था कि भाखरा नांगल में जितने लिगनाइट की जरूरत होगी वह पलाना से चला जायगा क्योंकि सौ डेढ़सौ मील की दूरी है। बड़े आराम से काम हो जाता। यह तो योजना में कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, एग्रीमेंट भी हुआ था। शुरू में योजना बनी तो यह हुआ था कि लिग्नाइट पलाना से जायगा। जब याद करता हूँ सिंदरी को तो खून खौल उठता है उन मजदूरों के नाम पर। यह अयोग्यता का प्रमाण है कि बिहार में हमारा मेटीरियल यूज़ किया जाता है और हम यहां फक्र से कहते हैं कि हमने लाइसेन्स दिया है एक पूंजीपति को फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खोलने का। मैं बधाई देता हूँ सरकार को इतने बड़े काम के लिए कि एक लाइसेन्स दे दिया और उसकी घोषणा

(श्री मोहरसिंह)

कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उद्योग में क्या योगदान करेंगे। मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ मिलेगा इसीलिए यह हुआ है; नहीं तो आज से पहले भी हो सकता था कि हमको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा।

ऊपर से कहा जाता है कि १३०रु० पर केपिटा बीकानेर डिविज़न में खर्च करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि भाखरा और नांगल की योजना दस बार बदली गई है। यह योजना जो ओरीजिनल थी उससे दस गुना बढ़ गई है और जब योजना बढ़ती है तो करप्शन भी बढ़ता है। जो १९५२ में पानी मिलने वाला था वह आज तक नहीं मिला है और अब भी कोई नहीं कह सकता कि कब पानी मिलेगा। सिर्फ इस बात को छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहाने बनाये जाते हैं। अब तो यह पता चला है कि वह सारा सिस्टम भी खराब होने जा रहा है और उसको बनाने वाले मनुष्य भी सरकार का सहयोग न पाने के कारण अन्यत्र चले गये हैं और योजना खटाई में पड़ गई है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, एक उदहारण ही नहीं है। जहां पता चलेगा कि जान-बूझ कर...........

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): कौनसी योजना से मतलब है, कौनसी योजना खटाई में पड़ गई है?

श्री मोहरसिंह: मैं एक एक नाम गिनाने वाला नहीं हूँ।

श्री भीखाभाई: आप भाखरा के बारे में कह रहे थे, आप कौनसी बात कह रहे हैं?

श्री मोहरसिंह: जो एक एक बात कह रहा हूँ वह लिखकर सम्बन्धित मंत्री महोदय को देने वाला हूं। अभी कहूंगा तो बजट का भाषण इसी में चला जायेगा।

एक बहुत बड़ी चीज बजट में बताई गई है वह यह है कि हमने बजरी और मिट्टी लाने की इजाजत दे दी। यह छूट किस प्रकार मिलेगी, कितनी गहराई तक खेतमें से ले सकते हैं, यह साफ नहीं हुआ है। कानून में प्रावधान है कि तीन फीट नीचे की कोई माइनिंग की चीज किसान अपने घरेलू काम के लिए नहीं ले सकता। तीन फीट डेज़र्ट एरिया के बारे में सभापति महोदय, आप स्वयं जानते होंगे और शायद सदन के सदस्य जानते होंगे कि तीन दिन के अन्दर आज के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह तीन फीट बालू चढ़ जाती है। आज जहां है उससे तीन फीट ऊपर चढ़ जायगी और किसान इस सुविधा से वंचित रह जायेगा। इसलिए जब तक साफ नहीं होता कि कौन कौनसी जगह किस गहराई तक मिट्टी और बजरी किसान द्वारा काम में लाई जा सकती है तब तक इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं इसका भुक्त-भोगी हूं और मैं जानता हूँ कि किसानों को माइनिंग डिपार्टमेंट किस तरह हैरान करता है। एक आदमी जो लुहारू के पास बसता है, अगर उसे अपना चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है तो बीकानेर जाकर माइनिंग इन्जीनियर से परमिट हासिल करनी पड़ेगी, तब उसको वह उपयोग में ला सकता है या फिर वह कानून का उल्लंघन करे। तो जब तक स्पष्ट घोषणा नहीं होती तब तक इसका लाभ मिलने वाला नहीं है।

इसी तरह जब कन्ट्री लिकर के बारे में

(श्री मोहरसिंह)

पढ़ता हूँ तो मुझे दुःख होता है । जो शराब हमारे देश में बनती है उसको कंट्री लिकर कहा जाता है और जो विदेशी शराब मंत्री, राजा, सामन्त और धनवान आदमी पीते हैं या उनके काम में आती है उस पर कोई टैक्स नहीं है । तो विदेशी शराब का इसमें जिक्र नहीं है । अगर आप उस पर दुगुना टैक्स कर देते तो गरीब और मजदूर आदमियों को दुःख नहीं होता । मैं स्वयं आधा मजदूर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मजदूरों की हालत क्या है । दिन भर मेहनत करने के बाद वह थक कर शराब पी लेता है । इसके अलावा यह जो टैक्सेशन का तरीका है, यह भी गलत है । होना तो यह चाहिए था कि यह जो दुर्गुण है, बुरी आदत है, जिसे हर पीता है, उसे नहीं पीना चाहिए । लेकिन वह पीता है इसलिए कंट्री लिकर के ठेके नीलाम किये जाते हैं । इससे क्या होता है कि ठेकेदार को जितना पैसा देना पड़ता है उतना ही वह पानी मिला कर एडल्टरेशन करके मजदूरों का स्वास्थ्य खराब करता है । इसलिए इस ठेके के बजाय अगर आप कमीशन के आधार पर शराब पिलायें तो अच्छा हो । यह तय कर दें कि इतना कमीशन लेना होगा । इसके अलावा यह जो मौजूदा तरीका है शराब डिस्ट्रीब्यूट करने का यह खराब है । इससे मजदूरों की सेहत खराब होती है । आपने जो टैक्स बढ़ाया है उसके बढ़ाने के बजाय अच्छा होता कि यह विदेशी शराब के बराबर होता । लेकिन उसको छोड़ दिया गया है जो कि आपकी नैतिकता का परिचायक है । फिर आप कहते हैं कि हम समाजवादी समाज लाना चाहते हैं । यह आपके समाजवाद पर बहुत बुरा रिफ्लेक्शन है ।

अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का खर्चा । मैं आपको एक वाक्य में निवेदन करूंगा कि यह जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेटी है उसे तोड़ दिया जाय । उनको सिवाय 'जी हुजूरी' के और हुक्म मानने के कोई काम नहीं करना पड़ता । इस क्लास का बहुत दुरुपयोग हो रहा है । या तो उनके स्टेटस और डिग्निटी को मेन्टेन किया जाय वर्ना इस इन्स्टीट्यूशन को तोड़ दिया जाय तो सरकार के खर्च में बहुत बचत होगी ।

डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन सबसे बड़ा नारा है आज के युग का और जिसकी वजह से हमें सारे संसार में प्रगतिशील कहा जाता है । मैं मांग करता हूं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन जो रूरल एरिया में है वह अर्बन एरिया में भी किया जाय वर्ना इससे वर्ग विद्वेष बढ़ता है । जहां हम यह करें कि हम समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं वहां एक शहर में एक योजना चलती है और देहात में दूसरी योजना चलती है और शहर और देहात में दो तरह की योजनाएं चलती है, इससे शहर के लोग जिसे इन्टेलीजेन्ट क्लास कहा जाता है की बुद्धिमानी का फायदा देहात के लोगों को नहीं मिल पाता है । यह एक साथ कर दें तो इससे खर्च की बचत होगी । इसके अलावा अगर म्यूनिसिपेलिटीज़ में तब्दीली करनी पड़े तो वह भी की जा सकती है ।

मैंने बजट पढ़ा । उसमें देहात को पानी देने के लिये कोई खर्च मेरी समझ में नहीं आया । आज राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता देहातों में बसती है और वे लोग बीस बीस मील से पानी लाकर पीते हैं । उनके

(श्री मोहरसिंह)

लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिये एक नया पैसा भी खर्च करने की बात नहीं सोची गई है। तो समाजवादी बजट में यह बहुत बड़ी कमी है। यह बात जो कही जाती है कि हमारा प्रजातन्त्र अभी बहुत छोटा है, मैं आपको बताऊं कि जब शेरशाह चार साल में इन्तजाम कर सकता था तो क्या हमारा प्रजातन्त्र का बच्चा चौदह साल में ये काम नहीं कर सकता ? एक बात और है कि जब हम आज के राज्य की राजाओं और सामन्तशाही से तुलना करते हैं और जो विदेशी आंकड़े और गतिविधि हैं उनको आधार मान कर चलते हैं तो जो मैंने सामन्तशाही का एक नमूना बताया उससे तुलना की जाय। जो चौदह साल का बच्चा है उसकी चार साल के बच्चे से तुलना की जाय तो जो वह चार साल में कर सकता था वह आप से चौदह साल में भी नहीं हो सका।

मोटर ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइज़ेशन का, मैं समझता हूं, कि समर्थन होना चाहिए लेकिन जिस तरह से यह किया जा रहा है वह उचित नहीं कहा जा सकता। हर एक क्षेत्र को चुन लिया जाय और उसमें कितनी मोटरें हैं और कितने मार्ग हैं: उनको छीन लिया जाय और दूसरे को छोड़ दिया जाय तो यह उचित नहीं है। उन सब का आप एक साथ नेशनलाइज़ेशन करते हैं तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता है और पक्षपात होता है तो इससे बुरी बात और नहीं हो सकती। इससे एक आलोचना का विषय मिल सकता है। नेशनलाइज़ेशन से जो आदमी रह जाते हैं वे समझते हैं कि आज नहीं तो कल नेशनलाइज़ेशन होने वाला है, इसलिये वह पैसा लगाना उचित नहीं समझते हैं। वह निराश हो जाते हैं और उनकी धन्धे में रुचि नहीं रहती है। इससे यात्रियों को भी नुकसान होता है। इसी प्रकार जो पैसेन्जर टैक्स लगाया है, उसको जजिया टैक्स कहा जा सकता है। उसे किसी प्रकार भी नहीं लगाया जा सकता। यह सोशलिज्म के खिलाफ है। राजस्थान ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान है, मोटे मोटे टीले हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। वहां पर अगर यह पैसेन्जर टैक्स लोगों को देना पड़ेगा तो पांच पर्सेंट लोग देंगे और मोटरों में जायेंगे और बाकी के लोग वापिस ऊंट पकड़ेंगे। अतः किसी भी हालत में उसको जस्टीफाइ नहीं कह सकते। इससे यह होगा कि फिर लोग चोरियें करेंगे। इससे कोई भी लाभ होनेवाला नहीं। इसलिये जो टैक्सेज़ पैसेन्जर पर हैं उनको हटाया जावे और खास करके जहां पर सड़कों का अच्छा प्रबन्ध नहीं है वहां पर तो अवश्य हटा दिया जावे। जहां अच्छी सड़कें हैं वहां पर आप लगावें लेकिन जहां पर सड़कें नहीं हैं और जहां पर रास्ते में अगर मोटर में पानी खत्म हो जाता है तो वहां से ५ मील से जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। मैं नहीं समझ पाया कि आपके समाजवाद का क्या आधार है? यह आपका समाजवाद कौन सा समाजवाद है? मैंने इस प्रकार का समाजवाद कहीं दुनिया भर में नहीं देखा और न कहीं पढ़ा है।

इसके बाद एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे से पहले

Page No 79

(श्री मोहरसिंह)

भी कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स आप लगाते हैं उसका असर आम जनता पर पड़ता है। इसके लिए नगरपालिकाओं को यह कहा जाता है कि इतने ही फण्ड्स आपरेंज करो तो आपको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटीज़ पर आप डाइरेक्ट प्रेशर डालते हैं कि आप जनता पर टैक्स लगावें। यह सिद्धान्त डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के खिलाफ है। वैसे तो विकास की जितनी भी योजनायें होती है उनमें सब में यह शर्त रखी जाती है कि निश्चित पर्सेन्टेज इकट्ठा करेंगे तो उतना रुपया उनको दिया जावेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि यह तो वहां के लोगों की कैपेसिटी पर निर्भर है। अगर एक इलाके में गरीब लोग रहते हों उनको यदि कहा जाय कि तुम जितना पैसा इक्ट्ठा करोगे उतना ही सरकार तुमको देगी तो वे लोग कम पैसा इक्ट्ठा कर सकते हैं। यह तो प्राकृतिक दिक्कत वहां के लोगों को हो सकती है। गंगानगर में आर्टीफिशियल कुछ हो सकता है। इसलिये जो लोग विकास कार्य के लिये ज्यादा पैसा देंगे उनको आप उतना ही पैसा देंगे, मगर जो लोग प्राकृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं उसके लिए प्रकृति उनके लिये जिम्मेवार है। जिनके पास ज्यादा देने को है उनको आप ज्यादा देते हैं। 'Haves and have nots' की परम्परा आदि काल से चली आ रही है। कहावत है : 'पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाय'। गंगानगर के आसपास का जो इलाका है वह गंगानगर की तरह से आबाद नहीं है। इसलिये यह कोई आधार नहीं है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से विचार करें। जो लोग ऐसे ऐसे इलाकों में बसते हैं जहां पर उनको १० मील से पानी लाना पड़ता है। वे लोग आपसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं और आपको उनको देना चाहिये। मगर आप उनको नहीं देते हैं तो मैं यह कहूँगा कि क्या आपके समाजवाद का यही तरीका है? फिर कहा जाता है कि बीकानेर, जैसलमेर, चुरू में पैसे लगा दिये। भाखरा नांगल में आपने पैसे लगा दिये तो उससे सूरतगढ़ आदि को लाभ होगा। उसका मतलब यह नहीं कि दो सौ मील की दूरी पर जो गांव हैं उनको भी लाभ होगा। मैं समाजवाद के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर सरकार से इसके लिए भीख मांगता हूं कि इस तरह के प्लान हैं उनको बदलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सभापति महोदय, बजट का मैं भी समर्थन करता हूँ। प्रश्न सिर्फ यह है कि औपचारिक ढंग से समर्थन किया जावे अथवा हृदय से समर्थन किया जावे। यों तो इस बजट में हृदय तत्व ज्यादा है, भावना है और भावावेश है। अतः दिल तो चाहता है कि हृदय से इसका स्वागत किया जावे लेकिन दूसरे रूप में समाजवादी समाज की रूप-रेखा और उसकी व्यवस्था का इसके अन्दर अभाव है। यद्यपि राज्य सरकार की नीति में है किन्तु इसका समावेश इस बजट में उचित मात्रा में नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में समर्थन तो करना ही है, औपचारिक ढंग से और मन से भी उनबातों पर

एक माननीय सदस्य : मन से नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो बातें

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लुप्त रही हैं और बजट में आ नहीं पाई हैं और जो हाउस के समक्ष कई बार आ चुकी हैं ।

बजट एक टैक्निकल विषय है, सभापति महोदय, और बजटिंग का प्रोसेस और प्रोसीजर टैक्निकल होने के नाते भी युग के साथ बदलता रहा है । आजादी के पूर्व बजट का एक अलग ढंग होता था । घाटा बताना कुछ अंश में और कुछ अंश में सरप्लस और साथ ही लाइट टैक्सेशन, इस प्रकार की साधारण सी बजट व्यवस्था होती थी । लेकिन आजादी के बाद जब व्यवस्था प्रशासन की बदली और पंचवर्षीय योजना का समावेश हुआ तब बजटिंग के प्रोसीजर में भी विशेष स्थिति पैदा हुई । हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज की रचना का रहा है । इस प्रशासन के ढांचे में कैसा विकास हो और उसका क्या क्रम हो और साथ साथ इसका प्लानिंग क्या हो, ऐसी कई स्थितियां हैं । हम चाहते हैं कि देश की बेकारी और गरीबी मिटे और उसके साथ में शासन की प्रगति हो । इन सब बातों का समावेश बजट में होना आवश्यक था । इसलिये मेरी मान्यता में यह बजट एक पुराना ढांचा है और ढर्रा है । मैं विश्वास रखता हूं कि आगे आने वाला बजट इस पुराने ढांचे से किसी न किसी रूप से निकलेगा । मेरी मान्यता है कि बजट के तीन मुख्य अंग होते हैं :—

(१) एडमिनिस्ट्रेशन,

(२) डेवलपमेंट अंग-ट्रेडिंग;

(३) और तीसरा अंग है जिसको हम कह सकते हैं नोन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर । इन तीनों अंगों पर आधारित बजट विकास और राज्य के प्रशासन का चित्र प्रस्तुत करता है । इन आधारों के प्रकाश में इस बजट को कुछ कमजोर पाते हैं । फिर भी बजट में चिकित्सा, शिक्षा, गृह-आवास आदि विकास से सम्बन्धित प्रश्नों का चित्र जरूर इसमें मिलता है । ऐसी स्थिति में मैं यह आशा रखता हूँ कि यह पुराना तरीका बजट का है वह हट कर नया तरीका लागू होगा ।

देखा जाय तो बजट सरकार की वित्तीय स्थिति का एक वास्तविक चित्र है, जिसको हम कहते हैं कि Budget is an instrument of planning or budget is a document of development; जिसमें विकास का पूर्ण स्वरूप तैरता हुआ दिखाई देता है ।

मैं बजट के सिलसिले में जो वाद-विवाद विरोधी पक्ष की ओर से बजट की समस्याओं के अंगों को लेकर हुआ उसको ओर अधिक संकेत नहीं करना चाहता । इसलिये नहीं करना चाहता कि इस बजट भाषण में कुछ भावनाएँ प्रधान रही हैं और जब भावनाएँ प्रधान रही हैं तो विरोधी पक्ष के लोगों को एक मौका मिला इन भावनाओं को उभारने और आलोचना करने का ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : बजट का निर्माण बुद्धि से होता है, मन से नहीं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह किसने कह दिया ? आप दूसरी तरफ ध्यान लगाये बैठे थे ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

फिर भी मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि जो बजट यहां रखा गया है उसमें भावावेश के एलीमेन्ट ज्यादा थे और उस पर यह बजट रखा गया।

एक आधार आलोचना का यह भी बना कि वित्त मन्त्री ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि हमारे नौजवान यूनिवर्सि-टियों से निकल कर नौकरियों की तलाश में दौड़ते हैं और शहर का जादू, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों का आसरा न लें और नौकरियों के चक्कर में न पड़ें। यह अंश भी विरोधी पक्ष के लिये भाषण का आधार बन गया। लेकिन एक बात है, सभापति महोदय, इसमें कुछ विशेष स्थिति जरूर है। बजट में कहा गया है कि १५ लाख रुपये का कर्जा केन्द्रीय सरकार से मिला; पहले के कर्जे को चुकाने के सम्बन्ध में और इसमें कहा गया कि हमें प्रसन्नता है कि हम केन्द्रीय सरकार को यकीन करा सकें कि हमारी कुछ बाधाएँ थी, कुछ विशेष स्थितियें थीं जिसे हम आगे नहीं बढ़ा पाये अथवा कर्जे को अदा नहीं कर पाये। डीफेन्स बहुत अच्छा मालूम होता है पर एक बात सामने आती है कि १५ करोड़ रुपया प्राप्त अवश्य किया है।....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : १५ करोड़।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have corrected myself before you have taken the pains.

१५ करोड़ रुपया हमने लिया कर्जा चुकाने के लिये, १० इन्स्टालमेंट्स में ४ परसेंट के ब्याज पर। इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी हम १५.३ करोड़ रुपया उनसे लेकर हमारे पहले कर्ज को अदा कर पाये, यह अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ रीएक्शनरी टाइप इस बजट का यह अंश मालूम पड़ता है। अच्छा होता कि वित्त मन्त्री इसमें यह उल्लेख कर पाते कि १५ करोड़ रुपया हमको कर्ज का और मिला और इसके अतिरिक्त पहले के कर्जे की किश्तों की अदायगी को स्थगित करा सके, तो मेरा विश्वास है कि यह बजट भाषण केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास दिलाया जा सकता था कि बजाय इसके कि कर्जे की अदायगी आपके कर्जे से की जाय, इन्स्टालमेंट्स को पोस्टपोन कर दें। इन्स्टालमेंट्स को पोस्टपोन कराना राज्य सरकार के लिये हितकर था। यह सब को अखरता है।

इसके साथ ही एक प्रश्न बार बार सदन में आया है, यह कि नॉन डेवेलपमेंट एक्सपे-न्डीचर डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर की अपेक्षा ज्यादा है और यही स्थिति रही और नान डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर ज्यादा बढ़ता गया और डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर कम होता गया तो प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं और हमारी वित्तीय स्थिति खतरे में पड़ जायगी। ऐसी स्थिति में जो सुझाव नॉन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर को कम करने एवं डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर को ज्यादा करने का प्रश्न अवश्य विचारणीय है। उन्हीं को लेकर मैं कुछ समस्याएं रखूंगा और चाहूंगा कि सरकार उस पर गौर करे। अभी सदन के सामने एक प्रश्न जो है इन्डेक्स ऑफ डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर का उसका इन्डेक्स मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जब हमारे सामने ये आधार हैं, उसके डेटाज हैं तो हमको चिन्ता होती है और चिन्ता यह होती है कि किस तरह नॉन डेवेलपमेंट एक्सपेन्डीचर कम किया जाय। यह अगर हम कर सकें तब तो सही माने में हम अपनी प्रगति पर विश्वास कर सकते हैं।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ आधार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और वे आधार यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हैं। राजस्थान में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जिसको बजट पुस्तक में तो राजपूताना यूनिवर्सिटी लिखा है लेकिन यह संकेत राजस्थान यूनिवर्सिटी से है। इससे स्थिति अभी है उसको–टीचिंग–कम–एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि यह यूनिवर्सिटी टीचिंग कम-एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी है और इससे कुछ कॉलेजेज़ एफिलियेटेड हैं तो हम दूसरे स्थानों पर विश्व विद्यालय कायम करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकते हैं। राज-स्थान के दूसरे भागों में भी, इसी तरह की यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे होता है, इस प्रश्न को सदन के सामने रखना चाहूँगा। प्रथम अवस्था इसकी डिग्री कॉलेज होती है और दूसरी अवस्था पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज, तीसरी अवस्था में संस्था एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी का रूप ले सकती है और आखिरी अवस्था में यदि वह परि-वर्तित होती है तो टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।

भौंसले कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में बड़े सारगर्भित सुझाव दिये गये थे। भौंसले कमेटी ने यहां की यूनिवर्सिटी को टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बनाने का सुझाव तो दिया ही है पर साथ ही जोधपुर के कॉलेज की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज को भी रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी का रूप दे देना चाहिये। सुझाव बहुत न्यायसंगत और जनहित को लिये हुए है। जोधपुर का कॉलेज आसपास में कई कॉलेजेज़ रखता है, उसको रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाय तो कई कॉलेजेज़ का मर्जर उस रेज़िडेन्शियल यूनि-वर्सिटी में हो सकता है।

भौंसले कमेटी ने उदयपुर के बारे में सुझाव दिये हैं कि वहां पर भी मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती है जिसमें दूसरे कॉलेज का मर्जर हो सकता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में कम से कम दो रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटीज़ और एक टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती हैं और खास कर जयपुर युनिव-र्सिटी का क्षेत्र आसपास के ३० माइल्स के क्षेत्रफल में व्यापक किया जाय तो अन्य कॉलेजों का भी समावेश इस यूनिवर्सिटी में हो सकता है।

जैसा कि मैंने निवेदन किया नॉनडवेलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर का प्रश्न जो इससदन के सामने है, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, उसका निराकरण करने के क्या आधार हो सकते हैं इस सम्बन्ध में मैंने ये सुझाव दिये हैं। सुझाव इसलिये हैं कि यदि ये युनिवर्सिटीज़ क्रियेट कर दी जाती हैं तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उनका जो एक्सपेन्डीचर हमारे बजट में बहुत अधिक बताया गया है जिसका अनुमान खर्च ८६,३६,००० बताया गया है उसको हम कम कर सकते हैं ! सब कॉलेजेज़ के एक्सपेन्डीचर को इस तरह कम किया जा सकता है । सभापति महोदय, हमको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन इसमें विशेष दिलचस्पी रखता है । यूनिवर्सिटीज़ के मामलात में ५० प्रतिशत रेकरिंग एक्सपेन्सेज यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन देता है । यूनिवर्सिटज को इस तरह से १५ परसेन्ट दूसरा एक्सपेन्डीचर भी यूनिवर्सिटी कमीशन देता है । तो इस तरह से जो एक्स्पेन्डीचर का भार राज्य पर है वह यूनिवर्सिटी कमीशन की ग्रान्ट से कुछ अंशों तक वहन किया जा सकता है । और इसके साथ ही साथ रेजिडेन्शियल युनिवर्सिटीज़ भी कायम हो जाती, है । हमको यह आशा है कि युनिवर्सिटीज़ ग्रान्ट्स कमिशन से, जहां तक इनके व्यय का सम्बन्ध है वह हमको मिल सकता है । इस सुझाव के साथ, सभापति महोदय, एक दूसरा सुझाव भी पेश करना चाहता हूं । इस सुझाव का सम्बन्ध है एजुकेशन से । जब इसका सम्बन्ध एजुकेशन से सम्बन्धित डाइरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से पड़ता है, जब मैंने यह निवेदन किया कि रेज़िडेन्शियल युनिवर्सिटीज़ के कायम हो जाने के बाद नॉन डेवलेप्मेन्टल एक्सपेन्डीचर का क्रम भी समाप्त होता जाता है और यदि समाप्त नहीं होता है तो धीमा हो जाता है और होता जावेगा तो डाइरेक्टोरेट का आय-व्यय का सम्बन्ध भी कम होता जावेगा । डाइरेक्टोरेट का खर्चा तीन लाख का या उस, से ऊपर का उसका व्यय है । डाइरेक्टोरेट का खर्च नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर से सम्बन्ध रखता है । इसलिये इन युनिवर्सिटीज़ के कायम होने के बाद डाइरेक्टोरेट का खर्च इसी साल या एक-दो वर्ष में अपने आप हल्का हो जाता है । तो ये दो सुझाव मैंने आपके सम्मुख रखे हैं ।

तीसरा सुझाव मेरा, सभापति महोदय, यह है कि जो दूसरा डाइरेक्टोरेट रह जाता है वह है हायर सैकेन्डरी एजुकेशन का । बदकिस्मती हमारी यह है सभापति महोदय कि हम डेवलपमेन्ट को भी एक क्रीड नहीं मानते हैं । यह एक मजहब है हमारे शासन का जिसके कारण जन-सहयोग प्राप्त करना और पैदा करना है । शिक्षा भी टैक्निकल विषय है । ऐसा मैं मानता हूं । वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है सदन की यह मान्यता रही है कि शिक्षा का प्रश्न शिक्षा को समझनेवाले के पास होना चाहिये । यह ठीक है । शिक्षा में उत्तरोत्तर तरक्की और परवर्त्तन हो रहे हैं । जो उसमें कमियां हैं एवं जो मोड़ देना चाहते हैं वही व्यक्ति उसको मोड़ दे सकता है जो शिक्षा विशारद स्वयम् रहा हो । मैं इस प्रश्न को इसके साथ जोड़ता हूं । वह ही व्यक्ति इसका अधिकारी है । जो शिक्षा को समझता है, जो शिक्षा की गति और मोड़ दे सकता है और जो मनोवैज्ञानिक ढंग की शिक्षा को समझता हो । हायर सैकेन्डरी एजुकेशन के डाइरेक्टर के उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स हैं । डाइरेक्टर आर्कियोलोजी, डाइरेक्टर आर्काइव्ज़ और डाइरेक्टर संस्कृत एजुकेशन, तीन; चार अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स हैं । उनका सम्बन्ध शिक्षा से किसी न किसी तरह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जरूर है और इनके अलग कायम रहने से हम पर एक इन्सीडेन्स, एक भार पड़ता है। कोई असुविधा नहीं हो सकती है कि टैक्निकल एजुकेशन के डाइरेक्टोरेट को भी इस डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत मिला दिया जाय। मेरा ख्याल है कि स्टाफ में कमी हो सकती है और शिक्षा में संतुलन। मैं समझूंगा, हो सकता है। तो जो मैंने बर्डन बताया नॉन डेवलपमेन्टल एक्सपेन्डीचर का उसको हल्का करने में, मेरे ये सुझाव हैं, उनके अनुसार हल्का कर सकते हैं।

तीसरा सुझाव, सभापति महोदय, मेरा यह है कि राजस्थान में एकेडेमीज़ हैं; उदाहरणार्थ साहित्य एकेडेमी, ललित कला एकेडेमी और नाट्य एकेडेमी। तीन एकेडेमीज़ हैं फिलहाल तो, और उनका कॉन्ट्रिब्युशन अलग अलग तरीकेसे है। पुस्तकों का लिखाना, पत्रों का निकाला जाना; ये सारी व्यवस्थाएं उनकी अलग अलग रूप से हैं। मेरा सुझाव है कि जहां तक उनके पब्लिकेशन का सम्बन्ध है और तीनों एकेडेमीज़ से अलग अलग पब्लिकेशन्स निकलते हैं' उनका एक डाइरेक्टोरेट होना चाहिये, उनको पूल करना चाहिये और एक ही ऑथोरिटी के अन्तर्गत दे देना चाहिए। इससे दो फायदे हमको हो सकते हैं। जैसी चीज आती होगी वैसे अलग अलग पब्लिकेशन्स एकेडेमीज़ से होते हैं, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन और सेल के सम्बन्ध में नहीं होता है। इसलिये एकेडेमीज़ के पब्लिकेशन्स बहुत अधिक संख्या में होते हुए भी जिनका उपयोग न हो पाता है और न आउटपुट अधिक हो सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि एक ही डिपार्टमेन्ट का निर्माण इनके पब्लिकेशन्स के लिए और सेल के लिए कर दिया जाय। इससे जो आज इनमें कमी है वह दूर हो सकती है। एक यह मेरा सजेशन के रूप में सुझाव है।

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नामजद सदस्यों द्वारा नाम वापिस लिया जाना।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में से चार बजे पहले जो अपना नाम विथ्ड्रॉ करना चाहे वह कर ले; ऐसी सूचना दी गई थी। मैं मेरा नाम एस्टीमेट्स कमेटी में से विथ्ड्रॉ करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम विथ्ड्रॉ करता हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : मै भी अपना नाम पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से विथ्ड्रॉ करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): क्या ये जो विथ्ड्रॉवल हुए हैं वे फाइनल हैं ?

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में मैंने अपना नाम दिया था उसको विथ्ड्रॉ करता हूँ।

आय-व्ययक पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री सभापति: Mr. Acharya ! Continue,

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मैं तीसरा सुझाव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूँ। यह विषय महत्वपूर्ण भी है, ज्यादा डिबेट भी होती है वह होती है विज्ञापन की, यह राजस्थान और जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्ध रखता है। गृह मंत्री महोदय ने पहले इसके सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि विज्ञापन की नीति के सम्बन्ध या विज्ञापन देने के सम्बन्ध में वे एक अलग एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं। उसकी रूपरेखा अभी हमारे सामने नहीं है। उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उसकी भी रूपरेखा हमारे सामने नहीं है। कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते अभी इस पर; लेकिन यह बात सदन के सामने एक बीमारी के रूप में सदा रही है और मेरा विश्वास है कि उस बीमारी को किसी न किसी माने में दूर करना चाहिये। मेरा विश्वास है कि जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है उसको जन सम्पर्क विभाग से अलहदा कर देना चाहिए; इसलिए अलहदा कर देना चाहिए कि समाचार-पत्र इस प्रश्न से संबंधित हैं। जन सम्पर्क अधिकारी जब अखबारनवीसों से एवं पत्रों में विज्ञापन देने आदि के प्रश्न पर सम्बन्ध रखता है तो यह स्वभाविक है कि यह रियायत देने को कमजोरी आ ही जाती है। अधिकारी को इस संघर्ष में पड़ना पड़ता है कि विज्ञापन किसको दिये जायं, किन पत्रों को न दिये जायं और किस ढंग से दिए जायं। वही आलोचना का विषय इस सदन में बराबर रहा है। जन सम्पर्क विभाग एक अलग विभाग है। विज्ञापन देने की एक अलग सीमा और नीति रहती है। जन सम्पर्क विभाग का यह कार्य है कि राजस्थान सरकार की नीतियों एवं अन्य बातों का प्रचार कराये और अगर अखबारों की मेहरबानी से न हो तो प्रचार में बाधा पड़ जाती है।

इसलिए जनसम्पर्क विभाग को सम्पर्क रखना पड़ता है पत्रकारों के सामने। मेरा यह सुझाव है कि जहां तक विज्ञापन का प्रश्न है इसके लिए अलग विभाग हो या यह उस विभाग के पास हो जिसका जन सम्पर्क विभाग से कतई सम्बन्ध न हो। यदि इस तरह से किया जाय तो इसमें स्वतन्त्रता से विज्ञापन नीति का पालन किया जा सकता है। एक दूसरा डिपार्टमेन्ट अलग होने से किसी भी तरह की विज्ञापन के सम्बन्ध में की जाने वाली आलोचना बन्द हो सकती है। इसके साथ साथ यह प्रश्न भी उठाया जाता रहा है कि विज्ञापन के खर्चे का भार राज्य सरकार पर अधिक पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि विज्ञापन देने के सम्बन्ध में जिस प्रकार का विभाग केन्द्रीय सरकार में अलग से है, जिसका काम केवल विज्ञापन देना होता है, इसी तरह का निर्णय यहां भी ले लिया जाय तो जैसी कि सदन की मान्यता है कि इसमें बहुत बड़ी खर्चे में, बचत हो सकती है और गलत विज्ञापन भी लोगों के पास नहीं पहुंच सकेंगे।

सभापति महोदय, अभी मुझे रिपोर्ट ऑन राजस्थान थर्ड इयर प्लान का अध्ययन करने का मौका मिला था। उस रिपोर्ट में नोन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की गई थी, इसके साथ साथ उन्होंने जो थर्ड फाइव इयर प्लान का फ्रेम है उस पर भी चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं। उन सुझावों को मेरे लिए दोहराना उचित होगा। उन्होंने

Page No 86

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सुझाव यह दिया है; रिपोर्ट में यह लिखा है कम से कम जब सारे भारतवर्ष को अलग अलग विभिन्न रियासतों का रीऑर्गेनाइज़ेशन कर दिया गया और उसके बाद सारे भारतवर्ष में केवल १६ राज्य रह गये, सारा भारत केवल १६ राज्यों में बट गया; आयोग ने उसका उदाहरण देते हुए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि उसी आधार पर हमको भी राजस्थान में अपनी व्यवस्था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पुन: रीऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। सुझावों में यह भी है कि कलेक्टोरेट जो हमारे यहां २६ हैं वे घटा कर २० कर दिये जायं। इस तरह से ६ कलेक्टोरेट्स पर होने वाला व्यय बचाया जा सकता है। यह सुझाव सभापति महोदय, ठीक मालूम होता है, न्याय संगत मालूम होता है इसलिए न्याय संगत है कि २६ कलेक्टोरेट्स को हम २० में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यह ज्यादा विश्लेषण का विषय नहीं; स्पष्ट रूप से एक प्रकार का आधार रखता है।

इसके साथ साथ रिपोर्ट में तहसीलों को भी रीऑर्गेनाइज़ेशन करने का सुझाव भी है। पंचायत समितियों का रीऑर्गेनाइज़ेशन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कमेटी की इस रिपोर्ट के सुझावों पर ध्यान दिया होगा। इसको यदि कार्यान्वित किया जाता है तो कम से कम ६ कलेक्टोरेट्स में कमी कर सकते हैं, तहसीलों में कमी हो सकती है, पंचायत समितियों के जुरिस्डिक्शन में कमी हो सकती है इससे जो बड़ा खर्च है वह बच सकता है। यह प्रश्न डाइरेक्टली नोन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर से सम्बन्ध रखता है जिसमें हम निरन्तर नीचे गिरते जा रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं यह नहीं सोचता कि यह प्रासंगिक है या नहीं, कह नहीं सकता फिर भी जब मैंने युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जिक्र किया है, एकेडेमीज़ के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि पब्लिकेशन्स एक जगह से होने चाहिए, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं ! इन पब्लिकेशन्स का एक जगह से प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। यद्यपि एकेडेमीज़ में आइटम्स बड़े हैं, पर्सोनल के सिलेक्शन का जो ढंग है उसमें ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा तनख्वाह या पक्षपात का समावेश भी होता है वह एक तरफ से रूक सकता है। मेरी मान्यता है कि अकेडेमीज़ में जहां सिलेक्शन का प्रश्न आता है वहां एक गवर्नमेंट का रिप्रेज़ेन्टेटिव होना चाहिए जो शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखता हो। वह पर्सोनल के सिलेक्शन में बैठ जाय तो यह स्थिति बदल सकती है और इस तरह से डाइरेक्ट इन्सीडेन्स कम हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं युनिवर्सिटी के बारे में अर्ज कर रहा था, उसकी समालोचना भी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जो स्पष्ट रूप से सामने चीज आई है वह है प्रिन्टिंग प्रेस से संबन्धित। इसमें बहुत बड़ा खर्च करके काम किया जा रहा है। हमको यह भी देखना है कि प्रिन्टिंग प्रेस कहीं युनिवर्सिटी पर लाएबेलिटी न हो जाय ख्वामख्वाह यह एक्सपेन्डीचर न हो जाय। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है बड़ा प्रेस कायम किया जा रहा है। युनिवर्सिटी के अन्दर इसके लिए बहुत बड़ी इमारत भी बन रही है जहां यह प्रेस कायम किया जायगा। मेरा निवेदन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है कि इमारत जो बन रही है वह किसी फैकल्टी के लिए काम आ सकती है। प्रेस के लिए शहर में कोई मकान किराये पर लेकर कॉमर्शियल बेसिस पर उसको चलाना चाहिये। कॉमर्सियल बेसिस पर इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्रिन्टिंग प्रेस के पास इतना काम है कि प्राइवेट प्रेसेज़को वह काम देना पड़ता है। इसी प्रकार दूसरे प्रिन्टिंग प्रेसेज़ हैं उनके पास भी अत्यधिक काम है। ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी का प्रेस राज्य के प्रिन्टिंग प्रेस से काम लेते हुए भी अपना काम कर सकता है और इस तरह से उसको कॉमर्शियल बेसिस पर चलाया जा सकता है ताकि उससे इतनी आय हो जाय कि वह युनिवर्सिटी पर लाएबेलिटी के रूप में न रहे।

इसके बाद सभापति महोदय, बार बार बात कही जाती है प्लान के सम्बन्ध में। हमारा प्लानिंग और मुख्यतः थर्ड फाइव इयर प्लानिंग जो हमारे सामने है उसकी क्या स्थिति है ? हम इसको किसी तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमको यह देखना है कि दरअसल इसको गति में किसी प्रकार की रोक थाम न हो, बाधाएं न हों; यह हमारा निश्चय है। आश्चर्य होता है यहां के प्लानिंग के सम्बन्ध में ! जब कभी इस सम्बन्ध में विचार होता है तो दो प्रश्न बड़े स्पष्ट रूप से सामने आते हैं; एक तो यह कि हमारे प्लानिंग का ढांचा किस तरह से बैठता है। हम हमारी स्कीम्स को कोऑर्डिनेट किसी विशेष विभाग के आधार पर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो प्लानिंग कमीशन के कोऑर्डिनेट प्लानिंग स्कीम्स का उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। राजस्थान सरकार का जहां तक प्लानिंग से सम्बन्ध है आप स्वयं जानते हैं कि यहां का प्लानिंग सिर्फ मीटिंगों में, कॉन्फ्रेन्सों में, स्कीम्स को मंगाकर पास किया जाता है और उसके बाद उनका कोऑर्डिनेशन कर दिया जाता है। उससे कोऑर्डिनेशन किस ढंग से होता है, मैं कह नहीं सकता। मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान स्टेट में मीनियेचर फोर्म पर प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया जाय ताकि उसमें पूर्ण रूप से प्लानिंग स्कीम्स का कोऑर्डिनेशन हो सके; जिससे प्लानिंग में, उसमें क्या दोष है क्या गुण हैं। उसमें उसकी विवेचना की जा सके। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूं। हमारे यहां प्लानिंग और डेवलपमेन्ट के प्रश्न पर सबसे ऊंचा अफसर है एडीशनल चीफ सेक्रेटरी का ? अब उनके पास एग्ज़ीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का काम भी है और वे डेवलपमेन्ट कमिश्नर भी हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर अलग स्वतन्त्र रूप से कोई सेक्रेटरी नहीं। तो यह भी एक बाधा है जो हमारे इस डेवलपमेन्ट के काम में पैदा होती है। ऐसी स्थिति में मेरी मान्यता है कि डेवलपमेन्ट के प्रश्न को महत्वपूर्ण मानकर उसे विशेष स्थिति पर और विशेष आधार पर सोचा जाना चाहिये और इसके लिये एक स्वतन्त्र अधिकारी रखा जाना चाहिये जो केवल इसी के बारे में सोचे और उसका ध्यान दूसरी बातों की तरफ न बंट पावे।

मेरा एक और सुझाव है सभापति महोदय, विकेन्द्रीकरण के बाद पंचायत समितियों के बन जाने से एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई और वह स्थिति हमारे विकास-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अधिकारियों से सम्बन्ध रखती है। हम बार-बार इस प्रश्न पर सोचते हैं कि विकास जन सहयोग के आधार पर आगे बढ़े और जन चेतना की पृष्ठभूमि इसके पीछे हो। पर ज्यों ज्यों हम प्रयत्न करते हैं विकास बढ़ता है पर एक खास ढर्रे से बढ़ता है। उसके साथ जनता का मन नहीं होता। इसका कारण आप भी महसूस करते होंगे कि जो जन चेतना पैदा करने का दायित्व रखते हैं वे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दूसरी मुख्य बाधा विकास अधिकारी हैं। विकास अधिकारी की आज अजीब सी स्थिति है इसलिये कि उसे पुराने ढर्रे से एक नये चेतनशील स्थिति में दाखिल किया गया है। रिओरियेन्ट उसको करना है। रिओरिएन्टेशन के लिये ट्रेनिंग सेन्टर है, यह ठीक है, उसको अपने आपको रिओरिअन्ट होने का मौका दिया जाता है, पर थ्योरी में रिओरियेन्ट उसे बनाने के बाद वह प्रैक्टिस में रिओरियेन्ट कितना होता है, यह सवाल है। दो बातें उनमें घर की हुई हैं। इसके लिये एक तो यह है कि वह किसी तरह से पंचायत समिति के प्रधान को प्रसन्न रखे येनकेन। प्रकारेण और अगर नहीं रखता है तो उसको क्षति होती है और अगर विकास के हिताहित को सोच कर विकास के हक में वह उसकी अप्रसन्नता की भी परवाह नहीं करता और अपने दिमाग से स्वतन्त्र रूप से काम करता है तो आसपास की पृष्ठभूमि को देख कर वह चुप रह जाता है। तो मैं इसके लिये आगे जाकर एक सुझाव दूंगा। आपको इस विकास के लिये एक अलग सर्विस कायम कर देनी चाहिये और यह सुझाव भी इसलिये देता हूँ कि अभी अभी राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं या कुछ आदेश दिये हैं कि जो एस. डी.-ओ. हैं उनको कम से कम तीन साल तक बराबर विकास अधिकारी रहना पड़ेगा और विकास अधिकारी रहने के बाद ही दूसरे राजकीय कार्य में लगाया जा सकता है। यह स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें रिओरियेन्ट करने की परिस्थिति रहती है जो एस. डी. ओ. और एस. डी. एम. हुकूमत में थे और हुकूमत पसन्द थे उनको बहालत मजबूरी एक स्थिति में डाल दिया कि वे विकास के सिद्धान्त को समझें और उसके अनुसार अपने को बनावें। यह वर्तमान स्थिति एक्सपेरीमेंट के तौर पर है। विकास अधिकारी बनने के बाद वास्तव में ये एस. डी. ओ. हुकूमत की छाया को छोड़ पाते हैं या नहीं; यह प्रश्न विवादास्पद रहता है। तो मेरा यह सुझाव है कि विकास एक योग्यता और गति रखता है। अतः उसके लिए जो जन चेतना पैदा करने की शक्ति रखता हो, उसे इस पद पर रखा जाय। यह वह पद है जहां आदमी अपनी भावनाएं लेकर आता है और इस भावनावाले व्यक्ति को चुनना कुछ कठिन होता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर इन विकास अधिकारियों की एक अलग सर्विस कायम कर दी जाय तो उपयुक्त होगा। सर्विस एट्रेक्टिव हो, इमोल्यूमेन्ट्स एट्रेक्टिव हों। अगर यह हो जाता है तो मेरा विश्वास है कि जो गति हम इस विकास के काम में लाना चाहते हैं वह मिल सकती है। इस तरह से मैंने सुझाव के रूप में यह प्रश्न सदन के सामने रखा है। दूसरा प्रश्न जो मैं रखना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चाहता हूँ वह कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में है। कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परसों भी और मुख्यत: कल सदन में यह कहा कि हमारा इसमें पूरा विश्वास है और हमारी यह मान्यता है कि इसमें विश्वास होना आवश्यक है; यदि हम देश को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो इस पर विवाद पैदा किया गया है कोऑपरेटिव फार्मिंग पर वह बड़ा घातक है इसके लिये और इसलिये घातक है कि किसान के दिमाग को इस विवेचना ने संकट में डाला है और विचार करने को स्थिति में उसे इस वक्त नहीं रखा कि आगे कैसे बढ़ सकता है और वह अपना विश्वास पुन: इस कोऑपरेटिव में कैसे पैदा कर सकता है ?

हमने अब तक कोऑपरेटिव फार्मिंग की स्कीम ली और इसके साथ साथ अपना विश्वास इसमें पैदा किया; पर मेरी मान्यता है कि इसमें अपना आपने विश्वास तो दिया पर जनता का विश्वास इसमें पैदा नहीं किया और इसलिये विपक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि किसान अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ आया तो अपनी जमीन खो देगा। यह बहुत बड़ी बात है किसान को बेचैन करने के लिये। किसान अपने खेत में अगर बरगद का दरख्त भी लगाता है तो उसे भी छोड़ने को तैयार नहीं है; क्योंकि यह उसके बाप दादाओं के हाथ का लगाया हुआ है। इतनी ममता किसान को अपनी जमीन से और अपनी चीजों से है। इसको देख कर विरोधी सीधी चोट इस प्रश्न पर यह करते हैं। वे किसान से कहते हैं कि तुमने अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग अख्तियार किया तो तुम अपनी जमीन खो बैठोगे। तो किसान अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाना चाहता और इस भुलावे में आ जाता है। वह नहीं सोचने की कोशिश करता कि यह जो कुछ कहा जा रहा है वह वास्तव में ठीक है या नहीं। तो इसलिये मेरा सुझाव है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में हम सजग हों, सचेत हों और अगर आप इसे अपना क्रीड मान कर चलते हैं तो इस प्रश्न पर हमें दृढ़ जनमत तैयार करना पड़ेगा। किसान का दिमाग बदलना पड़ेगा और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग में अगर कोई गलतियां हैं तो उनको भी दूर करना पड़ेगा। गलतियों की बात मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूँ कि जब इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी ने इसके सम्बन्ध में इवेल्यूएट किया और अपनी ओपीनियन दी तो वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। यह मैजिक है अगर यह सफल हो जावें तो; क्योंकि जो इसमें खामिया हैं उनको देखा, तोला और यह महसूस किया कि जब तक इसके सम्बन्ध में जनमत पैदा नहीं किया जावे तब तक यह कामयाब नहीं हो सकता।

तो मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि जो यह कहा जा रहा है कि लेजिस्लेशन से तो कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं लाया जावे, वॉलन्टरी तौर से यह लाया जावे तो इसे किसान कर सकता है, लेजिस्लेशन से गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अगर वॉलेन्टरी तौर से लाये जाने की बात रहती है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें यह अधिक जोर से सोचना होगा कि इसके वॉलेन्टरी होते हुए किसान को किस तरह से राजी किया जा सकता है।

Page No 90

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न कई इसमें उठते हैं। पहला तो यह है कि अगर किसान अपनी जमीन देना चाहता है तो क्या सम्पूर्ण जमीन देगा या आधी देगा ? और अगर जितनी भी दी तो इवेल्यूएशन का संकट आता है। प्रोडक्शन का इवेल्यूएशन किस तरह किया जावेगा ? अगर यह होगा तो लेबर किस तरह से कन्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसके जहां तक कर्जे का प्रश्न है पहले यह तय करना पड़ेगा कि किसान कितने कर्जे में है और इससे कैसे इसको छुड़ाया जा सकता है ? तो कर्जे की प्रणाली से जैसे अर्ज किया तीन-चार तरीके से मुक्त होता है। पहले तो ऐसा होता है कोई किसान ऐसा है जो अपना कर्जा अपने आप संभाल सकता है। दूसरे दर्जे का किसान वह होता है कि अपने प्राइवेट तरीकों से कर्जा निभा लेता है। तीसरा यह भी कि किसान कर्जे से कभी ऊब नहीं पाता और बराबर करने में चलता रहता है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी गांव को आदर्श गांव मान कर यह देखा जावे कि किस तरह से सारे गांव के किसान कर्जे से मुक्त किये जा सकते हैं। हमारे पास कई आधार हैं। पर आधारों के होते हुए भी यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि किसान को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में अगर वह आता है तो उसे कर्जे से मुक्त कर दिया जावेगा। लेकिन यह विश्वास किसान तक पहुँचाना पड़ेगा और पहुँचाना इसलिए पड़ेगा कि किसान के दिमाग में जो बातें पैदा की गई हैं उनसे उसको मुक्त करना जरूरी है।

तीसरा प्रश्न सभापति महोदय, जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं वह है टैक्स के सम्बन्ध में। जो नये टैक्स लागू किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मुझे अधिक निवेदन नहीं करना है; सिर्फ इतना निवेदन करना है कि हमारे बजट में इस समय कुछ रीति और नीति जो हमारी रही है उसका अधिक विश्लेषण नहीं हुआ। जैसा मैंने निवेदन किया कि बजट में हमारी शिक्षा नीति, शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में और इसी तरह से मैंने जो पुराने बजट की स्पीचेज़ देखीं उनमें बराबर इस प्रश्न पर विवेचना है और वह प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, प्रोहिबिशन का। इस प्रोहीबीशन के प्रश्न पर हम किसी न किसी रूप में कमिटेड हैं। १९५९ और ६० की स्पीच और उसके साथ ही १९५७ और ५८ की बजट स्पीच है जिसमें बराबर टैक्स लगाने के साथ साथ हमने अपनी एक नीति का निर्देशन किया है और वह यह है कि हम इसके साथ में प्रोहिबिशन का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि १९५९ और ६० के बजट में २५ हजार रुपया इस बात का रखा कि हम पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जनता का दिमाग बनाना चाहते हैं और इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम प्रोहिबिशन को किसी न किसी रूप में लायें। इस बजट स्पीच में कर तो लगाया कन्ट्री लिकर पर, लेकिन हमारी नीति क्या है ? कन्ट्री लिकर पर कर लगाने की उस नीति का पहले के बजट स्पीच के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया, जो विश्लेषण किया जाना अत्यन्त जरूरी था। मेरा विश्वास है कि जो कन्ट्री लिकर पर कर लगाया गया है उसके पीछे नीति तो वही है। लेकिन नीति होने के साथ यदि स्पष्ट रूप से वह नीति निर्दिष्ट होती तो हमें एक कदम प्रोहिबिशन की ओर बढ़ता

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नजर आता और वह कम से कम इस बजट स्पीच में होता कि हम चाहते क्या हैं । यद्यपि मेरी मान्यता में प्रोहिबिशन कामयाब हो सकता है या नहीं; यह ऐक विवादास्पद प्रश्न है । हमने अमेरिका में देखा और उन्होंने १८ वां अमेंडिंग बिल पास किया और इसकी रोक–थाम का बड़ा प्रयत्न किया । लेकिन वह प्रयत्न उनका ज्यों ज्यों चलता रहा; त्यों त्यों आगे का इल्लिसिट डिस्टीलेशन ज्यादा हो गया । मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की नीति न हो लेकिन इस ओर कदम जरूर है जिससे किसान को राहत मिल सके । उसका यहां निर्देशन किया जाना जरूरी था । हमने कन्ट्री लिकर पर टैक्स लगाया, लेकिन उसके साथ ही साथ इस स्पीच में, उस भावनाओं की अभिव्यक्ति किया जाना जरूरी था । मसलन उदाहरण के रूप में अगर लिकर शोप्स को कम कर दिया जाये, चाहे गांवों के स्तर पर ले लिया जाये या शहरों के स्तर पर ले लिया जाये । अगर दूकानों को कम कर दिया जाये तब भी यह हमारा कदम प्रोहिबिशन की ओर है । इसके साथ ही साथ दूसरे उपाय जो माननीय सदस्यों ने सुझाये हैं उन पर भी ध्यान दिया जाये तब भी मेरा ख्याल है कि हमारा कदम कुछ आगे बढ़ता है । साथ ही साथ जिस दिन हमारे मजदूरों को तनख्वाह मिलती है उसके दो-तीन रोज पहले ही दूकानें बन्द कर दी जायें तो मेरा यह विश्वास है कि मजदूरों का धन लिकर के खरीदने में नहीं जा सकता । इस तरह के प्रश्न मैं इसलिए रख रहा हूं कि हमारी नीति है कि हमें प्रोहिबिशन करना है और यह हमारी नीति रही है । जैसे कि हम पहले से कमिटेड हैं, आप पहले की बजट स्पीचेज़ उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि इसका विश्लेषण किया गया है । मैं ऐसा समझता हूं कि इसका कोई न कोई कदम इस बजट स्पीच में भी जरूर होना चाहिए था । मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूं कि आपके प्रिडीसेसर वित्त मंत्री ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया है । वे इसके पक्ष में रहे हैं और मेरा विश्वास है कि उनको अखरा भी होगा कि प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में टैक्स आ गया, लेकिन इसकी नीति का समावेश इस बजट में नहीं रहा ।

मैं और अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक टैक्सेज़ लगे हैं उनका कहीं न कहीं इन्सीडेन्स पड़ता जरूर है । मैं इस प्रश्न को साधारण रूप में नहीं ले सकता । वह इसलिए कि मेरे सामने एक और आधार है । अगर वह आधार नहीं होता तो मै कह सकता था कि जो पर्सेन्टेज टैक्स लिकर पर या मनोरंजन पर लगाया जाता है उसका इन्सीडेन्स डाइरेक्टली कन्ज़्यूमर्स पर नहीं है, लेकिन वह है । मैं आपके सामने एक स्थिति और रखना चाहता हूं और वह कम्पेरेटिव इन्सीडेन्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू पर-केपिटा; यह बजट स्टडी पर जो हमको पुस्तक दी गई है उसमें इसका विवेचन है । "The per capita incidence of land revenue in Rajasthan, which is 4.47, is the highest in the country. The comparative figures in some States are three times or two times less."

जब टैक्स की स्थिति हमारे सामने आई

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तो मैंने यह इन्सीडेन्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू पर-केपिटा को देखा था। उससे मुझे मालूम हुआ कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में हमारे यहां ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि किसान इस प्रश्न पर पहले से ही बर्डन्ड है और इस प्रश्न को उसके साथ मिला दिया जाये तो यह कर जस्टीफायेबल या फेयर नहीं कहे जा सकते; यह स्थिति जरूर है, इसमें। सभापति महोदय, इन प्रश्नों के साथ मैं एक बात अन्त में और निवेदन करूंगा कि बजट की विवेचना इस बार दरअसल कन्सट्रक्टिव सुझावों के साथ रही है और कन्सट्रक्टिव सुझावों के आधार पर यह महसूस करते हैं कि हम वास्तव में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमको नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर को कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ; सबसे बड़ा खतरा जो राज्य के सामने है वह खतरा राज्य कर्मचारियों का है। अन्दर से जब हम यह स्थिति देखते हैं और यह कहते हैं कि हमने इनके इमोल्युमेन्ट्स को ठीक किया है और उस पर हमें सन्तोष हो जाता है कि हमने इनके इमोल्युमेन्ट्स को ठीक किया है; लेकिन गहराई से देखें तो स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि आपने इमोल्यूमेन्ट्स पर कुछ खर्च किया और उस पर ४ लाख का हमारा अन्दाजा था खर्चा करने का, लेकिन जब खर्चा करने पर मालूम हुआ कि १ लाख से अधिक कर्मचारी हैं जिनकी कि वेतन श्रृंखला को अच्छा करना है तो हमारा खर्चा ५ लाख और आगे बढ़ गया....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे समय का ध्यान रखें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं और मेरा ख्याल है कि कुछ घड़ियां बाकी हैं।

हमने इमोल्युमेन्ट्स हमारे कर्मचारियों के ठीक किये, लेकिन एक सुझाव माननीय सदस्य का आया और मेरा ख्याल है कि यह सुझाव इस ओर का भी है कि यह प्रश्न जो आपने इमोल्युमेन्ट्स का ठीक किया है इससे तो स्वयं कर्मचारी प्रसन्न नहीं हैं। राज्य कर्मचारी यह देखना चाहते हैं कि दरअसल में हमारे बीच में जो इनइक्वेलिटी है जो भेदभाव है वह कहां तक है और कैसे मिटाई जा सकती है। आपने तनख्वाहों में १०० कर दिये, या १२५ कर दिये, पेन्शन ठीक कर दी; लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी देखते है कि हमारे ऊपर के ऑफिसर कितना लेते हैं ? तो वह अपनी स्थिति के आधार पर उसका कम्पेरिजन जरूर करते हैं। जब वह कम्पेरिज़न करते हैं तो राज्य सरकार एक तरफ और राज्य कर्मचारी दूसरी तरफ, दोनों में हैल्दी-स्पिरिट, बीच में, नहीं है। यह हमारे शासन के लिए बड़ी घातक स्थिति रखती है।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूं कि आपने इमोल्युमेन्ट्स तो ठीक किये है, उठाया है लेकिन जो ऊपर का स्तर हैं उसको भी आपको घटाना पड़ेगा तब यह नीचे का स्तर अपने आप सन्तोष प्राप्त करेगा और ऊपर के स्तर का जब मैं जिक्र करता हूं तो एक अजीब भेदभाव का स्तर मालूम होता है। आई. ए. एस. और आर. ए. एस. में आज इतना बड़ा भेद है! जो पुराने जमाने में आई. सी.- एस० और रियासतों के पुराने कर्मचारियों में था यह भेद मेन्टल डिसरप्शन पैदा करता है, मानसिक द्वन्द्व पैदा करता है राय कर्म-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चारियों में। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस भेद को मिटाने के लिए प्रयत्न किया जाय ताकि राज्य कर्मचारियों में संतोष पैदा होवे और रेड टेपिज्म भी हटाने के लिए किसी एक समिति का गठन किया जाय और उस समिति में निष्पक्ष आदमी जो प्रशासन को समझते हों और इस श्रृंखला और इसकी पेचीदगियों से परे कोई सुझाव दे सकते हों और निभा सकते हों उन व्यक्तियों के साथ में कर्मचारियों को रखा जाय तो मेरा विश्वास है कि जो आपस में भेदभाव हैं उनको मिटाने की समस्या पर विचार कर सकते हैं और साथ ही प्रशासन की पेचिदगियों पर विचार किया जा सकता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ वित मंत्री महोदय के द्वारा रखे हुए बजट और उनके भाषण का समर्थन करता हूँ और विश्वास रखता हूं कि यद्यपि उसमें बहुत से आंकड़े समाजवादी समाज को कायम करने के आधार पर हो हैं और मेरा विश्वास है कि प्रगति के आंकड़े जो दिये गये हैं वे सन्तोषपूर्ण हैं और विकास में विश्वास पैदा करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, यों तो बजट पर बोलने का अधिकार अर्थशास्त्रियों को ही होना चाहिए क्योंकि यह एक टैक्निकल चीज है; लेकिन साथ ही यह विषय इतना सर्वव्यापी है कि हम सब को किसी न किसी रूप में आर्थिक व्यवस्था के ऊपर सोचना विचारना पड़ता है; बल्कि डील वीथ भी करना पड़ता है।

बजट हमारे सामने कई प्रकार के आंकड़े पेश करता है और ये आंकड़े हमें बजट पर विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनमें से कई आंकड़े सन्तोषप्रद हैं और कई चिन्ता पैदा करने वाले हैं। यह देख कर हमें सन्तोष होता है कि ५५ और ५६ में हमारा पर-केपिटा २३७ था और आज वह बढ़ कर २४६ हो गया है। ऊपर से देखने के वास्ते तो यह सन्तोषप्रद लगता है, लेकिन जब हम देख कर गम्भीरता से हिसाब लगाते हैं तो इसका एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने आता है। उस समय यह १०) रु० था और आज ३०) रु० है। जब हम पर-केपिटा में से ३०) रु० की बाकी निकाल देते हैं तो पर-केपिटा २१६ जो है वह ५५-५६ से भी कम है। इधर हमारे डेवलपमेंट में खर्चा होकर रकम ७ करोड़ से बढ़ा कर ३५ करोड़ हो गई है। यह एक प्रसन्नता और सन्तोष का विषय है। लेकिन साथ ही नॉन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर १० करोड़ से बढ़ कर २६ करोड़ हो गया है। इसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते। इस प्रकार के कई आंकड़े हैं जो हमें सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं और कुछ चिन्ता भी पैदा करते हैं।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष में मुझे सेन्ट्रल एशिया, युरोप और फार-ईस्ट के कुछ देशों में जाने का मौका मिला। उन देशों में कुछ सामन्तवादी देश भी थे, सोशियलिस्ट कन्ट्रीज़ भी थे और कुछ पूंजीवादी देश भी थे। रूस कॉम्युनिस्ट मुल्क है और जापान परम पूंजीवादी देश है। इन दोनों की अर्थ नीति पूर्व और पश्चिम की तरह अलग अलग है, पर ये दोनों मुल्क अपनी अपनी अर्थनीति के अनुसार अपने अपने देश का विकास कर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है ! ये मुल्क पिछली वार में बर्बाद हो गये थे, और इनको स्थिति काफी खराब होगई थी। १९४७ में जो हमारे देश की स्थिति थी उससे कई गुना बदतर उन देशों की स्थिति थी लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है। जब मैं वहां गई थी तो मुझे यह देख कर कुछ आश्चर्य भी होता था और कुछ ईर्ष्या भी होती थी कि ये मुल्क हमसे कितने आगे बढ़ गये हैं। उनके हम कर्जदार बन चुके हैं और वे हमारे बोहरे बन गये हैं।

ऑस्ट्रिया एक छोटासा देश है, राजस्थान से भी छोटा मुल्क है; उसके हम कर्जदार हैं और वह हमारा बोहरा है। अभी हाल में १५ करोड़ का कर्जा हमने ऑस्ट्रिया से लिया था। इसी तरह से जर्मनी की अर्थ नीति वार में जिस तरह से मटियामेट हुई है उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आज उसकी अर्थ नीति दूसरे कई मुल्कों से बड़ी दृढ़ है। आज वहां धन सरप्लस में है। बैंकों में इतना धन जमा है कि और रकमें जमा करने में बैंक वाले इन्कार कर देते हैं। इसी तरह से इंग्लैण्ड १९४७ में हमारा कर्जदार था। १६ करोड़ के लगभग पौंड पावना हम मांगते थे। उन देशों की आज स्थिति दृढ़ हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति आज मजबूत नहीं है। विदेशों में कई देशों के लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आखिर आप लोगों को इतने कर्ज की जरूरत क्यों है ? सभापति महोदय, इसका जवाब मेरे पास में कुछ नहीं था सिवाय नीचा सिर करने के।

सभापति महोदय, यह मैं मानती हूं कि डेवलपमेंट के लिए धन की जरूरत होती है और धन का प्रबन्ध भी करना पड़ता है और टैक्स भी लगाये जाते हैं और कर्जा भी लिया जाता है। जितने भी अल्प विकसित देश हैं उन्होंने अपने विकास के लिए कर्ज भी लिया और टैक्स भी लगाये, लेकिन इन सब की एक सीमा होती है। हमारे वित मन्त्री महोदय ने जनता से यह आशा की है, देश के विकास के लिए पेट पर पट्टी बांधने को तैयार हो। वित्त मन्त्री महोदय की इस बात को मैं मानती हूं कि जब देश को जरूरत हो, देश के विकास की आवश्यकता हो तो जनता को बड़े से बड़ा बलिदान और कुर्बानी कर देनी चाहिए और मैं सोचती हूं कि हमारी जनता बलिदान भी कर सकती है और पेट पर पट्टी भी बांध सकती है। लेकिन, सभापति महोदय, सिर्फ एक शर्त के साथ और एक विश्वास के साथ; जनता इस विश्वास के साथ पट्टी बांध सकती है कि उनके द्वारा दिए गए एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। जनता यह विश्वास नहीं कर सकती कि उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे का किसी भी तरह से दुरुपयोग होगा। हमारी सरकार जिस दिन जनता को विश्वास दिला देगी कि उनके द्वारा दिया गया पैसा जनता की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए खर्च किया जाता है उस दिन मैं सोचती हूं कि जनता अपने पेट पर बहुत खुशी के साथ पट्टी बांध लेगी।

सभापति महोदय, मैं सोचती हूं कि हमारी अर्थ नीति की जड़ों में या बुनियाद में कहीं कोई गल्ती जरूर है, क्योंकि हमारे खर्च और कर्ज के अनुपात में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रहा है। जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं सोचती हूं कि हमारी वित्त नीति को बदलना पड़ेगा और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस पुरानी परिपाटी की घिसी-पिटी बजट की अर्थ नीति के द्वारा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सभापति महोदय, इसके लिए अधिकारिणी नहीं होते हुए भी मैं एक सुझाव पेश करती हूं कि हमारे सदन के सदस्यों की एक समिति या कमीशन गठित किया जाय और उसका काम यह हो कि वह विभिन्न देशों की प्रोग्रेस का अध्ययन करें और वह देखे कि दूसरे मुल्कों ने अपनी कर नीति कैसी बनाई है, उनकी अपने खर्चे की नीति क्या है और किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करके प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं सोचती हूं कि वे इस तरह का अध्ययन और मनन करके अपने विस्तृत सुझाव सदन के सामने रखें तो वे सुझाव अवश्य ही हमारे लिए लाभ का काम करेंगे। मैं आशा करती हूं कि वे सुझाव अवश्य ही हमारे बजट बनाने वालों को, बजट की आलोचना और समालोचना करने वालों को एक नया दृष्टिकोण देंगे और यह भी आशा करती हूं कि इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा और हमारी समस्या का समाधान हो जायगा।

(४. ४० म. प.)

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों से नाम वापिस लेने के लिये नियत समय में वृद्धि एवं नाम वापिस लेना

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, मुझे भाषण नहीं देना है, यदि स्वीकार करें तो मुझे यह प्रस्ताव करना है कि पब्लिक अकाउन्टस कमेटी और एस्टीमेंट्स कमेटी के लिये जो नामजदगियें हुई हैं उनके विड्ड्रावल का टाइम आज हाउस के एडजोर्न होने से पहले तक बढ़ाया जावे।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : क्या हाउस की सम्मति है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामकिशन (वैर): सभापति महोदय, मैं रामकिशन, डिविजन नं० १४४ एस्टिमेटस कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूँ।

आय-व्ययक पर अग्रेतर वाद-विवाद
(पूर्व क्रम से)

श्री सभापति : श्री मोहनलाल।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़):सभापति महोदय,हाऊस के सामने वित्त मन्त्रीजी बजट राखियो वियोसूं पहले ही म्हां लोगों में आ आशंका ही कि जो बजट सामने आसी बो लूट पात रो होसी। जनता रे ऊपर. अनेक प्रकार रा टैक्स लगाता हुआ वित्त मन्त्रीजी,ओ बजट हाउस रे सामने राखियो। बजट में पंच वर्षीय योजना और डेवलपमेंट रा काम दिखा कर वित्त मन्त्रीजी गरीब जनता में आ दिखाई है कि भाई डेवलपमेंट और योजना में जो कुछ कमी है उणमें आप लोगां रो ज्यादा से ज्यादा हिस्सो होवे, इं वास्ते टैक्स लगाया जा

(श्री मोहनलाल **सारस्वत**)

रहीया है । तो सभापतिजी, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास का मैं समर्थन करता हूँ पर ईं ढंगरी योजना कुछ महलों मायने और विशेष रूप सूं इसी जगह देखणे में आई कि वे सीमित रही वीं ढंग से योजनाबद्ध स्थिति रखी गई है वीके समर्थन में तो जनता रो की भी भलो होवणवालो नहीं है ।

अब कुछ योजना और डेवलपमेंट री बातां अर्थ मन्त्रीजी बताई है । सभापति महोदय, बीं के सम्बन्ध में मैं आपरे सामने थोड़ा तथ्य रखणा चावुं हूँ । आपरे सामने बजट जद सूं पेश हुओ है बीं बजट रे ऊपर अनेक मन्त्रियों केयो, जियां पी. डब्लू, डी. रा मन्त्री महोदय और दूसरा मन्त्री महोदय केयो कि अपोजीशन री तरफ हूं एक ही बात कही जावे है कि टैक्स लगा दिया गया और टक्स लगाने से काम धंधा पूरा किया जावे लेकिन टैक्स कम लगाया जावे । तो सभापति महोदय, मैं आपने एक बातबताणी चावुं,हूं कुछ कुछ राष्ट्रीय योजनारे नाम सूं काम हो रया है वे राष्ट्रीय योजना से बिल्कुल विपरीत काम आज तांई होता आया है और बीं विपरीत काम रे कारण आप देख रया हो कि जगह जगह लोगों में असंतोष फैलियो है और असन्तोष फैलणेरो कारण ओ है कि जन साधारण में लाभ होणों चाहिजे हो बीं की बजाय हानि हो रही है और बीं हानि ने दूर करण रे वास्ते मैं आपरे सामने म्हारा सुझाव राखूं हूं । जो जो काम राज रा चले बीं बीं काम रें मायने राष्ट्रीय विकेन्द्रीकरण और यातायात रो काम कुछ हो बीं काम री बाबत थोड़ा सा आपरे सामने सुझाव रखूं हूं ।

पहले सिविल सप्लाई रे जमाने में ज्यों भ्रष्टाचार फैलावणवालो सिविल सप्लाईज रो डिपार्टमेंट मानियो जातो हो आज वो रोवो हाल ट्रान्सपोर्ट महकमे रो है । बीं महकमे री आपरे सामने बातों रखूं कि जनता रो कितनो नुकसान हो रयो है । बीं में सुचारू रूप सूं आपांरी सरकार चलावे तो बहुत सुचारू रूप सूं वो काम चल सके है । अभी यातायात या ट्रान्सपोर्ट रो कुछ राष्ट्रीयकरण कियो गयो है । बीं राष्ट्रीयकरण में आप देखोला कि जयपुर के मायने जो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट बसों चले है, जयपुर शहर में जो सिटी बस सरविस चले है बीं को कोई नाम तक नहीं लियो है । सब सूं बड़ी बस सरविस है जो सी. टी. बस सरविस है बीं ने राष्ट्रीयकरण में नहीं ली है । या ही बात उदयपुर री है । उदयपुर रे किसी भी रूट रे राष्ट्रीयकरण री बात नहीं आई है जणां कि दूसरी छोटी छोटी जगहां रे राष्ट्रीयकरण रा सुझाव चल रहया है और बीं सुझाव में सुधार लाणे रे वास्ते एक योजना रखी है कि आप कहोला कि अपोजिशन री सीट पर बैठा हुआ लोग आलोचना करणरे सिवाय कोई राय नहीं देवे तो मैं सुझाव री बात आपरे सामने रखूं और कुछ दिन पहले यातायात मन्त्रीजी ईं बात पर रजाबन्द हा कि अपोजीशन वाला जो बातां रखेला उणी रे ऊपर म्हे अमल करांला । या बात ईं ढंगरी है । राष्ट्रीयकरण करो उणरे खिलाफ म्हे नहीं हां लेकिन इणरे वास्ते पहले एक योजना बनाओ । ५०, ६० मील रो टुकडो है तो गरीब बस चालाकां रे वास्ते रहेण दो, १००, ८० मील रो टुकड़ो है तो पुराणा ऑपरेटर

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

साधारण लोग जो आपरी कमाई सारी लगा कर और १ रु० ६ आने सैकड़ा व्याज देकर रकम लाकर लगावे है, आपने मालूम होणी चाहिजे, तो मैं अर्ज करूं हूं कि इण ढंग सु आप री सच्ची कमाई रा पैसा लगा कर बसों खरीदे उणोंरी बसों ई ढंग सूं चलती रहे ई ढंग से राष्ट्रीयकरण करो। बड़ा बड़ा रास्ता होवे तो उणों पर आपांरी बसां चालै और छोटे २ रास्तां पर छोटे २ गरीबां री चाले तो ई ढंग सु होवण सूं सैकड़ों गरीब ऑपरेटर जो बेकार हो रया है वे बेकार नहीं होवे और आपरो जो क्रिटिसिज्म हो रह्यो है वह भी नहीं होवे। मोटर ऑपरेटर छोटा २ काम करे है पर ए बहुत स्याणा है।

एक बात मैं आ रखी और दूसरी बात आज राज्य सरकार द्वारा पुराणे बजट में बातां कही है वे बातां की है। जिके थांको राष्ट्रीयकरण मोटर बसां रो हो रयो है और जो बातों हैं जिणरा आंकड़ा दिया है वे पास करोला लेकिन आप जो मोटर बसां रो राष्ट्रीयकरण करियो है बीं बसां रा टायर, ट्यूब और मशीनरी सारी राष्ट्रीयकरण योजना री बाजार में बिक रही है बीं सूं जो नुकसान हो रयो है बीं सूं सरकार बचे और लोग फायदो उठावे तब तो राष्ट्रीयकरण कियो जा सके है, ओ म्हारो सुझाव है।

अब आपरे सामने यातायात विभाग रो बीकानेर डिविजन रो नकशो रखूं हुं मैं भ्रष्टाचार महकमे में किण कदर बढ रयो है। १४, १६ महीनां मीटिंग तक नहीं होवे और प्रोसिडिंग्स लिख ली जावे। चेयरमैन महोदयने उठे जावणरी टाइम नहीं मिले तो ऑपरेटर सैकड़ों री संख्या में पाछा लौटे, उणां रो खर्चो लागै बो अलग लेकिन राज रो बहुत बड़ो नुकसान हो रयो है और उणो नुकसाण रे कारण हर तरह रा टैक्सेज बढ रया है। बड़े बड़े रूटां रो आपां रे अठै घाटो नहीं है और वह नहीं होणै की वजह सूं वह काम यूं का यूं पड्य: रह्या। पांच डिवीजन आपका इसा है कि सौलह महीना में पांच डिविजनां के मायने मीटिंग हुई आर० टी०ओं की। बा पांच डिविजनां में अगर कम सूं कम मीटिंग हो जावती तो अर्थ मंत्रीजी यो घाटा को बजट रख्यो है उतरा रुपया तो पैदा हो ही जावतां। भाई, राज्य चलावो थे, अपोजीशन से कह रह्या हो कि रुपया आवण रो रास्ता बताओ। थां को राज्य भलो, थे भला पण सूझ भूल यां को काम चलावो, इसा काम मती न करो। जनता रात दिन अड़ावती फिरै। मैं इसी बात राखूं कि आर० टी० ओ० री मीटिंग चौदह महीना में न होवे तो बीं सूं १ करोड़, २० लाख कै घाटै को बजट होवै बीं को कारण हूं तो यो ही मान कर चलूं। हूं कहूं कि आप विचार करके काम चलावता तो मुनाफो बेशी होवतो, गरीब जनता रो नुकसान नहीं होवतो और आपरो काम चालतो। या तो आपरी राष्ट्रीयकरण री योजना है, बीं को नमूनो रख्यो। अबकि आपने भूल करी, शोषण कर्यो बीं को परिणाम १ करोड़, २० लाख है और आगे आप जो भूल करण वाला हो बीं को परिणाम भी सामने आसी।

तो राज री दो बातां री जिम्मेदारी होवै– एक तो योजनाबद्ध राज को काम चलावो, दूसरो काम ई हुकूमत को होवै सुरक्षा और सेफ्टी; लोग-बाग आराम सूं रवै, शिक्षा-

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

दीक्षा मिलै और रोटी रो प्रबन्ध होवै । राज रे प्रबन्ध रो बहुत बड़ो मजमो रह्यो बीं की तो बात रख दीणी । अब बाकी रही सुरक्षा री । अब सुरक्षा रे मायने दो, चार नमूना आपके सामने राखूं । बे कांई करीया, सुरक्षा वाली अठे सूं थोड़ी दूर सरदारशहर म्हारो कस्बो है और बीं का सौभाग्य सूं राजा, जागीरदार अठै डिप्टी मिनिस्टर होर बैठे । आज भी है, बठे का दो डिप्टी मिनिस्टर होर बैठ्या है । बठे की हालत सुनावां चाहूं । डेवलपमेंट रे नाम सूं आपने कहूं कि योजना रो डेवलपमेंट कर रह्या है, अब सुरक्षा-सेफ्टी री बात देखो । थोड़ा दिनां पहले सरदारशहर में एक पोस्ट मास्टर ने खूब कूट्यो । बठै होम मिनिस्टर कोनो पधार्या है, सभापति महोदय, बां रे सामने कई बातां राखणी है । बांनैं बहुत उत्साह है । हूँ अ ि कर देऊं कि बीं पोस्ट मास्टर ने पीटियो थानेदार, पोस्ट ऑफिस रे मायने ईं ढंग सूं कूट्यो कि पुलिस वाला आया । पुलिस वाला रे आवण रे बाद जी तरह अधिवेशन चाले, आपरी असेम्बलीरो, बीं तरह मोशन रखियो और मोशन रखियो, जद वीं के बाद तय कर्यो ईं ने जल्दी सूं जल्दी नौकरी सूं खारिज करवाणो है, नौकरी सूं अलग करणो है तो छः महीनां रे वास्ते बीं नै सस्पेन्ड कर दियो और सरकारी हथियार है, बीं सम्बन्ध में और भी बतावांगा । यह हथियार और भी है जो काम में लेवे तब आदमी भल भल बकै । ईं में हंसणै री बात नहीं है; दुख सूं विचार करणै री बात है । हां; तो कीं तरह राज्य कियो, बीं ने जो है बठे यो कह्यो, सभापति महोदय, बीं ने कह दियो; थांरे साथ इंसाफ होसी । बीं आदमी ने पांच-छः महीना रे वास्ते सस्पेन्ड कर दियो और सस्पेन्ड होवण रे बाद थोड़ा दिनां में बी ने बहाल कर द्यो और बो आदमी बेचारो थोड़ा सा दिनां में के कर्यो कि सारी की सारी बात प्राइवेट इस्तगासा रूप में रख दी तो पुलिस और जुडिशियरी रा आदमी मिल कर पांच झगड़ा रा केस उलट-सुलट कर दिया और बीं आदमी आज तक भटकतो फिरै । हूँ इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करूं, जी वक्त पोस्ट मास्टर पिट्यो, बो पोस्ट मास्टर सुजानगढ में तलब हुयो (श्री हरिदेव जोशी को सदन से बाहर जाते हुए देखकर)कांई, विह,प महोदय.... तो, सभापति महोदय, भंवरलाल सुजानगढ़ चलो गयो, बीं के बाद सारी स्थिति देखी, शहादत देखी, बींके बाद वो के अर्ज करी, पोस्ट मास्टर भंवर लाल जो है, बीं ने समाप्त करवा दियो गयो और बींके बाद आज आठ, दस चोरी हो गई तो इसी स्थिति राज के अन्दर है । होम मिनिस्टर, सभापति महोदय, अभी थोड़ा दिनां पहली सूजानगढ गया । हूं सारी बात बांके सामने राखी । बठे आश्वासन दियो लेकिन आज तक कोई कार्यवाही बीं केस के मांयने हुई नहीं, जिणरे क्षेत्र री बात है, वा मैं आपरे सामने रख दी....

श्री सभापति: माननीय सदस्य समय का खयाल रखें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत: सभापतिजी, और किसी को बोलने देना है क्या ?

दूसरी बात, सूर्य प्रकाश पत्रकार री थोड़ी सामने राखूं कि प्रजातंत्र की तरह सुरक्षा होवै।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

नेहरूजी री जगह जगह स्पीच आवै । सूर्यप्रकाश शास्त्री रो हमेशा रो सिद्धांत है कि सच्ची बात लिखे और सच्ची बात लिखण में देश री, पुलिस री आलोचना बहुत ज्यादा करे। सूर्यप्रकाश शास्त्री रे वास्ते अठे सु इशारों हुयो, एस. पी. रो इशारो हुयो। सरे आम बाजार मायने जेबर बीं की जेब में घाल कर गिरफ्तार कर लियो गयो। बीं ने पांच दिन तक पुलिस कस्टडी में राख्यो और कस्टडी में रखण रे बाद आठ बार पत्रकार ने बेहोश करीयो जायो करतो और आठ, आठ बार बहस करण रे बाद बड़ी चेष्टा सूं पांच दिन रे बाद जमानत हुई और सजग प्रहरी औ जो बैठया है पत्रकार, हिन्दुस्तान टाइम्स....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मेरा खयाल है कि ये जो बात कह रहे हैं ये कट मोशन के वक्त कह सकते हैं। सभापति महोदय, थोड़ा बहस को रेगुलेट करें तो अच्छा होगा। माननीय सदस्य जो गेलेरीज को कह रहे हैं; यह उचित चीज नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : बजट के में है, सम्बन्ध वही कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सम्बन्ध सभी चीजों में जुड़ा हुआ है। सम्बन्ध कौनसी चीज का कहां जायगा, इसका ख्याल रखें।

श्री सभापति : थोड़ा समय का ख्याल रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूंगा कि ये सब वाकयात बहस जब कट मोशन पर हो उस वक्त रख सकें तो उचित होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सुरक्षा री बात आपने बताई। डकेतियां म्हारे बटै हुई।

(४.५८ म. प.)

प्राक्कलन समिति के नाम वापिस लेना

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : I withdraw my name from the candidature of the Estimates Committee.

आय-व्ययक पर बाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री मोहनलाल सारस्वत:पड़िहारा डकेती हुई बीं को आज तक सुराग नहीं मिल्यो....

श्री सभापति : सदस्यों को सूचना दी जाती है कि जो माननीय सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहें वे ले सकते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पड़िहारा डकेती हुई और डूंगरपुर....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, मैं एस्टीमेट कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : डूंगरगढ़ री नगर पालिका ईमानदारी सूं काम करती बीं ने तुडवाई गई। बीं के बाद में अब डिप्टी-मिनिस्टर ने हाउस में देखूं तो हैरान हो जाऊं....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे दिनांक २९ मार्च, १९६२ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २८ मार्च, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १२२६

पथ-निर्माण।

जयपुर में सार्वजनिक नलों का लगाया जाना।

देवगढ़ में चम्बल योजना के अन्तर्गत विद्युत-व्यवस्था।

सड़क निर्माण।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन मामले।

विद्युत-व्यवस्था।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत-व्यवस्था।
सड़क-निर्माण।

स्थगन-प्रस्ताव १२४५

दिनांक १८ मार्च, १९६२ को डकेत जगमालसिंह तथा उसके गिरोह द्वारा गांव बैराला, मोटोलाई आदि में डकेती से सम्बन्धित श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्री मथुरादास माथुर, गृहमंत्री ने स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दिया।

स्कम्भ

जनलेखा समिति, १९६२-६३ तथा प्राक्लन समिति, १९६२-६३ के नामजद उम्मीदवारों की नामावली १२४६

जनलेखा समिति तथा प्राक्लन समिति, १९६२-६३ के नामजद सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो निम्न प्रकार हैं:—

जनलेखा समिति (पब्लिक एकाउन्टस् कमेटी) १९६२-६३

१. श्री हरिदेव जोशी (६०)
२. श्री भीमसेन (१९)
३. श्री मानसिंह (१०६)
४. श्री नाथूलाल करोल (१२६)
५. श्री छत्रसिंह (२७)
६. श्री ज्वालाप्रसाद (८४)
७. श्री मानिकचन्द सुराणा (१०४)
८. श्री मोहरसिंह (११४)
९. श्रीमती सुमित्रा (१६४)
१०. श्री मोहनराज (११३)
११. श्री रामकिशन (१४४)
१२. श्री भैरोंसिंह (१३)
१३. श्री बालूराम (१०)
१४. श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)

स्कम्भ स्कम्भ

१५. श्री हरिप्रसाद (६२)
१६. श्री मोहनलाल (११२)

प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) १९६२–६३ :

१. श्री नाथूलाल करोल (१२६)
२. श्री केसरीसिंह (८९)
३. श्री राधाकृष्ण गोयल (१३७)
४. श्री नत्थीसिंह (१२५)
५. श्री रूपाराम (१५१)
६. श्री हरिकिशन (६१)
७. श्री उमरावसिंह (१७१)
८. श्री मथुरेशबिहारी (१०९)
९. श्री देवीलाल (३५)
१०. श्री मोतीलाल (११६)
११. श्री किशनसिंह (९०)
१२, श्रीमती नगेन्द्रबाला (१२०)
१३. श्री मालमसिंह (१०२)
१४. श्री गोकुलप्रसाद (५१)
१५. श्री मुरलीधर व्यास (११९)
१६. श्री रामकिशन (१४४)
१७. श्री सम्पतलाल (१५३)
१८. श्री अब्दुलजब्बार (१)
१९. श्री श्योपतसिंह (१६२)
२०. श्री दुर्गालाल बादटार (४०)
२१. श्री धर्माराम (३६)

सर्वश्री नाथूलाल, मानिकचन्द सुराणा व मोहनलाल ने जनलेखा समिति तथा सर्वश्री राधाकृष्ण गोयल, मुरलीधर व्यास एवं रामकिशन ने प्राक्कलन समिति से अपने अपने नाम वापिस ले लिये।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र १२५१

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, पंचायत विभाग ने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ व २० (२) के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति (रिटायरमेन्ट ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्टेन्डिंग कमेटीज़) नियम, १९६२ को सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य-पुरःस्थापित किये गये विधेयक १२५१

निम्नांकित विधेयक सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

१. राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर (पद-उन्मूलन) विधेयक, १९६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

२. राजस्थान अराई तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

३. राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को

भी सदन की मेज पर रखा गया)

४. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १६६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

५. राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद–मूल्य निर्धारण (संशोधन) विधेयक, १६६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

६. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १६६२ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

७. राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२

आय-व्ययक (बजट), १६६२-६३ (प्रथम अवस्था–सामान्य वाद-विवाद)

आयव्ययक, १६६२–६३ पर आज भी वाद-विवाद हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भैरोंसिंह
२. श्रीमती नगेन्द्रबाला
३. श्री मुकुटबिहारीलाल
४. श्री रामानन्द अग्रवाल
५. श्री मोहरसिंह
६. श्री निरंजननाथ आचार्य
७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
८. श्री मोहनलाल सारस्वत

तदन्तर सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार, दिनांक २६ मार्च, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, २६ मार्च, १६६२ की कार्य-सूची

(१) कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

(२) आय–व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, २८ मार्च, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२४२	६	नीट	नोट
१२४३	अंतिम से ४	परसैंट	पर्सेंट
१२५५	शीर्षक	पुरः स्थाप्ति	पुरः स्थापित
१२५७–१२६५	शीर्षक	पर वाद-विवाद	पर सामान्य वाद-विवाद
१२५६ व १३४८–४९	,, ,,	२७ मार्च	२८ मार्च
१२६३	११	सकार	सरकार
१२६५	१	ब्रहुत	बहुत
१२६९	१४	सप्लाईमेन्ट	सप्लीमेन्ट
,,	३१	दिया। है	दिया है।
१२७०	४	धैसा	वैसा
,,	१८	कि हम	है कि हम
१२७९	६	कि त्रिल्डिंग्स	की बिल्डिंग्स
,,	१६–१७	खर्च जाय	खर्च करती जाय
१२८२	११	एग्रीक्लचरल	एग्रीकल्चरल
,,	अंतिम से ३	इन्स्वेटमेन्ट	इन्वेस्टमेन्ट
१२८३	६	तालमेंल	तालमेल
१२८४	११	मर्दो	मर्दों
१२८५	अन्तिम पंक्ति	हुई।	हुई है।
१२८६	७	ग्रिफ्ट	गिफ्ट

१	२	३	४
१२८७	४	करोड़	करोड़
१२८६	४	लगार्ये	लगायें
,,	१४	म्यूनिसिपॉलिटियों	म्यूनिसिपैलिटियों
१२६२	१६-२०	डाइरेक्टर और इनडाइरेक्टर टैक्स	डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्स
१२६८	२७	इन्स्टीट्यूटस	इन्स्टीट्यूट्स
१२६६	१६	है कि यहां	हैं यहां
१३००	२४	कार्मिग	फार्मिंग
१३०२	१७	में	मैं
१३०३	६	उनका	उनको
१३०८	१६	बड़ता हा	बड़ता ही
१३१६	५-६	महराणा	महाराणा
१३२६	२०	यह आज उनको दिक्यत	पर आज उनको दिक्कत
१३३०	अंतिम से ३	बढ़े	बड़े
१३३१	२८	रहों	रही
१३३३	४	अधिकारी	अधिकारी
,,	२६	राजस्थान	राजस्थान
१३३४	शीर्ष	(श्री मुकुटबिहारीलाल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल)
१३३५	१२	शासन रूड़	शासनारूढ़
१३३६	१७	फिस्कल	फिस्कल
१३४२	२	ईसलिये	इसलिए
,,	८	सिफारिस	सिफारिश
,,	२६	की लक्ष्य	का लक्ष्य
१३४४	अंतिम से ४	सप्लाई कर कर सकते हैं	सप्लाई कर सकते हैं
१३४५	१८-१६	नेशनलाइज़ेशन के प्लान को से बोटेज	नेशनलाइज़ेशन के प्लान को सेबोटेज़

१	२	३	४
१३४६	१०	posiion	position
,,	२७	जान बूझ	या जान बूझ
१३४७	२१	भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार
१३४८	१	जानाड़पता	जाना पड़ता
१३५२	१६	नौजूद	मौजूद
१३५३	स्कम्भ	१२५३	१३५३
,,	अंतिम से ३	कॉन्स्टीत्यटेड	कॉन्स्टीट्यूटेड
१३५६	३-४	एक ओर	एक ओर
१३५६	१७	नम्बर	नम्बर
१३६२	१	ऐशो-इमारत	ऐशो-इशरत
१३६३	१५	ज्कादा	ज्यादा
१३६४	१०	पूवार्ध	पूर्वार्ध
१३६५	३	वाकी	बाकी
,,	८	३६ का	३६ रूपयों का
,,	२६	खेर	खैर
१३६७	६	कोइ	कोई
१३७२	१	फैसले	फैसले
१३८२	५	आपरेज	आप रेज़
,,	१७ व १८	इक्ट्ठा	इकट्ठा
१३८६	२१	कम: एफिलियेटिंग	कम-एफिलियेटिंग
१३६०	१०	यूनिवर्सिटज	यूनिवर्सिटीज़
१३६८	२६	स्पष्ट	स्पष्ट
,,	अंतिम पंक्ति	सदन	सदन
१३६६	१६	कमिश्नर	कमिश्नर
१४०६	१७	उस	उन

१	२	३	४
१४०६	अंतिम पंक्ति	राय	राज्य
१४४१	१७	बढ़ाकर	बढ़ कर
,,	२७	मिला	मिला
१४१५	३	एस्टीमेंट्स	एस्टीमेट्स
,,	१२	एस्टीमेट स	एस्टीमेट्स
१४१८	१८	बातों हैं	बातें हैं
,,	अंतिम से२-१	पोसिडिंग्स	प्रोसिडिंग्स
१४२०	१७	आ	अर्ज
१४२१	१४	विह, प	विह्प
१४२२	२	हमेशा	हमेशा
,,	६	राल्यो	राल्यो